वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

NSIL
एनसिल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तहत केन्द्रीय सार्वजनिकक्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

तृतीय वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

विषय-वस्तु

अध्यक्ष का भाषण	5
दूरदर्शिता	6
मिशन	6
निदेशक मंडल	7
बोर्ड की समितियां	7
कंपनी सचिव	7
बैंकर	8
लेखापरीक्षक	8
अधिवक्ता एवं प्रतिवक्ता	8
निदेशक की रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	17
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	25
कॉर्पोरेट शासन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ) का प्रमाणीकरण	32
अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा	33
कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र	34
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	35
निष्पक्ष लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	41
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	52
31 मार्च, 2022 तक का तुलन-पत्र	53
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	55
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	56
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद-प्रवाह का विवरण	58
वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले नोट	107

निदेशक मंडल

श्री राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक

श्री ए. अरुणाचलम
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

डॉ. एम. सुब्रमण्यम
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

श्रीमती उमा शेखर
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

श्री नीरज सिन्हा
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

अधिवर्षिता

श्री नारायणन जी.
अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
(31 जुलाई, 2022 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त)

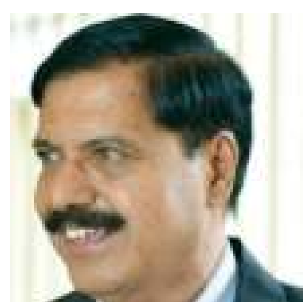

डॉ. वेंकिटकृष्णन पी.वी.
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)
[31 मई, 2022 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त]

कार्यकाल समापन

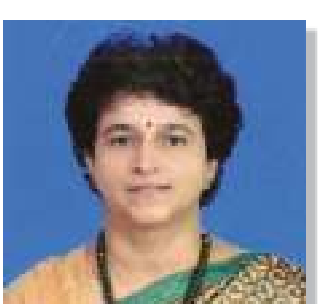

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)
[16 नवंबर, 2021 तक]

श्री उमामहेश्वरन आर.
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)
[16 नवंबर, 2021 तक]

श्री महेश्वर राव एम
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)
[14 मार्च, 2022 तक]

अध्यक्ष का भाषण

मैं, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) की ओर से कंपनी की तीसरी वार्षिक महासभा (ए.जी.एम.) की बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की उपलब्धियों एवं निष्पादन तथा आगामी वर्षों के दौरान कंपनी का भावी व्यापार संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, इस कंपनी ने रु.1674.77 करोड़ का कारोबार किया तथा रु.342.99 करोड़ का करोत्तर लाभ प्राप्त किया।

अपने अधिदेश के भाग के रूप में, एनसिल ने देश की डाइरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच) सेवा की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए निर्मित अपने पहले मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन, जीसैट-24 का उत्तरदायित्व संभाला। जीसैट-24 उपग्रह को 23 जून, 2022 को कौरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन-वी. (वी.ए.-257 उड़ान) द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। जीसैट-24 की संपूर्ण क्षमता को मेसर्स टाटा-प्ले को पट्टे पर दिया गया है। इस मिशन हेतु वित्त-पोषण एनसिल द्वारा किया गया है। भारतीय उद्योग के माध्यम से इसरो के प्रचालनात्मक प्रमोचक रॉकेटों के निर्माण के क्षेत्र में, एनसिल ने पांच ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी-एक्स.एल.) के आद्योपांत उत्पादन के लिए मेसर्स एच.ए.एल. (एच.ए.एल. तथा एल. एण्ड टी. संघ का प्रमुख भागीदार) के साथ अनुबंध किया है। प्रमोचन सेवाएं मुहैया कराने के लिए, एनसिल ने 52 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के प्रमोचन का उत्तरदायित्व संभाला है, जिनमें ब्राजील के ग्राहक के लिए एक तथा दूसरा सिंगापुर के ग्राहक के लिए, दो समर्पित पी.एस.एल.वी. प्रमोचन शामिल हैं। एनसिल ने इसरो के जी.एस.एल.वी. मार्कIII द्वारा मेसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड (मेसर्स वन वेब) के लिए वन वेब LEO ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित करने के लिए भी दो बड़ी प्रमोचन सेवा सुविधा संविदा की हैं। यह समर्पित जी.एस.एल.वी.-मार्क III प्रमोचन सेवा संविदा एनसिल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह वैश्विक वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा बाजार में, अपने कदम रख रहा है। इस प्रमोचन संविदा के भाग के रूप में कुल 72 वन वेब उपग्रहों का प्रमोचन किया जाएगा।

हाल ही में, भारत सरकार ने इक्विटी के रूप में कक्षा में 10 इनसैट/जीसैट संचार उपग्रहों का हस्तांतरण किया है। इसके साथ, एनसिल का भारत में पहले निजी उपग्रह प्रचालक के रूप में पदार्पण हुआ है। कई अन्य पहलुओं के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल के रूप में, इसरो के लघु उपग्रह बस आइ.एम.एस.-1 से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसिल विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों तथा विशेष रूप से प्रमोचक रॉकेट उत्पादन में लागत-प्रभावी उत्पादों एवं सेवाएं विकसित करने के लिए विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। एनसिल, जी.एस.एल.वी.-मार्कIII के आद्योपांत उत्पादन के लिए, साथ ही, इसरो के अन्य प्रमोचक रॉकेटों के उत्पादन के लिए भी भारतीय उद्योग के साथ भागीदारी करेगा।

एनसिल का विज़न आद्योपांत अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को संभालने में भारतीय उद्योग की भागीदारी को संवर्द्धित करना है, जिससे कि वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत के बाजार शेयर को बढ़ाने में अग्रणी रहते हुए ज्यादा वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यापार किया जा सके।

हस्ता/-
(राधाकृष्णन डी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दूरदर्शिता

"वैश्विक ग्राहकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं को मुहैया कराने में उत्कृष्ट बनना तथा प्रौद्योगिकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व संभालने में भारतीय उद्योग की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना"।

मिशन

"प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण आधार को बढ़ाने हेतु भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, विभिन्न स्वदेशी एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं हेतु उदीयमान वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार, उपग्रह सेवाओं की पूर्ति करना तथा अंतरिक्ष अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानवजाति की भलाई हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उप-उत्पादों को सक्षम बनाना"

निदेशक मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालीन निदेशक

श्री राधाकृष्णन डी., अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक (01.08.2021 से)

श्री नारायणन जी., अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक (31.07.2021 तक)

श्री अरुणाचलम ए., निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) (01.08.2021 से)

अंशकालिक पदाधिकारी / सरकार द्वारा नामित निदेशक:

श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय (16.12.2021 से)

श्री नीरज सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रधान, नीति आयोग (26.11.2021 से)

डॉ. सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव [उद्यम, नीति एवं विधि], अं.वि. (17.03.2022 से)

श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव, इसरो (17.11.2021 तक)

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि. (17.11.2021 तक)

श्री महेश्वर राव, संयुक्त सचिव, अं.वि. (17.11.2021 से 14.03.2022 तक)

प्रबंधन टीम

अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक	-	श्री राधाकृष्णन डी. (01.08.2021 से)
	-	श्री नारायणन जी. (31.07.2021 तक)
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	-	श्री अरुणाचलम ए. (01.08.2021 से)
	-	श्री राधाकृष्णन डी. (31.07.2021 तक)
कंपनी सचिव	-	श्रीमती रेणु. के. (16.04.2021 से 31.08.2022 तक)

बोर्ड की समितियाँ

(29.09.2022 के अनुसार)

लेखापरीक्षा समिति

डॉ. सुब्रमण्यम एम.	-	अध्यक्ष
श्रीमती उमा शेखर	-	सदस्य
श्री नीरज सिन्हा	-	सदस्य
श्री अरुणाचलम ए.	-	सदस्य

पारिश्रमिक समिति

श्रीमती उमा शेखर	-	अध्यक्ष
श्री नीरज सिन्हा	-	सदस्य
डॉ. सुब्रमण्यम एम.	-	सदस्य

सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति

श्री नीरज सिन्हा	-	अध्यक्ष
श्रीमती उमा शेखर	-	सदस्य
डॉ. सुब्रमण्यम एम.	-	सदस्य
श्री अरुणाचलम ए.	-	सदस्य

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक,
डॉलर कॉलोनी शाखा,
न्यू बी.ई.एल. रोड,
बेंगलूरु - 560 054

आइ.सी.आइ.सी.आइ. बैंक,
आठवाँ मेन,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु

लेखा परीक्षक

मेसर्स पॉल एवं शानभोग,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट,
24, चौथा मेन रोड,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु - 560 003

अधिवक्ता एवं प्रतिवक्ता

मेसर्स किंग स्टब एवं कसिवा,
शाखा कार्यालयः
1ए., लाविल्ले मेंशन,
1/2 लाविल्ले रोड,
बेंगलूरु - 560 001

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

मुझे, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों सहित कंपनी के "व्यापार प्रचालनों" पर तृतीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपार हर्ष हो रहा है।

व्यापार की समीक्षा

"न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)" को अंतरिक्ष विभाग (अं वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार (भा.स.) के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) के रूप में मार्च 2019 को निगमित किया गया।

जून, 2020 के दौरान, अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में, भारत सरकार की एक पहल **"अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार"**, करने के तहत एनसिल को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियां निष्पादित करने हेतु अधिदेश प्राप्त हुआ।

एनसिल का प्रमुख अधिदेश पूर्व में मौजूद "आपूर्ति आधारित" मॉडल की तुलना में "माँग आधारित" मॉडल पर अंतरिक्ष मिशनों को निष्पादित करना है।

अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में, एनसिल का संवर्धित अधिदेश निम्नानुसार है:

- भू-प्रेक्षण तथा संचार अनुप्रयोगों के लिए **उपग्रहों का स्वामित्व** रखना तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना।
- **उपग्रहों का निर्माण करना** तथा उन्हें माँग के अनुसार प्रमोचित करना।
- ग्राहकों के संबंधित उपग्रहों के लिए **प्रमोचन सेवाएं मुहैया कराना।**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण करना** तथा उपग्रह ग्राहक आवश्यकता के अनुसार प्रमोचन करना ।
- वाणिज्यिक आधार पर भू-प्रेक्षण तथा संचार उपग्रहों से संबंधित **अंतरिक्ष आधारित सेवाएं मुहैया कराना।**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **उपग्रहों का निर्माण करना।**
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को **मिशन सहायता सेवाएं।**
- भारतीय उद्योग को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।**

व्यापार प्रचालनों पर विवरण "प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट" के भाग के रूप में दिया गया है।

वित्तीय सार / मुख्यांश

कंपनी ने अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से ही अपने व्यापार प्रचालनों की शुरूआत कर दी थी। वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान, कंपनी ने 1,67,476.84 लाख भारतीय रुपए का करोबार किया तथा कर की कटौती के बाद (पी.ए.टी.) 34,298.62 लाख भारतीय रुपए का लाभ कमाया। मुख्य अंश निम्नानुसार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (रु. लाख में)	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (रु. लाख में)
स्वदेशी कारोबार	148,841.48	24,507.91
निर्यात कारोबार	18,635.36	26,822.80

कुल कारोबार	**1,67,476.84**	**51,330.71**
अन्य आय	5,707.60	1,240.37
कुल राजस्व	**1,73,184.44**	**52,571.08**
कुल व्यय	1,27,269.32	31,286.85
कर से पूर्व लाभ / (हानि)	45,915.12	21,284.23
आयकर	11,616.50	5,394.69
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	**34,298.62**	**15,889.54**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	छूट अनुरोधित	छूट प्राप्त
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	शून्य	शून्य

लाभांश

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आइ.पी.ए.एम.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट मांगने हेतु प्रस्ताव है।

आरक्षित निधियां

यह बोर्ड लाभों को सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरित करने की सिफारिश नहीं करती है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

इस अवधि के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

वास्तविक / महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोई वास्तविक अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इस कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा संबंध कंपनी नहीं है।

जमा

इस कंपनी ने अब तक कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, अब तक के तुलन-पत्र में मूल अथवा ब्याज की कोई भी राशि बकाया नहीं है।

ऋण, गारंटियां एवं निवेश

इस कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। मेसर्स रमेश अश्विन एवं कारंत नामक चार्टड एकाउंटेंटों को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था। इससे प्रणालियों एवं नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा समिति द्वारा बाद में समीक्षा की गई। की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई। इस लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता की समीक्षा जाती है।

शेयर पूंजी

वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1000,00,00,000/ भारतीय रुपए हजार (मात्र एक हजार करोड़ रुपए) है, जिसे प्रत्येक 10/- भारतीय रुपए मूल्य के 100,00,00,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल जारी तथा प्रदत्त पूंजी 910,00,00,000/- भारतीय रुपए है (मात्र नौ सौ दस करोड़ रुपए), जिसे पूर्ण रूप से प्रदत्त 10/- भारतीय रुपए के 91,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

आऊटसोर्सिंग

आवश्यकताओं तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर कंपनी भारतीय उद्योगों को कार्य आऊटसोर्स करती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.एस.) से प्रापण

इस कंपनी की गतिविधियां प्रमुख रूप से अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण तथा परियोजना/कार्यक्रम के प्रबंधन से संबंधित है। यह कंपनी प्रत्यक्ष रूप से निर्माण संबंधित गतिविधियाँ नहीं करती है। सीमित कार्य क्षेत्र से, इस कंपनी ने एम.एस.ई.एस. से भारतीय रुपए 158.16 लाख तक के माल/ सेवाओं का प्रापण किया है। गैर-एम.एस.ई. से प्रापण भारतीय रुपए 111.84 लाख के समान है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीय विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी.)

चूँकि, इस कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत वर्ष 2019-20 में की थी, वर्ष 2020-21 के लिए अधिदेशित सी.एस.आर. एवं एस.डी. निधि आबंटन प्राप्त करने के लिए उस वर्ष के निवल लाभ पर विचार किया जाएगा। डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों के लिए 231.25 लाख भारतीय रुपए को चिह्नित किया गया था। 227.29 लाख भारतीय रुपए खर्च किए गए तथा 3.96 लाख भारतीय रुपए निर्धारित नियत तिथियों के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध की गई निधियों में जमा कर दी गई। इन क्रियाकलापों से संबंधित अधिक जानकारी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधि पर वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

यह कंपनी अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। साथ ही, कंपनी के वर्तमान कर्मचारी, अं.वि. / इसरो से हैं, जो कार्य व्यवस्था पर कार्यरत हैं तथा उनकी परिलब्धियों का भुगतान अं.वि./इसरो द्वारा किया जाता है।

भारतीय चार्टड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी ए.एस.-18 के अनुसार, संबंधित पक्षकार के लेन-देन का प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों की टिप्पण सं. 40.1 में प्रस्तुत किया गया है।

मानव संसाधन विकास

इस कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन अं.वि./इसरो से प्रतिनियुक्त कार्यपालकों तथा एनसिल द्वारा भर्ती किए गए पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। कंपनी ने अपने वेतन-पत्रक पर 8 कर्मचारियों की भर्ती की है। कंपनी द्वारा आरक्षण से संबंधित नियमों का अनुपालन किया गया है।

लेखापरीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के दिनांक 18/08/2021 के पत्र सं. सं./सी.ए.V/सी.ओ.वाई./केंद्र सरकार, एनसिल (1)/275 के अनुसार, मेसर्स पॉल एवं शानभोग, चार्टड एकाउंटेंट, बेंगलूरु को वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी नहीं दी गई।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षकों के द्वारा उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई भी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा अस्वीकरण नहीं था।

कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ एवं स्पष्टीकरण

मेसर्स बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रेक्षणों पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं-

प्रेक्षण	टिप्पणियाँ / स्पष्टीकरण
एक मामले में बोर्ड की दो बैठकों के बीच 4 महीनों से अधिक का अंतराल है।	बोर्ड द्वारा निर्णय लेने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण मामलों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा पाँच बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं थीं। हालांकि, एक मामले में, बोर्ड की दो बैठकों के बीच 4 महीनों से अधिक का अंतराल था। फरवरी 2022 में निर्धारित बैठक आयोजित नहीं हो सकी क्योंकि प्रकार्यात्मक निदेशकों को जीसैट-24 उपग्रह परिवहन तथा प्रमोचन सहित उसके निर्माण संबंधित तकनीकी गतिविधियों में ध्यान देना आवश्यक था।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा परिलब्धियों (प्रकार्यात्मक निदेशकों सहित) का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाएगी। अं.वि., कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।
सूचना प्रदाता नीति को कार्यान्वित नहीं किया गया है	यह कंपनी अपनी सूचना प्रदाता नीति के निर्माण की प्रक्रिया में है।
न्यूनतम 4 बोर्ड बैठकों का आयोजन नहीं किया गया	इस कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की थी। लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता करने हेतु निदेशक, वित्त तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। चूंकि, बोर्ड के अन्य सदस्यों को महत्वपूर्ण तकनीकी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धि

व्यापार प्रचालनों से संबंधित विवरण "प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट" में दिया गया है। उक्त वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धि के रूप में एनसिल द्वारा जीसैट-24 नामक प्रथम मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन का दायित्व संभालना है, जिसे डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) सेवा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया है। एनसिल ने इसरो द्वारा यह उपग्रह निर्मित करवाया है। इस उपग्रह को 23 जून, 2022 को कौरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन-V (वी.ए. 257 उड़ान) द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। जीसैट उपग्रह की समग्र क्षमता उसके समर्पित ग्राहक मेसर्स टाटा प्ले को पट्टे पर दी गई है। एनसिल द्वारा मिशन के लिए समग्र वित्त-पोषण किया गया है।

भावी दृष्टिकोण

भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रमोचक रॉकेट के उत्पादन को सक्षम करने के भाग के रूप में एनसिल ने पाँच पी.एस.एल.वी. के आद्योपांत उत्पादन के लिए मेसर्स एच.ए.एल. (मेसर्स एच.ए.एल. एवं एल. एण्ड टी. संघ का प्रमुख भागीदार) के साथ संविदा की है।

इसके साथ, जून 2022 के दौरान सरकार ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यापार करने के लिए एनसिल को 10 कक्षीय इनसैट/जीसैट संचार उपग्रहों का हस्तांतरण करने के लिए अनुमोदन दिया है। एनसिल भारत में पहले निजी उपग्रह प्रचालक के रूप में उभरकर सामने आया है। इन उपग्रहों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व, एनसिल को पूंजी-प्रधान माँग आधारित उपग्रह मिशनों का दायित्व संभालने हेतु सक्षम बनाएगा।

निदेशकों एवं बोर्ड की बैठकें

31 मार्च 2022 तक बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री राधाकृष्णन डी., अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री अरुणाचलम ए., निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
3. श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय
4. श्री नीरज सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रधान, नीति आयोग
5. डॉ. सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अं.वि.

वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2022 तक, बोर्ड में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं: -

क) डॉ. पी.वी. वेंकिटकृष्णन, निदेशक, सी.बी.पी.ओ. इसरो से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए तथा 31 मई 2021 से कंपनी के इसरो द्वारा नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ।

ख) श्री नारायणन जी. इसरो से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए तथा 31 जुलाई, 2021 से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ।

ग) श्री नारायणन जी. के स्थान पर 01 अगस्त 2021 से श्री डी. राधाकृष्णन, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) को अंतरिम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था और 10 जून 2022 से उनकी नियुक्ति को विनियमित किया गया है।

घ) श्री डी. राधाकृष्णन के स्थान पर 01 अगस्त, 2021 से श्री अरुणाचलम ए., कंपनी के कार्यकारी निदेशक को अंतरिम निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) के तौर पर नियुक्त किया गया है।

ङ) श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव, इसरो का 17 नवंबर, 2021 से कंपनी बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।

च) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं. वि. का 17 नवंबर, 2021 से कंपनी बोर्ड के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ।

छ) श्री नीरज सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रधान, नीति आयोग को 26 नवंबर, 2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ज) श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (एल. एवं टी.) विदेश मंत्रालय, को 16 दिसंबर, 2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

झ) श्री महेश्वर राव एम., अपर सचिव, अं. वि. का 14 मार्च, 2022 से कंपनी बोर्ड के निदेश्क के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।

ञ) डॉ सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अं.वि. को 17 मार्च, 2022 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह बोर्ड कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री नारायणन जी. तथा निदेशक के रूप में डॉ. पी. वी. वेंकिटकृष्णन, श्री उमामहेश्वरन आर., श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा एवं श्री महेश्वर राव द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करती है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित की गईं, जिनका ब्यौरा कार्पोरेट शासन रिपोर्ट के भाग में उपलब्ध है।

निदेशकों की नियुक्ति तथा परिलब्धियों पर कंपनी की नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा परिलब्धियों (सी.एम.डी. सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों) का निर्धारण, नियुक्ति की अवधि तथा अन्य शर्तें एवं निबंधन सहित, अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

सरकार/इसरो द्वारा नामित निदेशक अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा वे किसी भी प्रकार की परिलब्धियों/ बैठक शुल्क हेतु हकदार नहीं हैं।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा वे संवैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित रहने हेतु फीस के हकदार होंगे।

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति तथा परिलब्धि, जिसमें अर्हता आदि को निर्धारित करने के लिए मानदंड शामिल हैं, पर नीति निर्धारण हेतु आवश्यकता दिनांक 05 जून 2015 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई.) के अनुसार होना जरूरी नहीं है।

बोर्ड तथा इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना सं. 463 (ई.) के अनुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण इस कंपनी का विवरण, जिसमें बोर्ड द्वारा स्वयं के निष्पादन तथा इसकी समितियों एवं अलग-अलग निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, उसकी अलग से मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

कर्मचारियों की परिलब्धियों का विवरण

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के तहत विनिर्दिष्ट वर्ग के तहत नहीं आती है। अत:, कर्मचारियों की परिलब्धियों से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

क) **ऊर्जा का संरक्षण:** इस कंपनी के प्रचालनों में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती।

ख) **प्रौद्योगिकी समावेशन:** इस कंपनी के प्रचालन मुख्य रूप से इसरो/अं.वि., मूल संगठन/ प्रशासनिक विभाग द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं का वाणिज्यीकरण करना है।

ग) **विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय:**

विवरण			
विदेशी मुद्रा अर्जन	**विदेशी मुद्रा (यू.एस.डी.)**	**विदेशी मुद्रा (यूरो)**	**समतुल्य भा. रु. (रु. लाख में)**
प्रमोचन सेवाएं, मिशन सहायता एवं अन्य	**36,22,684**	**2,69,95,139**	**25,893.86**
विदेशी मुदा व्यय			
प्रमोचन सेवाएं, तकनीकी सेवाएं एवं अन्य	**8,92,56,127**	**4,500**	**66,713.59**

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में, निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, वस्तुओं की रवानगी से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाविधि मानकों का पालन किया गया।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें लगातार लागू किया एवं ऐसे निर्णय तथा आंकलन बनाए, जो तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति को न्यायसंगत स्पष्ट किया जा सके तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि को प्रस्तुत किया जा सके;

ग) इस कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखाविधि अभिलेखों के रख-रखाव हेतु उपयुक्त तथा समुचित ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने बढ़ते हुए महत्व के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया; तथा

ङ) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ तैयार की थी तथा यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा वे प्रभावी ढंग से प्रचालन में थीं।

वार्षिक लाभ का वेबलिंक

20 अगस्त 2020 से प्रभावी कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा धारा 92(3) का संशोधन किया गया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कंपनी को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर वार्षिक विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और ऐसी वार्षिक लाभ के वेबलिंक का संज्ञान बोर्ड की रिपोर्ट में लाया जाएगा। इसके अनुसरण में, ऐसी वार्षिक विवरणी का वेबलिंक निम्नानुसार उपलब्ध है-

https://www.nsilindia.co.in/corporate-governance/ annual return

लागत अभिलेख

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण इस कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कॉर्पोरेट शासन

यह कंपनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, संलग्न कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। मेसर्स बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूरु से प्राप्त कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सचिवालयीन मानक

यह कंपनी बोर्ड तथा आम बैठकों के संबंध में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन करती है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत यथावश्यक प्रकटीकरण

कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है। 10 सितंबर 2020 को आंतरिक शिकायत समिति नामक अं.वि. (प्रशासनिक मंत्रालय) स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कंपनी का प्रतिनिधि सदस्य है। वर्ष के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, कंपनी में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कोविड-19 का प्रभाव

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में कोविड-19 के सभी संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा है, जो नकद राशि के मूल्यांकन तथा चालू संबंधित आंकलन, प्राप्तियों की वसूली, अमूर्त परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समकक्ष तक ही सीमित नहीं है। कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक सूचना के उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के आधार पर इस मूल्यांकन का निष्पादन किया है तथा यह मानना है कि इन वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अपनी परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा करती है। यह कंपनी महामारी की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए भावी आर्थिक स्थितियों तथा व्यवसाय प्रचालनों में उसके परिणामी प्रभाव का मॉनीटरन करना जारी रखेगी।

आभार

यह बोर्ड इस कंपनी के महत्वपूर्ण ग्राहकों को उनकी सहायता तथा कंपनी के प्रबंधन पर भरोसा करने के लिए तहेदिल से प्रशंसा करता है तथा भविष्य में इस पारस्परिक सहयोगात्मक संबंध को बनाए रखने के प्रति आशावान है।

यह बोर्ड भारत सरकार से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग तथा विशेष रूप से अं.वि., इसरो, डी.पी.ई तथा एम.ई.ए. से प्राप्त सहयोग के लिए तहेदिल से आभार व्यक्त करता है।

यह बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा महानिदेशक (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग), सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों, सहयोगियों तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

यह बोर्ड कंपनी की प्रगति तथा समृद्धि के लिए अं.वि./इसरो से प्रतिनियुक्त, एनसिल के कार्यपालक स्टाफ तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं के लिए तहेदिल से सबकी प्रशंसा करता है।

यह बोर्ड इसरो के विभिन्न केंद्रों तथा अं.वि./इसरो मु. के राजभाषा अनुभाग सहित अंतरिक्ष विभाग के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता तथा सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है, जिसके द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को उसके सफलतापूर्ण प्राचालनों में भरपूर सहायता प्राप्त हुई।

निदेशक मंडल की ओर से
कृते न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

हस्ता/-
डी. राधाकृष्णन
अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक

दिनांक: 29/09/2022
स्थान: बेंगलूरु

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

उपग्रह निर्माण; प्रमोचक रॉकेट निर्माण; प्रमोचन सेवाएं; भू-खंड और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के पांच प्रमुख क्षेत्र हैं। लगभग 85% - 90% राजस्व भू-खंड तथा अंतरिक्ष आधारित/मूल्यवर्धित सेवाओं से सृजित होता है। अंतरिक्ष उद्योग, विश्व भर के निजी उद्योगों, स्टार्ट-अपों तथा निजी निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के साथ परिवर्तनकारी विकास तथा अंतरिक्ष उद्योग के परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य का साक्षी बन रहा है। भू-प्रेक्षण, उपग्रह संचार एवं उपग्रह नौवहन प्रणालियों का उपयोग करते हुए लागत प्रभावी तथा समयबद्ध अंतरिक्ष आधारित समाधान प्रदान करने पर मुख्य केंद्र बिंदु है।

भारत में, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योग तथा अंतरिक्ष स्टार्ट-अपों की भागीदारी में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा समूची अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में विकास को ज्यादा गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने "अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार" के भाग के रूप में जून, 2020 में "अंतरिक्ष सुधार" की घोषणा की है।

संगठन संरचना

अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) को मार्च 2019 के दौरान निगमित किया गया। जून 2020 के दौरान, भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में, एनसिल के व्यवसाय अधिदेश में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई। 05 मार्च 2022 के अनुसार, एनसिल ने अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय प्रचालनों में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं।

वर्तमान में, कंपनी का प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के निदेशक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.), प्रशासनिक मंत्रालय ने कंपनी के संस्था के अनुमोदित अंतर्नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कंपनी ने अपने वेतन पत्रक पर कुछ कर्मचारियों की भर्ती की। कंपनी के संवर्धित अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अपने स्वयं के वेतन पत्रक पर और कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

उत्पाद और सेवाएं

एनसिल के पास पहले से मौजूद "आपूर्ति आधारित" मॉडल की तुलना में "मांग आधारित" मॉडल के आधार पर अंतरिक्ष मिशनों की शुरुआत करने का प्राथमिक अधिदेश है।

अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में, एनसिल का संवर्धित अधिदेश निम्नानुसार है:

- भू-प्रेक्षण और संचार अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों का **स्वामित्व रखना** और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करना
- **उपग्रहों का निर्माण** और मांग के अनुसार उन्हें प्रमोचित करना
- ग्राहक से संबंधित उपग्रह के लिए **प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण करना** और उपग्रह ग्राहक आवश्यकता के अनुसार प्रमोचन करना
- वाणिज्यिक आधार पर भू-प्रेक्षण और संचार उपग्रहों से संबंधित **अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान** करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **उपग्रह निर्माण**
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए **मिशन सहायता सेवाएँ**
- भारतीय उद्योग को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान व्यवसाय उपलब्धियाँ

"अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार" के तहत भारत सरकार की अंतरिक्ष सुधार पहल के भाग के रूप में, एनसिल के अधिदेश में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें उपग्रहों का स्वामित्व, निर्माण, प्रमोचन तथा प्रचालन करना; ग्राहकों को आद्योपांत सेवाएं मुहैया कराना तथा "मांग आधारित" तरीके से अंतरिक्ष आधारित मिशनों की शुरुआत करना शामिल है।

संवर्धित अधिदेश के अनुसार एनसिल ने अपने सभी प्रमुख व्यावसायिक कार्यों में अच्छी प्रगति की है। व्यावसायिक उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

<u>मांग आधारित मॉडल पर उपग्रहों का स्वामित्व और प्रचालन</u>

जीसैट-24 संचार उपग्रह: एनसिल का पहला मांग आधारित मिशन

- एनसिल के पास पहले से मौजूद “आपूर्ति आधारित” मॉडल की तुलना में “मांग आधारित” मॉडल के आधार पर अंतरिक्ष मिशनों की शुरुआत करने का प्राथमिक अधिदेश है। इसके भाग के रूप में, एनसिल ने डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) सेवा की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु जीसैट-24 नामक अपने पहले मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन की शुरुआत की। एनसिल ने यह उपग्रह इसरो द्वारा निर्मित करवाया। इस उपग्रह को 23 जून 2022 को कौरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन-वी. [वी.ए. 257 उड़ान] द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। संपूर्ण उपग्रह क्षमता को अपने प्रतिबद्ध ग्राहक मेसर्स टाटा प्ले को पट्टे पर दे दिया जाएगा। इस मिशन के लिए संपूर्ण वित्त पोषण एनसिल द्वारा किया गया है।

23 जून 2022 को एरियन-वी. रॉकेट द्वारा जीसैट-24 का प्रमोचन

एनसिल के लिए दूसरे और तीसरे मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन की शुरुआत करने के लिए संभावित ग्राहकों के साथ चर्चा:

- **जीसैट-20:** एनसिल, ब्रॉडबैंड संयोजकता जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 टन श्रेणी के उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह (एच.टी.एस.), जीसैट-20 की सेवाओं का उपयोग करने के लिए संभावित ग्राहकों के साथ चर्चा कर रहा है।
- **जीसैट-32:** एनसिल, एक एस-बैंड संचार उपग्रह, जीसैट-32 की क्षमता उपयोग को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयोक्ताओं के साथ चर्चा कर रहा है।

भारतीय उद्योगों के माध्यम से इसरो प्रमोचक रॉकेटों का उत्पादन

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.)

- एनसिल ने भारतीय उद्योग के माध्यम से इसरो प्रमोचक रॉकेट के निर्माण के लिए अपने अधिदेश के भाग के रूप में 5 पी.एस.एल.वी. के 'आद्योपांत' उत्पादन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) जारी किया।
- एनसिल ने 5 पी.एस.एल.वी. के आद्योपांत उत्पादन के लिए उद्योग भागीदार के रूप में **मेसर्स एच.ए.एल. और एल. एंड टी. संघ को शॉर्टलिस्ट** किया है। एनसिल जल्द ही उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। पूरी तरह से भारतीय उद्योग निर्मित पहले पी.एस.एल.वी. अनुबंध के जारी होने के 24 महीनों में निर्मित होने की संभावना है।

लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस.एस.एल.वी.)

- एस.एस.एल.वी. की विकासात्मक उड़ान के सफल प्रमोचन के बाद, एनसिल, भारतीय उद्योग के माध्यम से एस.एस.एल.वी. के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

प्रमोचन सेवाएं

- आज की तारीख तक, एनसिल ने ब्राजील के लिए पहले समर्पित पी.एस.एल.वी. वाणिज्यिक मिशन (पी.एस.एल.वी.-सी51-अमेजॉनिया-1) सहित राइड-शेयर यात्रियों के रूप में 52 अंतरराष्ट्रीय और एक भारतीय ग्राहक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया है।
- इसके अलावा, एनसिल के पास वर्ष 2022 और 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए 4 समर्पित पी.एस.एल.वी. प्रमोचन सेवा समझौते हैं।
- 30 जून 2022 को, एनसिल ने अपना दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन पी.एस.एल.वी.-सी.53/डी.एस.-ई.ओ. की सफलतापूर्वक शुरुआत की, जिसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रमोचन किया गया था।

30 जून 2022 को पी.एस.एल.वी.-53/डी.एस.-ई.ओ. मिशन का प्रमोचन

- एनसिल ने पी.एस.एल.वी.-सी.54 मिशन में राइडशेयर यात्री के रूप में अपने नैनो-उपग्रहों, थायबोल्ट-1 और थायबोल्ट-2 का प्रमोचन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप मेसर्स ध्रुव स्पेस के साथ एक प्रमोचन सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रायोगिक उद्देश्य के लिए पी.एस.एल.वी. चरण-4 प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए मेसर्स ध्रुव स्पेस और मेसर्स दिगांतर नामक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के साथ दो और प्रमोचन सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सफलतापूर्वक पूरे किए गए।
- एनसिल ने मेसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड (मैसर्स वन वेब), यूनाइटेड किंगडम के लिए वन वेब लियो ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को प्रमोचन करने के लिए प्रमुख प्रमोचन सेवा अनुबंध का समर्थन किया है। इसके लिए प्रत्येक मिशन में 36 उपग्रहों का प्रमोचन करने के लिए दो जी.एस.एल.वी.-मार्कIII का प्रावधान किया गया है। वन वेब इंडिया मिशन-1 के भाग के रूप में पहले 36 उपग्रहों के प्रमोचन की वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के दौरान परिकल्पना की गई है। वन वेब इंडिया मिशन-2 के भाग के रूप में दूसरे 36 उपग्रहों के प्रमोचन की परिकल्पना 2023 की पहली तिमाही के दौरान की गई है। यह समर्पित जी.एस.एल.वी.-मार्कIII प्रमोचन सेवा अनुबंध एनसिल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इसके साथ मार्कIII वैश्विक वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा बाजार में अपने कदम रख रहा है।

प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह निर्माण

- एनसिल ने भारतीय ग्राहक हेतु आइ.एम.एस.-2 उपग्रह प्लेटफॉर्म [400 किग्रा वर्ग] के प्रबंधन के लिए और वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान उन्हें समर्पित पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रमोचन करने के लिए आर.एफ.पी. के लिए प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। एनसिल को इस कार्यक्रम के लिए आपूर्ति आदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है।
- भारतीय ग्राहक से ई.ओ. उपग्रह समूह प्रस्ताव के भाग के रूप में, एनसिल, पी.एस.एल.वी. द्वारा समर्पित प्रमोचन सेवाएं प्रदान करने सहित, उपग्रहों का निर्माण करेगा।
- एनसिल को भू-प्रेक्षण उपग्रह समूह का निर्माण और प्रमोचन करने तथा भू-केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए अपने ग्राहक से अनुरोध प्राप्त हुआ है। एनसिल ने इसके लिए प्रयोक्ता को तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपग्रह आधारित सेवाएं

- सैटकॉम सेवाओं के भाग के रूप में, एनसिल, इनसैट/जीसैट उपग्रहों के द्वारा सी., के.यू. और विस्तारित सी. में डी.टी.एच., वीसैट, टी.वी., डी.एस.एन.जी. और आइ.एफ.एम.सी जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रेषानुकरों का प्रबंध कर रहा है। इसके अलावा, एनसिल क्रमिक व्यवस्था के आधार पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी उपग्रहों से प्रेषानुकर क्षमता का भी प्रबंध कर रहा है।
- इन प्रेषानुकर क्षमताओं का प्रबंध 150 से अधिक करारों/समझौता ज्ञापनों के तहत निजी/सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र के विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए किया गया है।
- एनसिल में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयोक्ताओं के लिए जीसैट-11, जीसैट-19, और जीसैट-29 उपग्रहों पर परिक्रमात्मक एच.टी.एस. क्षमता का वाणिज्यीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है।
- जून 2022 के दौरान, सरकार ने एनसिल को वाणिज्यिक अंतरिक्ष-आधारित व्यवसाय करने में सक्षम बनाने के लिए 10 कक्षा स्थित इनसैट/जीसैट संचार उपग्रहों को इक्विटी के रूप में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ, एनसिल भारत में पहले निजी उपग्रह प्रचालक के रूप में उभरा है। इन उपग्रहों के माध्यम से सृजित राजस्व से एनसिल कंपनी के लिए मांग आधारित मिशन अधिदेश के भाग के रूप में राजस्व उत्पन्न करने वाले कैपेक्स मिशनों को वित्तपोषित कर पाएगा।

मिशन सहायता सेवाएं

- एनसिल उपग्रहों और प्रमोचक रॉकेटों के लिए मिशन सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक भू-केंद्र प्रचालकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब तक, एनसिल ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को पांच (5) प्रमोचक रॉकेट अनुवर्तन सहायता और दो (2) प्रमोचन और प्रारंभिक-कक्षा चरण (लियोप) सहायता प्रदान की है।
- एनसिल ने गहन अंतरिक्ष मिशनों के लिए दूरमिति, अनुवर्तन और नियंत्रण (टी.टी.सी.) सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्राहक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जनवरी 2023 के दौरान पहले समर्थन की परिकल्पना की गई है।

- एनसिल ने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 2022-23 के दौरान लियोप और नियमित संचालन के लिए टी.टी.सी.) सहायता प्रदान करने के लिए दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / स्पिन-ऑफ

- एनसिल ने अब तक 25 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और 10 इसरो विकसित प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक भारतीय उद्योग को हस्तांतरित किया है।
- भारतीय उद्योग से अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए 75 प्रौद्योगिकियों के लिए अभिरुचि समन्वेषी नोट एनसिल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
- भारतीय उद्योग को **आइ.एम.एस.-1 उपग्रह बस प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति** के जवाब में, एनसिल को स्टार्ट-अप सहित भारतीय उद्योग की कंपनियों से 15 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। एनसिल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करारों को समाप्त करने के लिए शॉर्ट-लिस्ट की गई पार्टियों के साथ चर्चा कर रहा है।

बाह्य संपर्क

देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कंपनी की आद्योपांत गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने/परिचित करने के लिए, एनसिल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। एनसिल द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टाल ने छात्रों सहित विभिन्न आगंतुकों को आकर्षित किया और चार प्रदर्शनियों में, एनसिल को "सर्वश्रेष्ठ स्टाल" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी ने एनसिल को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, विशेष रूप से प्रमोचन सेवाओं और मिशन समर्थन सेवाओं के क्षेत्रों में और साथ ही वैश्विक तकनीकी तथा बाजार के रुझानों को समझने में मदद की।

क्रमांक	स्थान	प्रदर्शनी विषय-वस्तु	दिनांक	पुरस्कार
1	दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस - 2021	25 - 29 अक्तूबर, 2021	-
2	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	उज्वल उत्तर प्रदेश 2021	24 - 26 दिसंबर, 2021	सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार
3	फलटन (पुणे), महाराष्ट्र	शाइनिंग महाराष्ट्र 2022	24 - 26 मार्च, 2022	सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार
4	गांधीनगर, गुजरात	स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माण में सी.पी.एस.ई. का योगदान - देश में अपने पहले उत्पाद/सेवाओं का प्रदर्शन	9-12 जून 2022	-
5	बोपल, अहमदाबाद, गुजरात	इन-स्पेस मुख्यालय का उद्घाटन	10 जून, 2022	-
6	बेंगलूरु, कर्नाटक	भारत में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास (DeSSEI) - 2022	24 जून, 2022	-
7	मेहसाणा, गुजरात	गरवी गुजरात 2022	8 - 10 जुलाई, 2022	सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार
8	हिसार, हरियाणा	आकांक्षी हरियाणा-2022	28 - 30 जुलाई, 2022	सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार
9	बेंगलूरु, कर्नाटक	बैंगलोर स्पेस एक्सपो - 2022	5 - 7 सितंबर, 2022	-
10	पेरिस, फ्रांस	अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस - 2022	18 - 22 सितंबर, 2022	-

फलटन (पुणे), महाराष्ट्र

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

हिसार, हरियाणा

मेहसाणा, गुजरात

आइ.ए.सी.-2021, दुबई, यूएई

आइ.ए.सी.-2022, पेरिस, फ्रांस

बोपल, अहमदाबाद, गुजरात में इन-स्पेस के उद्घाटन के दौरान एनसिल व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनसिल

एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने तथा बाजार में कंपनी के उत्पादों तथा सेवाओं को स्थापित करने के लिए व्यवसाय कार्य नीति बनाने हेतु उद्योग परिदृश्य तथा उभरते रुझानों को समझने के लिए कंपनी हेतु एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण महत्वपूर्ण है। तथनुसार व्यवसाय प्रचालनों की योजना बनाने और सामरिक नीति तैयार करने हेतु इस एनसिल ने S.W.O.T. विश्लेषण के परिणामों निष्पादित किया है तथा पर विचार किया।

उत्पाद-वार निष्पादन

(भारतीय रुपया लाख में)

व्यापार का क्षेत्र	निर्यात	घरेलू	कुल
प्रमोचन सेवाएं	**18,635.36**	**148,841.48**	**167,476.84**
मिशन सहायता सेवाएं			
अंतरिक्ष खंड संचार (प्रेषानुकर पट्टा)			
उत्पादों की बिक्री			
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण			

भविष्य का दृष्टिकोण

अपने संवर्धित अधिदेश तथा संवर्धित स्वायत्तता के साथ कंपनी उपग्रह निर्माण, प्रमोचन, स्वामित्व तथा प्रचालन के लिए तथा ग्राहकों को वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर आद्योपांत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह भारतीय उद्योग के जरिए इसरो के सभी प्रचालनात्मक प्रमोचक रॉकेटों का भी निर्माण करेगी तथा बाद में उनका स्वामित्व रखेगी। कंपनी प्रभावी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी

तंत्र का निर्माण करने तथा संवर्धित करने हेतु इसरो की प्रौद्योगिकी जानकारी को उद्योगों को हस्तांतरित करने की कार्यप्रणालियों पर भी कार्य कर रही है।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

कंपनी ने जिस व्यवसाय को प्रारंभ किया है, उस क्षेत्र के जोखिमों को समझती है और यह जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय तथा उस क्षेत्र के पेशेवर सलाहकारों/परामर्शदाताओं से परामर्श कर जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने के उपाय करेगी।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय निष्पादन निदेशकों की रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

मानव संसाधन विकास

कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन अं.वि./इसरो से प्रतिनियुक्त अनुभवी तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कंपनी ने अपने स्वयं के वेतन पत्रक पर 8 कर्मचारियों की भर्ती की है तथा अपने वेतन पत्रक पर और कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण

चूँकि कंपनी न किसी विनिर्माण सुविधा का स्वामित्व रखती एवं प्रचालन करती है, ना ही इसके प्रचालनों में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई क्रियाकलाप शामिल हैं, अतः, कंपनी किसी भी पर्यावरणीय/संरक्षण मुद्दों का कारण नहीं बनती।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सिद्धांत

कॉर्पोरेट शासन कंपनी के सच्चे मालिक के रूप में शेयरधारकों के अहरणीय अधिकारों के प्रबंधन के स्वीकृत सिद्धांतों का एक समूह है और शेयरधारकों की ओर से न्यासी के रूप में उनकी अपनी भूमिका है। यह मूल्यों, नैतिक व्यापार आचरण और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में है और कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट निधि के बीच अंतर करता है।

कंपनी के कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत में अपने व्यवसायों को कानूनी, नैतिक तथा पारदर्शी तरीके - समर्पण, जो बहुत ऊपर से आता है और पूरे संगठन में व्याप्त है - से चलाने की प्रतिबद्धता शामिल है। कंपनी का मानना है कि कानून और नियम, सबसे अच्छे रूप में, बुनियादी ढांचे को निर्धारित कर सकते हैं - सीमा शर्तें, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, हालांकि अच्छे कॉर्पोरेट शासन का गठन स्वैच्छिक होना चाहिए।

कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

बोर्ड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

निदेशक मंडल

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 58(3) में निम्नलिखित बोर्ड संरचना का प्रावधान है:

बोर्ड के संघटन में, निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

(क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ख) निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

(ग) निदेशक-वित्त

(घ) तीन सरकारी निदेशक

(ड.) चार गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

31.03.2022 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद की प्रकृति	पद ग्रहण करने की तिथि
1	श्री डी. राधाकृष्णन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यकारी	01.08.2021*
2	श्री अरुणाचलम ए.	निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति)	कार्यकारी	01.08.2021#
3	श्रीमती उमा शेखर अपर सचिव (एल. एवं टी.), विदेश मंत्रालय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी-नामित निदेशक	16.12.2021
4	श्री नीरज सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार और प्रधान, नीति आयोग	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी-नामित निदेशक	26.11.2021
5	श्री एम. सुब्रमण्यम संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति और विधि), अं.वि.	सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर-कार्यकारी-नामित निदेशक	17.03.2022

** 31.07.2021 तक निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति)*

 # 31.07.2021 तक कार्यकारी निदेशक

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समाप्ति

वर्ष के दौरान बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं-

क) डॉ. वेंकिटकृष्णन पी.वी., निदेशक, सी.बी.पी.ओ. अधिवर्षिता पर इसरो की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और 31 मई, 2021 से कंपनी के इसरो द्वारा नामित निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ।

ख) श्री नारायणन जी. अधिवर्षिता पर इसरो की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और 31 जुलाई, 2021 से, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ।

ग) श्री राधाकृष्णन डी., निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) को 1 अगस्त, 2021 से श्री नारायणन जी. के स्थान पर अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

घ) श्री अरुणाचलम ए., कंपनी के कार्यकारी निदेशक को 1 अगस्त, 2021 से श्री राधाकृष्णन डी. के स्थान पर अंतरिम निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) के रूप में नियुक्त किया गया था ।

ङ.) श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव, इसरो का दिनांक 17 नवंबर, 2021 से इसरो द्वारा नामित निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ।

च) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि., 17 नवंबर, 2021 से इसरो द्वारा नामित निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में निदेशक का कार्यकाल समाप्त हुआ।

छ) श्री नीरज सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख, नीति आयोग को 26 नवंबर, 2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ज) श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि और संधि), विदेश मंत्रालय को 16 दिसंबर, 2021 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

झ) श्री महेश्वर राव, संयुक्त सचिव, अं.वि. 14 मार्च, 2022 से कंपनी के बोर्ड में के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ।

ञ) डॉ सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति और विधि), अं.वि. को 17 मार्च, 2022 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री नारायणन जी. एवं कंपनी के निदेशक के रूप में डॉ. वेंकिटकृष्णन पी.वी., श्री उमामहेश्वरन, श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा और श्री महेश्वर राव द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

बैठकें

वर्ष 2021-22 के दौरान 07.05.2021, 13.08.2021, 27.09.2021, 06.10.2021 और 07.03.2022 को बोर्ड की पांच बैठकें संपन्न हुईं।

उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थित	पिछली ए.जी.एम. में उपस्थिति हाँ/नहीं/लागू नहीं
1	श्री डी. राधाकृष्णन	01.04.2021-31.03.2022	5	5	हाँ
2	श्री ए. अरुणाचलम	01.08.2021*-31.03.2022	4	4	हाँ

3	श्रीमती उमा शेखर अपर सचिव (एल. एंड टी.), विदेश मंत्रालय	16.12.2021*- 31.03.2022	1	1	हाँ
4	श्री नीरज सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार और प्रधान, नीति आयोग	26.11.2021*- 31.03.2022	1	1	हाँ
5	डॉ. एम. सुब्रमण्यम संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति और विधि), अं.वि.	17.03.2022*- 31.03.2022	-	-	लागू नहीं
6	डॉ. वेंकिटकृष्णन पी.वी.	01.04.2021- 31-05-2021#	1	1	लागू नहीं
7	श्री नारायणन जी.	01.04.2021- 31.07.2021#	1	1	लागू नहीं
8	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि.	01.04.2021- 17.11.2021#	4	4	लागू नहीं
9	श्री आर. उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो	01.04.2021- 17.11.2021#	4	4	लागू नहीं
10	श्री महेश्वर राव	17.11.2021*- 14.03.2022#	1	1	हाँ

* नियुक्ति की तिथि

कार्यकाल समाप्ति की तिथि

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) ने आवश्यकतानुसार स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बोर्ड की समितियां

डी.पी.ई., कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों की आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड ने निदेशकों की निम्नलिखित समितियों का गठन किया है। ये समितियां अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के लिए और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट एवं केंद्रित शासन प्रदान करती हैं।

क्र. सं.	समिति का नाम
1	लेखापरीक्षा समिति
2	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संवहनीय विकास समिति
3	पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2022 के अनुसार समिति की संरचना निम्नवत है:

1. डॉ. एम. सुब्रमण्यम - समिति के अध्यक्ष
2. श्रीमती उमा शेखर - सदस्य
3. श्री नीरज सिन्हा - सदस्य
4. श्री ए. अरुणाचलम - सदस्य

बैठकें

वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 13.08.2021 एवं 07.03.2022 को लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बैठकें
1	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	अध्यक्ष	17.03.2022*-31.03.2022	0	0
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	16.12.2021*-31.03.2022	1	1
3	श्री नीरज सिन्हा	सदस्य	26.11.2021*-31.03.2022	1	1
4	श्री ए. अरुणाचलम	सदस्य	01.08.2021*-31.03.2022	2	2
5	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	अध्यक्ष	01.04.2021-17.11.2021#	1	1
6	श्री आर. उमामहेश्वरन	सदस्य	01.04.2021-17.11.2021#	1	1
7	श्री महेश्वर राव	अध्यक्ष	17.11.2021*-14.03.2022#	1	1

** नियुक्ति की तिथि*

 # कार्यकाल समाप्ति की तिथि

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, अत:, समिति नामित निदेशकों के साथ गठित की गई है।

संदर्भ की शर्तें

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों और समय-समय पर यथासंशोधित डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2022 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्रीमती उमा शेखर - अध्यक्ष

श्री नीरज सिन्हा - सदस्य

डॉ. एम. सुब्रमण्यम - सदस्य

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, अत:, समिति नामित निदेशकों के साथ गठित की गई है।

कार्यक्षेत्र

समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

बैठकें

चूंकि, वित्तीय निष्पादन और वित्त वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों के संबंधित निर्धारण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए किसी बोनस और परिवर्तनीय वेतन मामले पर चर्चा नहीं हुई थी और तदनुसार वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संवहनीय विकास (सी.एस.आर. और एस.डी.) समिति

31 मार्च, 2022 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री नीरज सिन्हा - अध्यक्ष

श्रीमती उमा शेखर - सदस्य

डॉ. एम. सुब्रमण्यम - सदस्य

श्री ए. अरुणाचलम - सदस्य

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, अतः, समिति नामित निदेशकों के साथ गठित की गई है।

संदर्भ की शर्तें

समिति के विचारार्थ विषय डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। कंपनी की सी.एस.आर. और एस.डी. गतिविधियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की सी.एस.आर. और एस.डी. नीति के अनुरूप निष्पादित की जाती हैं।

बैठकें

वर्ष 2021-22 के दौरान 07.05.21, 13.08.21 और 07.03.2022 को सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति की तीन बार बैठकें संपन्न हुईं।

सी.एस.आर. और एस.डी. समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान उपस्थित बैठकें
1	श्री नीरज सिन्हा	अध्यक्ष	26.11.2021*-31.03.2022	1	1
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	16.12.2021*-31.03.2022	1	1
3	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	सदस्य	17.03.2022*-31.03.2022	0	0
4	श्री ए. अरुणाचलम	सदस्य	01.08.2021*-31.03.2022	3	3
5	डॉ. पी.वी. वेंकिटकृष्णन	अध्यक्ष	01.04.2021-31.05.2021#	1	1
6	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	अध्यक्ष	01.04.2021-17.11.2021#	2	2
7	श्री उमामहेश्वरन	सदस्य	01.04.2021-17.11.2021#	2	2
8	श्री राधाकृष्णन डी.	सदस्य	01.04.2021-01.08.2021#	1	1
9	श्री महेश्वर राव	सदस्य	17.11.2021*-14.03.2022#	1	1

* नियुक्ति की तिथि

कार्यकाल समाप्ति की तिथि

निदेशकों हेतु पारिश्रमिक

वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरणी में दर्शाया गया है।

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने 07 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक में कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कंपनी द्वारा वार्षिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणन

डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता के अनुपालन के लिए पुष्टि हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा इसे बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी, भारत या विदेश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसके नामित सदस्यों के माध्यम से रखी जाती है।

आम बैठकें

कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने के लिए 24 सितंबर, 2021 को एक असाधारण आम बैठक आयोजित की थी।

कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक 24 दिसंबर, 2021 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तीसरी वार्षिक आम बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई है:

दिन और तारीख : 29 सितंबर, 2022 का 29वां दिन

समय : 11.00 बजे

स्थान : इसरो मुख्यालय, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094

दूरभाष : (080) 2217 2693, फैक्स : (080) 2351 7222

ई-मेल : cmd-nsil@isro.gov.in

वेबसाइट : www.nsilindia.co.in

प्रकटीकरण

क. खाते में नोट संख्या में 34बी. और 40.1 में **संबंधित पार्टी के लेन-देन** का प्रकटीकरण किया गया है। कंपनी के पास वास्तविक रूप से पार्टी संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जो इसके हितों के साथ संभावित मतभेद हो सकता है।

ख. **लेखा मानक**: कंपनी लागू लेखा मानकों (ए.एस.) का अनुपालन कर रही है।

ग. **निदेशकों का प्रशिक्षण**: कंपनी के बोर्ड ने 22 जून, 2020 को आयोजित 7वीं बोर्ड बैठक में निदेशकों के प्रशिक्षण पर नीतिगत अनुमोदन दिया है और बोर्ड के नए सदस्यों को दिशा-निर्देशों में यथाउल्लिखित अन्य सामान्य मामलों के साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफ़ाइल सहित कंपनी के व्यवसाय मॉडल के बारे में जानकारी दी जाती है। उपरोक्त प्रशिक्षण/प्रवेश उस समय दिया जाता है, जब नए निदेशक बोर्ड में शामिल होते हैं। अं.वि. के बोर्ड सदस्य, कंपनी को चलाने के लिए अंतरिक्ष आधारित उत्पादों एवं सेवाओं तथा तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं से भलीभांति अवगत हैं।

घ. **व्हिसल ब्लोअर नीति**: कंपनी अपनी स्वयं की व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

ड़ **सूचना का अधिकार**

कंपनी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (ए.पी.आइ.ओ.), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आइ.ओ.) और अपीलीय प्राधिकरण को नामित किया है।

2021-22 के दौरान, आर.टी.आई. अधिनियम के तहत बारह आवेदन प्राप्त हुए। 31.03.2022 तक सभी आवेदनों का उत्तर दिया गया।

च. **लोक शिकायतों का निवारण**

पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शिकायतों के समाधान की सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार ने www.pgportal.gov.in पर वेब-आधारित मॉनीटरन प्रणाली शुरू की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

छ. राष्ट्रपति के निर्देश:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा यथासमय समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश कंपनी द्वारा संकलित किए जाते हैं।

ज. लेखा बहियों में नामे व्यय की मदें, जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं हैं:

अपने कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए खर्च किए गए सीधे अपने व्यवसाय से संबंधित या उसके आनुषंगिक व्यय के अलावा किसी अन्य व्यय की मदों को लेखा पुस्तकों में डेबिट नहीं किया गया था।

झ. किए गए व्यय, जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं

निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए खर्च कंपनी के नियमों के तहत अनुमत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ की प्रकृति में हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई अन्य खर्च नहीं किया गया है, जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

ञ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सी.एस.आर. और एस.डी.)

कंपनी की सी.एस.आर. और एस.डी. गतिविधियों पर एक रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है।

ट. संचार के साधन

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों और इसे प्राप्त करने के हकदार अन्य लोगों में परिचालित की जाती है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया है। कंपनी की वेबसाइट सभी आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां भी प्रदर्शित करती है।

ठ. अनुपालन

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.इ.), भारत सरकार द्वारा जारी सी.पी.एस.ई. के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही है।

कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर नीति/डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कॉर्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. दिशानिर्देश के खंड 4.5 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

1. हमने, अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है।

   i. इन विवरणियों में वास्तविक रूप से कोई भी गलत विवरण या किसी तथ्य का लोप अथवा ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं, जो भ्रामक हो सकते हैं।

   ii. ये विवरण संयुक्त रूप से कंपनी के क्रियाकलापों के सही एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वे विद्यमान लेखा मानकों, उपयुक्त कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं हुई है, जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।

3. हम स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है। हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या प्रचालन में किसी प्रकार की संज्ञान लेने योग्य कमियां नहीं हैं।

4. हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित इंगित किया है कि:

   i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं;

   ii. लेखाकरण मानकों (ए.एस.) के साथ अनुपालन के लिए लेखाकरण नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं;

   iii. धोखेबाजी की कोई विशेष घटनाएं नहीं हैं, जिनसे हम अवगत हैं।

हस्ता/-
डी. राधाकृष्णन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29/09/2022
स्थान : बेंगलूरु

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने स्वीकृति दी है।

हस्ता/-

डी. राधाकृष्णन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29/09/2022

स्थान : बेंगलूरु

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

BRKS

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U74999KA2019GOI122175
अधिकृत पूंजी : INR 1000,00,00,000

सेवा में,
सदस्यगण,
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देश 2010 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है। हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

प्रस्तुत अभिलेखों तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार, हमारी जाँच के आधार पर निम्नलिखित प्रेक्षणों सहित, हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस कंपनी ने रिकॉर्डों का उपयुक्त रखरखाव किया है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. के दिशा-निर्देशों 2010 में उल्लेखित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. एक मामले में दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर 4 महीने से अधिक है

ख. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है

ग. व्हिसल ब्लोअर नीति लागू नहीं की गई है

घ. लेखापरीक्षा समिति की 4 न्यूनतम बैठकें नहीं हुई हैं

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 28.07.2022

कृते बी.आर.के.एस. और एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(बी राजेश्वर राव)
साझेदार
UDIN: F009940D000698364

BRKS & Associates
Company Secretaries
First Floor, 76, Sri Sai Krupa, Phase - 2, Cascading Meadows, Maragondanahalli, T C Palya, K R Puram, Bangalore - 560036

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सी.एस.आर. और एस.डी.) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों के सिंहालोकन सहित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास (सी.एस.आर. और एस.डी.) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा।**

एनसिल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में समग्र सामाजिक प्रगति, मानव जाति के विकास, पर्यावरण एवं अपने जीवों के प्रति आदर के साथ अपनी व्यावसायिक नीतियों और पद्धति के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन करता है। हमारी सी.एस.आर. नीति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 एवं कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सी.पी.एस.ई. के लिए दिशानिर्देशों के तहत तैयार की गई है।

एनसिल का मानना है कि प्रत्येक व्यावसायिक यूनिट के पास उस समाज को लौटाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए, जिसमें वह संचालित होता है। कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांत इसकी सी.एस.आर. पहलों के साथ मेल खाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के साथ-साथ इसके आस-पास का समाज भी विकसित हो।

कंपनी ने अपनी सी.एस.आर. गतिविधि के भाग के रूप में, गुजरात के नर्मदा जनपद और कर्नाटक में यादगिरि जनपद को डी.पी.ई. द्वारा चिह्नित सूची के अनुसार महत्वाकांक्षी जनपदों के रूप में अपनाया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनसिल ने विभिन्न क्षेत्रों में पहचान की गई जरूरतों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सी.एस.आर. परियोजनाओं/गतिविधियों की शुरुआत की है, जैसे:

* अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने स्वास्थ्य और पोषण के साथ,
* नर्मदा, गुजरात और यादगिरि, कर्नाटक के महत्वाकांक्षी जनपदों में सी.एस.आर. गतिविधि
* शिक्षा
* सामाजिक न्याय व अधिकारिता
* संवहनीय विकास
* स्वच्छता
* कौशल विकास
* खेल-कूद

कंपनी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम कंपनी अधिनियम 2013 के कार्यढांचे के तहत हैं और डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन कर रहे हैं। कंपनी की सी.एस.आर. और एस.डी. नीति का वेब-लिंक https://www.nsilindia.co.in/csr है ।

2. **सी.एस.आर. और एस.डी. समिति की संरचना:**

कंपनी के पास सी.एस.आर. और एस.डी. गतिविधियों के कार्यान्वयन की सिफारिश करने और पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड स्तर की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संवहनीय विकास समिति है। 31 मार्च 2022 के अनुसार समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

(क) श्री नीरज सिन्हा - अध्यक्ष

(ख) श्रीमती उमा शेखर - सदस्य

(ग) डॉ. एम. सुब्रमण्यम - सदस्य

(घ) श्री ए.अरुणाचलम - सदस्य

3. **कंपनी का औसत निवल लाभ:**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित सी.एस.आर. और एस.डी. निधि आवंटन प्राप्त करने के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ निम्नानुसार है :-

वर्ष	निवल लाभ/(हानि) (रु. लाख में)
2019-20	6,811.72
2020-21	16,313.25
औसत निवल लाभ	11,562.49
औसत लाभ का 2%	231.25
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित सी.एस.आर. और एस.डी. निधि	231.25

4. **वित्त वर्ष के दौरान सी.एस.आर. और एस.डी. निधि का क्षेत्रीय आवंटन:**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सी.एस.आर. और एस.डी. निधि का क्षेत्रीय आबंटन निम्नानुसार था:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. लाख में)
1	अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य और पोषण	141.19
2	नर्मदा, गुजरात और यादगिरि, कर्नाटक नामक महत्वाकांक्षी जिलों में सी.एस.आर. गतिविधि	20.00
3	शिक्षा	24.20
4	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	5.00
5	संवहनीय विकास	10.96
6	स्वच्छता	11.68
7	कौशल विकास	10.00
8	खेल-कूद	3.00
9	अन्य	5.22
	कुल	**231.25**

5. **वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई आबंटित सी.एस.आर. और एस.डी. निधि का ब्यौरा**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सी.एस.आर. और एस.डी. निधि का क्षेत्रीय आवंटन निम्नानुसार था:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. लाख में)
1	प्रारंभिक राशि (अव्ययित प्रतिबद्ध राशि)	66.57
2	वर्तमान वर्ष के दौरान उपरोक्त में से व्यय की गई राशि	64.84
3	वर्तमान वर्ष के दौरान उपरोक्त में से निर्धारत निधि हेतु हस्तान्तरित राशि	1.73

4	पिछले वर्ष (र्षों) के लिए आबंटित निधि की शेष राशि	कुछ नहीं
5	वित्तीय वर्ष 2021-22 आबंटित राशि	231.25
6	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	95.21
7	2022-23 में निर्धारित निधि के लिए स्थानान्तरित गैर-प्रतिबद्ध राशि	3.96
8	अलग बैंक खाते में रखी गई प्रतिबद्ध शेष राशि	132.08

क) उपरोक्त क्षेत्रीय आबंटन के अनुसार परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई/प्रतिबद्ध राशि का विवरण **परिशिष्ट-1** में दर्शाया गया है ।

ख) डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एनसिल मौजूदा परियोजनाओं के लिए आबंटित निधि को एक अलग बैंक खाते में रख रहा है।

ग) रु. 3.96 लाख की गैर-प्रतिबद्ध सी.एस.आर. एवं एस.डी. निधि, निर्धारित देय तिथि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध निधि में जमा करा दी गई है ।

घ) सी.एस.आर. एवं एस.डी. का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरन, सी.एस.आर. एवं एस.डी. उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति का अनुपालन करती है।

हस्ता/-
राधाकृष्णन डी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
नीरज सिन्हा
अध्यक्ष, सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29/09/2022

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय की गई सी.एस.आर. व एस.डी. परिव्यय राशि के लिए परियोजनाएं और शीर्ष								
क्र. सं.	सी.एस.आर. परियोजना या क्षेत्र के साथ गतिविधि	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना/ कार्यक्रम का स्थान	परिव्यय राशि (बजट)	वर्ष के लिए सी.एस.आर. व्यय (राशि रु. में)			निष्पादन का माध्यम: प्रत्यक्ष या एजेंसी
					व्यय राशि	प्रतिबद्धता लंबित	कुल	
1	स्वास्थ्य और पोषण							
i	28 पी.एच.सी. और मूलभूत जीवन सहायक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराना	जिला कलेक्टर, नर्मदा	गुजरात, नर्मदा जिला	47,40,000	14,22,000	33,18,000	47,40,000	प्रत्यक्ष
ii	सरकारी जिला अस्पताल में इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायग्नोस्टिक मशीन मुहैया कराना, और शोरापुर तालुक, यादगिरि जिले में संयंत्र के लिए विद्युतीकरण कार्य करना	जिला कलेक्टर, यादगिरि	यादगिरि, कर्नाटक	20,00,000	6,00,000	14,00,000	20,00,000	प्रत्यक्ष
iii	विरुधुनगर, तमिलनाडु (महत्वाकांक्षी जिला) में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकरण	जिला चिकित्सा अधिकारी, जन स्वास्थ्य केंद्र, विरुधुनगर	तमिलनाडु	13,93,000	2,78,600	11,14,400	13,93,000	प्रत्यक्ष
iv	कालसी प्रखंड के चयनित गांवों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, एन.जी.ओ. देहरादून	उत्तराखंड	13,14,150	3,94,245	9,19,905	13,14,150	प्रत्यक्ष
v	बेघर महिलाओं में नशाखोरी की रोकथाम	नई दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास, एन.जी.ओ.	दिल्ली	10,64,000	3,19,200	7,44,800	10,64,000	प्रत्यक्ष
vi	मुधुमलाई टाइगर रिजर्व एरिया, ननीर ग्रामम-2- थेप्पाकाडु गांव में पेयजल मुहैया करना	तमिलनाडु में नीलगिरि आदिवासी एन.जी.ओ. संघ	तमिलनाडु	8,75,000	2,62,500	6,12,500	8,75,000	प्रत्यक्ष
vii	कृषि पर ध्यान देने के साथ मानसिक रूप से विकलांगों का कौशल विकास	केरल स्थित केंद्रीय मानसिक मंदता संस्थान, एनजीओ	केरल	6,24,000	1,87,200	4,36,800	6,24,000	प्रत्यक्ष

viii	दिव्यांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) को आवश्यक सहायक और अनुकूली उपकरणों और आजीविका के अवसर के साथ सक्षम बनाना, उपकरण प्रदान करना और सशक्त बनाना	बेंगलुरु स्थित दिव्यांग संघ, एनजीओ	कर्नाटक	6,07,900	6,07,900	-	6,07,900	प्रत्यक्ष
ix	भारत को भूख मुक्त बनाना - बेंगलूरु स्थित उनके रसोईघर में दूध पैकिंग और एल.आई.डी. रैक के लिए स्टेनलेस-स्टील इंसुलेटेड टैंक की खरीद	बेंगलुरु स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन	कर्नाटक	5,91,003	2,95,502	2,95,501	5,91,003	प्रत्यक्ष
x	मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल के लिए सुविधा के लिए अंशदान	तमिलनाडु स्थित शीज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन, एन.जी.ओ.	तमिलनाडु	5,00,000	1,50,000	3,50,000	5,00,000	प्रत्यक्ष
xi	कोविड टीकाकरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) में लैपटॉप तथा प्रिंटर उपलब्ध कराना	तेलंगाना में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवदेन केंद्र के माध्यम से	तेलंगाना	1,60,000	1,60,000	-	1,60,000	इसरो केंद्र
xii	अनाथालय में रहने वालों को कपड़े, चादर और तौलिये उपलब्ध करना	तमिलनाडु के एन.जी.ओ. यूनाइटेड विकलांग अनाथालय	तमिलनाडु	2,50,000	2,50,000	-	2,50,000	प्रत्यक्ष
2	**आकांक्षापूर्ण जिले**							
i.	सरकारी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक पाठशालाओं को विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराना	जिलाधीश, नर्मदा	गुजरात	10,00,000	3,00,000	7,00,000	10,00,000	प्रत्यक्ष
ii.	जिला अस्पताल में उपभोज्यों के साथ प्रवाहकारक मार्कर नैदानिक मशीन उपलब्ध कराना	जिलाधीश, यादगिरि	कर्नाटक	10,00,000	3,00,000	7,00,000	10,00,000	प्रत्यक्ष
3	**शिक्षा**							
i.	सरकारी पाठशाला, करिप्पुर को अवसंरचना/वस्तुएं उपलब्ध कराना	केरल में इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के माध्यम से	केरल	19,16,965	19,16,965	-	19,16,965	इसरो केंद्र
ii.	आदिवासी बच्चों के लिए कैरियर मार्गों का निर्माण करना	मध्य प्रदेश के एन.जी.ओ., मृदा शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी	मध्य प्रदेश	5,03,500	1,51,050	3,52,450	5,03,500	प्रत्यक्ष

4	**सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण**							
i.	महिलाओं को कानूनी पहुचं सेवाएं उपलब्ध कराना	मेघालय का ग्रासरूट, एन.जी.ओ.	मेघालय	5,00,000	2,50,000	2,50,000	5,00,000	प्रत्यक्ष
5	**संवहनीय विकास**							
i.	बूरुगुपल्ली गांव के पास जारेबंडा वंका के ऊपर एक बैराज का निर्माण	बेंगलूरु का एन.जी.ओ., मैसूर पुनरावास तथा विकास एजेंसी (माइराडा)	आंध्र प्रदेश	10,96,000	3,28,800	7,67,200	10,96,000	प्रत्यक्ष
6	**स्वच्छता**							
i.	चेन्नागिरि तालूका होडिगेरे की सरकारी उच्च प्राथमिक पाठशाला में शौचालय का निर्माण	इसरो के सिविल इंजीनियरी कार्यक्रम कार्यालय के माध्यम से	कर्नाटक	10,48,000	5,24,000	5,24,000	10,48,000	इसरो
ii.	छात्राओं के लिए सैनिटरी पैडों का वितरण तथा मासिक धर्म स्वच्छता	इसरो मु. के माध्यम से	ब्याडगी तालुका, हावेरी जिला	1,20,000	60,000	60,000	1,20,000	इसरो
7	**कौशल विकास**							
i.	बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन तथा डिजाइन विकास प्रशिक्षण	गुवाहाटी का एन.जी.ओ., राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि	असम	5,00,000	2,50,000	2,50,000	5,00,000	प्रत्यक्ष
ii.	समग्र ग्रामीण आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय बालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वास्थ्य देख-भाल)	सी.आर.टी.डी.पी., नागपुर, महाराष्ट्र का एन.जी.ओ.	नागपुर	5,00,000	1,50,000	3,50,000	5,00,000	प्रत्यक्ष
8	**खेल**							
i.	दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट प्रशिक्षण	बेंगलूर का एन.जी.ओ., मेसर्स समर्थनम ट्रस्ट	कर्नाटक	3,00,000	3,00,000	-	3,00,000	प्रत्यक्ष
9	**अन्य**							
i.	चित्रदुर्ग के चल्लकेरे सरकारी अस्पताल में नवनिर्मित शौचालय कॉम्प्लेक्स में छह कंक्रीट बेंचों का निर्माण	मेसर्स सुलभ, बेंगलूरु	कर्नाटक	1,25,165	62,582	62,583	1,25,165	प्रत्यक्ष
	कुल			**2,27,28,683**	**95,20,544**	**1,32,08,139**	**2,27,28,683**	

Chartered Accountants
24, 4th Main Road,
Malleswaram,
Bengaluru - 560 003.
INDIA

Tel : +91 - 80 - 23348805
Mob. : +91 98440 56359
E-mail: shanbhogue_k_r@yahoo.com

PAL & SHANBHOGUE

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया, जिसमें अन्य समग्र आय सहित 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, तब समाप्त हुए वर्ष के शेयर में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य विवरणात्माक सूचनाओं के सार सहित (अब से "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरणों के लिए नोट शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("भारतीय लेखा मानक") तथा 31 मार्च 2022 तक भारत में कंपनी के मामलों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों तथा उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, कुल समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह की पुष्टि में सही एवं सटीक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एस.ए.) के अनुसार निष्पादित की। उन मानकों के तहत, हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में बताए गए हैं। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आचारनीति संबंधी आवश्यकताओं और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार, हम कंपनी के अधीन नहीं हैं, तथा इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुरूप हम अपनी अन्य आचारनीति आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त है तथा हमारी राय के लिए आधार प्रदान करता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अन्य सूचना के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड के रिपोर्ट में शामिल सूचना आती है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं होती।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों पर अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उसके निष्कर्ष पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों से असंगत है या अन्य सूचना में क्या लेखापरीक्षा में या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई हमारी जानकारी गलत प्रतीत होती है।

यदि हम अपने द्वारा किये कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में एक तथ्यात्मक गलती है, तो हमें इस तथ्य को बताने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा संबंधी मामले

हमारे व्यावसायिक समझ-बूझ में, मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो वर्तमान अवधि में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से स्टैंडअलोन, वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के विषय में, तथा उस पर हमारी राय में इन मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों पर हम अलग से राय नहीं देते। यहाँ रिपोर्ट किये जाने के लिए कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए सुशासन हेतु जिम्मेदार प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा प्रतिमानों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पांदन और नकद प्रवाह का सही और उचित जानकारी देने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 134(5) में बताये गए मामलों के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों के चुनाव और उपयोग के लिए, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे तथा सही और उचित जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए सुसंगत और धोखाधड़ी या गलती के चलते किसी तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण से मुक्त प्रचुर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव के लिए, इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव भी शामिल है।

यदि निदेशकों का बोर्ड या तो कंपनी को समाप्त करने या कामकाज को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उनके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई और मजबूत विकल्प नहीं है, तो वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशकों का दल व्यवसाय को जारी रखने, व्यवसाय से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण तथा लेखा के व्यवसाय आधार का उपयोग करने की कंपनी की योग्यता का निर्धारण करने के लिए उत्तीरदायी है।

निदेशकों का बोर्ड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त है, तथा हमारा उद्देश्य हमारी राय सहित लेखापरीक्षक के रिपोर्ट को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह कोई गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण होने का निश्चित पता लगा पाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो सकते हैं, तथा यदि वे अकेले या समूह में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को वाकई प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें तथ्यात्मक माना जाता है।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न कार्य भी करते हैं :

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के वास्तविक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों

के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावी रूप में हो रहा है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री संबंधि अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए, हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना समाप्त किया जा सकता है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से, या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिनका हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चलता है, अभिशासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जो अभिशासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं। शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उनको प्रकट करने से प्राप्त होने वाले लोक हित से कहीं अधिक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई हैं।

(ग) तुलन पत्र, अन्य समग्र आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकद प्रवाह विवरण खाता नही के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए गए 31 मार्च 2022 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च 2022 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, "अनुलग्नक क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और पूर्ण जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

(ii) कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक वास्तविक अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, उसके लिए प्रावधान किया है।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज समझ के साथ कंपनी द्वारा अथवा कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") की ओर से किसी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में मध्यस्थ, जोकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी कोई वस्तु प्रदान करेगा, वैसी विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को कंपनी द्वारा कोई निधि अग्रिम या उधार या निवेश (उधार ली गई निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोतों या ऐसी निधियों से प्राप्त कर) के रूप में नहीं दी गई है।

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज समझ के साथ निधि प्रदाता पक्ष ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं में कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उधार देगा अथवा निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा कोई ऐसी वस्तु प्रदान करेगा, वैसी विदेशी संस्थाओं ("निधि प्रदाता पक्षों") सहित किसी अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को कंपनी द्वारा कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है; और

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें लेखापरीक्षक ने परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना है, उनके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, उसमें कोई गलत विवरण किया गया है।

v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

2. जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, "अनुलग्नक ख" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार आवश्यक है, हम "अनुबंध ग" में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

पाल और शानभोग
चार्टर्ड लेखाकार की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या:002528S

(हस्ता./-)
के. आर. शानभोग
भागीदार
सदस्यता सं.:0185578

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 06 अगस्त, 2022
यू.डी.आइ.डी.एन.22018578ए.ओ.एन.टी.टी.एस.7339

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के खंड में रिपोर्ट के तहत पैरा 1 (छ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 तक न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन तथा रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना और उनका रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय देना है। वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किये जाने हेतु उपयुक्त तथा आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों - दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा हेतु लागू तथा दोनों भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी - जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहाँ तक लागू हो, उसके अनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा संपादित की। उन मानकों तथा मार्गदर्शी 168 नोट की अपेक्षा यह है कि हम आचारनीति संबंधित आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन पाने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया तथा उन्हें बनाए रखा गया, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मतक पहलुओं में प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किये गए, हम लेखा परीक्षण करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावपूर्णता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा में निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी तथ्यात्मक गलती के होने के जोखिम का अनुमान लगाना, तथा अनुमानित जोखिम पर आधारित डिजाइन की जाँच तथा मूल्यांकन करना और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता का संचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या गलती के चलते वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक अशुद्धता के जोखिम के अनुमान सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य तथा स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण को तैयार करने के बारे में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गयी एक

प्रक्रिया होती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव के बारे में है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा निपटान को पूर्ण विवरण के साथ सही-सही दर्शाते हैं; (2) सुसंगत आश्वासन देते हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लेन-देन आवश्यपक रूप से दर्ज किये जाते हैं; तथा कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार बनायी जा रही हैं; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण का समय से जाँच तथा रोकथाम, उपयोग, या निपटान के बारे में सुसंगत आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:

नियंत्रणों के टकराव की संभावना या अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक अशुद्धि हो सकती है तथा जिसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी राय का प्रकटीकरण जोखिम के अधीन है तथा शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम पाते हैं कि कंपनी ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाये रखा है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को प्रभावपूर्ण तरीके से कंपनी का प्रचालन किया जा रहा था।

पाल और शानभोग
चार्टरित लेखाकार के लिए
फर्म पंजीकरण संख्या:002528S

PAL & SHANBHOGUE
FRN:002528S
Bengaluru
Chartered Accountants

(हस्ता./-)
के. आर. शानभोग
भागीदार
सदस्यता सं.:0185578

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 06 अगस्त, 2022
यू.डी.आइ.डी.एन.22018578ए.ओ.एन.टी.टी.एस.7339

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(सम दिनांक की न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' के भाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी पूर्ण जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांच की गई खाता बहियों तथा अभिलेखों के अनुसार, हम यह उल्लेख करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में:

(क) कंपनी ने परिमाणात्मक ब्यौरा और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रख-रखाव किया है तथा अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित दस्तावेज़ का रख-रखाव कर रही है।

(ख) उचित अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वास्तविक रूप से जांच की गई है। हमें दी गई सूचना के अनुसार, ऐसी जांच में कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्तियां नहीं हैं। अतः, कंपनी के नाम पर स्वत्वाधिकार विलेख कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने सहित) का पुनर्मूल्यन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में यथासंशोधित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी प्रकार की बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3(ii) (क) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कभी भी 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी मंजूर नहीं की गई है। अतः, आदेश के खंड (ii) (ख) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) कंपनी ने न तो कोई निवेश किए हैं और ना ही कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी एवं किन्हीं अन्य पक्षकारों, जो सुरक्षित या अप्रत्याभूतित ऋणों के रूप में कोई गारंटी या सुरक्षा मुहैया कराई है या कोई ऋण या अग्रिम दिया है। अतः, आदेश के अनुच्छेद 3 (iii) के खंड (क) से (छ) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iv) हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की संवीक्षा के अनुसार, कंपनी ने न कोई ऋण दिया है, ना ही कोई निवेश किया है, ना कोई गांरटी और प्रतिभूति दी है। अतः, कंपनी अधिनियम के खंड 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन तथा आदेश के खंड 3 (iv) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा खाता-बही और अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। अतः, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या सार्वजनिक रूप से जमा की स्वीकृति से संबंधित कंपनी अधिनियम एवं कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति), 2015 के अन्य संगत सूचना देना तथा आदेश के खंड 3(v) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उप-खंड (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड (3) (vi) के अंतर्गत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा सामग्री वैधानिक बकाया राशियों सहित निर्विवादित वैधानिक बकाया राशियों से संबंधित खाता-बही में कटौती, उपार्जित राशियों को उचित प्राधिकरणों से कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा किया गया। हमें दी गई सूचना

और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में कोई भी निर्विवादित देय राशि, 31 मार्च, 2022 में देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। अतः आदेश को खंड 3(vii) (क) के तहत सूचना देना लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई विवादित बकाया नहीं है। अत:, आदेश के खंड 3 (vii) (ख) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(viii) पूर्व में गैर-अभिलेखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं किए गए, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर मूल्यांकनों में वर्ष के दौरान आय के रूप में वापस या प्रकट की गई हो।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी देनदार से न तो कोई ऋण और ना ही कोई उधार लिया है। अत:, आदेश के खंड 3 (ix) (क) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जान-बूझकर बकायादार घोषित नहीं किया गया है। अत:, आदेश के खंड 3 (ix) (ख) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया है तथा वर्ष के प्रारंभ में कंपनी पर कोई मियादी ऋण बकाया नहीं है। अत:, आदेश को खंड 3 (ix) (ग) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने के बाद, वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि संचित नहीं की गई है। अत:, आदेश को खंड 3 (ix) (घ) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ङ.) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम नहीं है। अत:, आदेश को खंड 3 (ix) (ङ.) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण लिया है और ना ही उसके पास सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी है। अत:, आदेश को 3 (ix) (च) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के जरिए धन संग्रह नहीं किया है। अत:, आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई पक्षपातपूर्ण आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या परिवर्तनीय ऋणपत्र (विकल्पत: पूर्ण या आंशिक) नहीं किया है। अत:, आदेश को खंड 3 (x) (ख) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) (क) वर्ष के दौरान, न तो कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी या कंपनी पर किसी सामग्री की धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त है या उसकी रिपोर्ट की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (क) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की आज की तारीख तक, केंद्रीय सरकार के कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत यथा निर्धारित प्रपत्र ए.डी.टी.-4 में कंपनी अधिनियम के खंड 143 के उप-खंड (12) के तहत कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। अत:, आदेश के खंड 3 (xi) (ख) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की आज की तारीख तक) कोई भी विसल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं। अत:, आदेश के खंड 3 (xi) (ग) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) हमारी राय में, तथा हमारी पूर्ण जानकारी और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (क) से (ग) तक की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, तथा ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा यथा आवश्यक वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यापार के विस्तार एवं प्रकृति के अनुरूप समुचित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

(ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय तथा सीमा के निर्धारण में लिए वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया है।

(xv) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने उसके निदेशकों या उसके निदेशकों से जुड़े लोगों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकदी

लेन-देन नहीं किया है। अतः, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 192 के प्रावधान तथा आदेश के खंड 3 (xv) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ.ए. के तहत कंपनी को पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख), (ग) तथा (घ) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किये गये वित्त वर्ष तथा उसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है। अतः, आदेश के खंड 3 (xvii) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखापरीक्षकों ने त्यागपत्र नहीं दिया है। अतः, आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, काल प्रभावन वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान की, वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं में हमारी जानकारी तथा पूर्वधारणाओं के समर्थन में प्राप्त साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि तक मौजूद देयताओं तथा तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष के अंदर आने वाले देय को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यावहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की आज की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो कोई गारंटी और ना ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर आने वाली सभी देयताओं का भुगतान कंपनी द्वारा देय तिथि के अंदर किया जाएगा।

(xx) (क) कंपनी ने, चालू सी.एस.आर. एवं एस.डी. परियोजनाओं के अलावा, अव्ययित सी.एस.आर. एवं एस.डी. आबंटित राशि का कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में वित्त वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण किया है।

(ख) कंपनी ने, चालू सी.एस.आर. एवं एस.डी. परियोजनाओं की अव्ययित शेष राशि का कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के परंतुक के अनुपालन में विशेष खाते में अंतरण किया है।

(xxi) कंपनी एक स्टैन्डअलोन कंपनी है। अतः, आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत सूचना देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते **पाल एवं शानभोग**
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.002528S

हस्ता/-
(के. आर. शानभोग)
भागीदार
सदस्यता सं. : 018578

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06 अगस्त, 2022
यू.डी.आइ.एन.: 22018578ONTTS7339

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ग'

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए सम तिथी की हमारी रिपोर्ट की "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के जरिए सभी लेखा संबंधी लेन-देन करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखा की विश्वसनीयता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर किए गए लेखा संबंधी लेन-देन करने के निहितार्थ भी बताए जाएं।	यह कंपनी अपने सभी वित्तीय तथा लेखा संबंधी लेन-देनों को रिकॉर्ड करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बाहर से की जाती हैं: 1. विदेशी प्राप्य तथा देय राशियों का लेन-देन 1. कर्मचारी हितकारी व्ययों का अभिकलन; तथा 2. वार्षिक वित्तीय दस्तावेजों की तैयारी। हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास उपयुक्त रूप से इन सभी लेन-देन के मॉनीटरन तथा नियंत्रण हेतु प्रणाली मौजूद है।
2	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के चलते कंपनी के ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण या मामले या ऋण हेतु बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या इन मामलों का उपयुक्त रूप से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान/छूट आदि) का इसकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप समुचित ढंग से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? इससे विचलन के मामले बताए जाएं।	कंपनी ने केंद्रीय/राज्य एजेंसियों विशेष योजनाओं के लिए न कोई निधि प्राप्त की है, ना ही इसके पास ऐसी कोई प्राप्य निधि है।

कृते **पाल एवं शानभोग**
चार्टरित लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE FRN 002528S Bengaluru Chartered Accountants

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
भागीदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आइ.एन.: 22018578AONTTS7339

दिनांक: 06 अगस्त 2022
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यढांचे के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नयूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। बताया गया है कि ऐसा उनकी दिनांक 06.08.2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से संवैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांचों तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ध्यान में कुछ भी उल्लेखनीय बात नहीं आई है, जिससे इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत, वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक उत्पन्न होता हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
लेखापरीक्षक महानिदेशक
पर्यावरण तथा वैज्ञानिक विभाग

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.09.2022

31 मार्च 2022 तक का अनुसार तुलन-पत्र

राशि लाख में

	विवरण	नोट सं.	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	01.04.2020 तक
	परिसम्पत्तियाँ:				
(1)	**निवर्तमान परिसंपत्तियाँ**				
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4A	4,11,855.09	50.27	52.14
	(ख) जारी पूँजीगत कार्य	4B	33,866.09	-	-
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4C	3.24	0.33	6.18
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4D	29.93	7.55	7.55
	(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-	-
	(i) निवेश		-	-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
	(iii) ऋण		-	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	13,807.08	15,447.78	6,214.61
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-	-
	(छ) अन्य निवर्तमान परिसम्पत्तियाँ	6	37.96	103.88	-
	कुल निवर्तमान परिसंपत्तियाँ		**4,59,599.39**	**15,609.81**	**6,280.48**
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**				
	(क) वस्तु सूचियाँ		-	-	-
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) निवेश		-	-	-
	(ii) प्राप्य व्यापार	7	82,602.58	69,915.54	3,789.81
	(iii) नकद और नकद समतुल्य	8	2,946.78	4,561.88	614.33
	(iv) अन्य बैंक शेष	9	1,75,938.58	46,801.03	5,722.43
	(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति	10	58,943.33	3,331.45	311.95
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	11	13,337.47	3,404.27	4,601.35
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**3,33,768.74**	**1,28,014.17**	**15,039.87**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**7,93,368.13**	**1,43,623.98**	**21,320.35**
	इक्विटी एवं देयताएं:				
	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	91,000.00	1,000.00	1,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	53,177.47	18,878.85	4,529.32
	कुल इक्विटी		**1,44,177.47**	**19,878.85**	**5,529.32**
	देयताएं				
(1)	**निवर्तमान देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	14	2,633.19	-	-
	(ii) व्यापार देय		-	-	-
	(ख) प्रावधान	15	8.19	0.82	-
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	27	3,088.25	1.28	1.08
	(घ) अन्य निवर्तमान देयताएं		-	-	-
	कुल निवर्तमान देयताएं		**5,729.63**	**2.10**	**1.08**

(2)	**वर्तमान देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) व्यापार देय	16			
	(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		14.04	0.07	2.25
	(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		6,23,067.52	1,16,382.33	11,327.08
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	5,166.67	5,818.74	293.29
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	18	5,633.95	439.23	4,071.09
	(ग) प्रावधान	19	9,578.85	1,102.66	96.24
	कुल वर्तमान देयताएं		**6,43,461.03**	**1,23,743.03**	**15,789.95**
			-	-	-
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**7,93,368.13**	**1,43,623.98**	**21,320.35**

महत्वपूर्ण लेखानीतियों तथा साथ में प्रस्तुत नोट, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 002528S

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

के.आर. शानभोग
पार्टनर
आइ.सी.ए.आइ. सदस्यता सं. 18578

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति
डी.आइ.एन.: 0009262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आइ.एन.:08382973

के. रेणु
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022
आइ.सी.ए.आइ. यू.डी.आइ.एन. : 22018578AONTTS7339

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022

31-03-2021 को समाप्त अवधि का लाभ तथा हानि लेखा

राशि लाख में

	विवरण	नोट सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष हेतु आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछील रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	20	1,67,476.84	51,330.71
II	अन्य आय	21	5,707.60	1,240.37
III	**कुल आय (I +II)**		**1,73,184.44**	**52,571.08**
IV	**व्यय:**			
	(i) प्रचालन से राजस्व की लागत	22	67,381.31	30,524.26
	(ii) व्यवसाय में स्टॉक की खरीददारियां		-	-
	(iii) व्यवसाय में स्टॉक की वस्तु-सूचियों में परिवर्तन		-	-
	(iv) कर्मचारी हितकारी व्यय	23	298.87	254.04
	(v) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	24	58,002.69	22.59
	(vi) अन्य व्यय	25	1,586.45	485.96
	कुल व्यय		**1,27,269.32**	**31,286.85**
V	**अपवादात्मक मदों तथा कर पूर्व लाभ (III-IV)**		45,915.12	21,284.23
VI	अपवादात्मक मदें		-	
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		45,915.12	21,284.23
VIII	**कर व्यय:**			
	(i) वर्तमान कर :			
	क) वर्तमान कर	26	9,573.91	4,148.28
	ख) पूर्व के वर्ष		(1,044.37)	1,246.21
	(ii) आस्थगित कर	27	3,086.97	0.20
			-	-
			-	-
IX	**प्रचालन जारी रखने की अवधि के लाभ (VII-VIII)**		**34,298.62**	**15,889.54**
X	**अन्य विस्तृत आय**			
	क (i) मदें, जो लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं की जाएंगी			
	क (ii) निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		-	-
	क (iii) मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
XI	ख (i) मदें, जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	ख (ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत की जाएंगी।		-	-
	कुल अन्य विस्तृत आय/(हानि)		-	-
XII	**अवधि हेतु कुल विस्तृत आयकर (X+XI)(लाभ (हानि) और अन्य विस्तृत आयकर)**		**34,298.62**	**15,889.54**
XIII	इक्विटी प्रति शेयर आय (प्रचालन जारी करने हेतु):			
	(1) मूल/समायोजित (भा.रा.रु.)	28	12.12	158.90
	(2) विभाजित (भा.रा.रु.)		12.12	158.90

महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी तथा साथ में प्रस्तुत नोट, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
व्यवसाय पंजीकरण सं.: 002528S

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

के.आर. शानभोग
पार्टनर
आइ.सी.ए.आइ. सदस्यता सं.18578

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति
डी.आइ.एन.: 0009262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आइ.एन.:08382973

के. रेणु
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022
आइ.सी.ए.आइ. यू.डी.आइ.एन. : 22018578AONTTS7339

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022

इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

राशि लाख में

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

01.04.2021 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्वावधिक त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में दोहराई गई शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2022 की चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेष राशि
1000	-	1,000	90,000	91,000

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

01.04.2020 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्वावधिक त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में दोहराई गई शेष राशि	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,000	0	1,000	0	1,000

(3) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

01.04.2019 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्वावधिक त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में दोहराई गई शेष राशि	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
-	0	-	1,000	1,000

ख. अन्य इक्विटी

(1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							कंपनी के इक्विटी भागीदारों के कारण कुल इक्विटी
	पूँजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षित निधि	धारित आय	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से इक्विटी	प्रतिबंधित नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य विस्तृत आय की अन्य मदें	
01 अप्रैल 2021 तक शेष राशि				18,878.86				18,878.86
वर्ष के लिए लाभ				34,298.62				34,298.62
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ				-				-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि				34,298.62				34,298.62
चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय				34,298.62				34,298.62
लाभांश				-				-
प्रतिधारित आय में अंतरण				-				-
कोई अन्य परिवर्तन								
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि				53,177.48				53,177.48

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

विवरण	आरक्षित और अधिशेष							कंपनी के इक्विटी भागीदारों के कारण कुल इक्विटी
	पूँजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षित निधि	धारित आय	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से इक्विटी	प्रतिबंधित नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य विस्तृत आय की अन्य मदें	
01 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि				4529.32				4,529.32

वर्ष के लिए लाभ				15,889.54				15,889.54
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ				-				-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि				-				-
चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय				15,889.54				15,889.54
लाभांश				1,540.00				1,540.00
प्रतिधारित आय में अंतरण				-				-
कोई अन्य परिवर्तन								
31 मार्च, 2021 तक शेष राशि				18,878.86				18,878.86
(3) पिछली रिपोर्टिंग अवधि								
विवरण	**आरक्षित और अधिशेष**							**कंपनी के इक्विटी भागीदारों के कारण कुल इक्विटी**
	पूँजी आरक्षित	**प्रतिभूति प्रीमियम**	**सामान्य आरक्षित निधि**	**धारित आय**	**अन्य विस्तृत आयकर कार्यालयों से इक्विटी भाग**	**प्रतिबंधित नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग**	**अन्य विस्तृत आय का अन्य मद**	
01 अप्रैल, 2019 तक शेष राशि				-				-
वर्ष के लिए लाभ				4,529.32				4,529.32
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ				-				-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि				-				-
चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय				4,529.32				4,529.32
लाभांश				-				-
प्रतिधारित आय में अंतरण				-				-
कोई अन्य परिवर्तन				-				-
31 मार्च, 2020 तक शेष राशि				4,529.32				4,529.32

महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी तथा साथ में प्रस्तुत नोट, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
व्यवसाय पंजीकरण सं.: 002528S

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

के.आर. शानभोग
पार्टनर
आइ.सी.ए.आइ. सदस्यता सं. 18578

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति
डी.आइ.एन.: 0009262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आइ.एन.:08382973

के. रेणु
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022
आइ.सी.ए.आइ. यू.डी.आइ.एन. : 22018578AONTTS7339

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह लेखा

राशि लाख में

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**45,915.12**	**21,284.23**
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		58,002.69	22.59
अचल संपत्तियों की बिक्री से हानि		0.24	0.43
बैंक जमा पूँजी से ब्याज लाभ		(5,707.58)	(1,240.36)
अनिश्चित ऋणों हेतु प्रावधान		204.26	-
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप व्यय		231.25	138.00
अप्राप्य विदेशी मुद्रा (वाइ.इ.सी.टी.)		163.49	158.34
		-	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन लाभ		**98,809.48**	**20,363.23**
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों में बदलाव			
अन्य निवर्तमान वित्तीय संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		1,640.70	(9,233.17)
अन्य निवर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		65.92	(103.89)
(व्यापार प्राप्य राशियों का (बढ़ना)/ घटना		(12,891.30)	(66,125.73)
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		(55,611.88)	(3,019.50)
अन्य वर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		(9,933.18)	1,197.08
निवर्तमान प्रावधानों का बढ़ना/ (घटना)		7.38	0.82
निवर्तमान दायित्वों का (बढ़ना)/घटना		2,633.19	-
व्यापार देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		5,06,699.17	1,05,053.06
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		(652.07)	5,525.45
अन्य वर्तमान देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		5,194.72	(3,631.85)
वर्तमान प्रावधानों का बढ़ना/ (घटना)		8,476.19	1,006.42
कार्यकारी पूंजी में निवल परिवर्तन		**4,45,628.81**	**30,668.69**
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		5,44,438.29	51,031.92
कमी: भुगतान किए गए आयकर (निवल)		(8,529.54)	(5,394.49)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल पूँजी/(उपयोग में)	[क]	**5,35,908.75**	**45,637.43**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
अचल संपत्तियों की बिक्री/(खरीद)		(5,03,698.89)	(15.34)
अचल परिसंपत्तियों के बिक्री से हानि		(0.23)	0.04
बैंक में जमा पूँजी से प्राप्त ब्याज		5,707.58	1,240.36
		-	-

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	[ख]	**(4,97,991.55)**	**1,225.06**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
लाभांश का भुगतान		-	(1,540.00)
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप व्यय		(231.25)	(138.00)
शेयर जारी करना		90,000.00	-
वित्तीय क्रियाकलापों में निवल पूँजी का उपयोग	[ग]	**89,768.75**	**(1,678.00)**
नकद तथा नकद समतुल्य बदलाव पर विनिमय दर का प्रभाव (वाइ.इ.सी.टी.)		(163.49)	(158.34)
घ. नकद तथा नकद समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी [क+ख+ग]	[घ]	1,27,522.46	45,026.15
वष के शुरूआत में नकद तथा नकद समतुल्य (नोट 11 & 12 का संदर्भ लें)	[ङ]	51,362.91	6,336.76
वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य (नोट 11 & 12 का संदर्भ लें) [घ+ङ]		**1,78,885.36**	**51,362.91**

उपरोक्त नकद प्रवाह लेखा "अप्रत्यक्ष पद्धति' " के तहत तैयार किया गया है, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा जारी आइ.एन.डी. ए.एस.-7 'नकद प्रवाह लेखा' में दिया गया है।

जहां कहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित एवं/नए समूह में रखा गया है।

पूर्व जी.ए.ए.पी. के तहत तैयार किए गए नकद प्रवाह एवं भारतीय लेखा मानकों के तहत तैयार किए गए नकद प्रवाह के बीच कोई विशेष समाधान नहीं थे।

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 002528S

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

के.आर. शानभोग
भागीदार
आइ.सी.ए.आइ. सदस्यता सं.18578

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति
डी.आइ.एन.: 0009262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आइ.एन.:08382973

के. रेणु
कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022
आइ.सी.ए.आइ. यू.डी.आइ.एन. :22018578AONTTS7339

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 06-08-2022

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां

1. कंपनी परिचय

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("एनसिल" या "कंपनी") अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार (भा.स.) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एनसिल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निष्पन्न उत्पादों एवं सेवाओं को घरेलू एवं वैश्विक ग्राहकों को उपलब्ध कराते हुए वाणिज्यिक रूप से दोहन और भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण आधार के उन्नयन में संलग्न है। एनसिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है।

एनसिल की व्यावसायिक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
- मांग के अनुसार उपग्रहों का निर्माण और उन्हें प्रमोचित करना
- ग्राहकों से संबंधित उपग्रह के लिए प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण और उपग्रहों का ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रमोचन
- वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएं
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए मिशन समर्थन सेवाएं और
- भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय इसरो मुख्यालय परिसर, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094 में स्थित है।

2. तैयारी का आधार

क. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन मूल्यों पर मापे जाने वाले कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (भा.ले.मा. अनुपालन अनुसूची III) के लिए अनुसूची III के डिवीजन II की प्रस्तुति आवश्यकताओं के तहत अधिसूचित, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के मामले में लागू है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006, अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित कंपनी के अनुसार तैयार किए गए थे।

भा.ले.मा. 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में निहित वर्गीकरण प्रावधानों के अनुरूप हैं । स्पष्टता के लिए, लाभ और हानि और बैलेंस शीट के विवरण में विभिन्न मदों को एकत्रित किया जाता है। इन मदों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में, जहां कहीं लागू हो, अलग से रखा गया है।

चूंकि ये भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.), उद्योग ले.मा. 101 के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं, पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाने की बात को लागू किया गया है। भा.ले.मा. में परिवर्तन ने कंपनी की पूर्व में रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है, इसका विवरण टिप्पणी 4 में दिया गया है।

आरंभ में अपनाए गए नवीन-जारी लेखांकन मानक अथवा अब तक प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन हेतु अपेक्षित मौजूदा लेखांकन मानक के संशोधन को छोड़कर, लेखांकन नीतियों को निरंतरता के साथ लागू किया गया है।

ख. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। सभी राशियों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है।

ग. वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण

निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करने पर, किसी भी परिसंपत्ति या देयता को चालू परिसंपत्ति या देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान या बेचने या उपभोग के अभिप्राय की प्रत्याशा है;

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है।

iii. परिसंपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की प्रत्याशा है;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इसकी देयता के निपटान के लिए विनिमय अथवा उपयोग नहीं किया जाता है;

vi. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयताओं के निपटान को आस्थगित रखने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जिनका परिणाम प्रतिपक्षी के विकल्प पर इक्विटी लिखतों को जारी करके निपटान हो सकता था, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है। यह सेवाओं की प्रकृति और कार्रवाई हेतु परिसंपत्ति या सूची के अधिग्रहण एवं नकद व नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय पर आधारित है।

घ. अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

भा.ले.मा. की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमान, निर्णय और अवधारणाओं के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और अवधारणाएं लेखा नीतियों के लागू करने और परिसंपत्तियों व देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण तथा इस अवधि के दौरान राजस्व व व्ययों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में वह प्रभावित होता है। विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी जिनका वित्तीय विवरणों में चिह्नित राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन्हें निम्नलिखित टिप्पणियों में उजागर किया गया हैं:

(i) राजस्व का निर्धारण:

कंपनी नियत मूल्य अनुबंधों के संबंध में पूर्णता की दिशा में हुई प्रगति को मापने के लिए अनुबंध में सहमति के अनुसार गतिविधि की पूर्णता के चरण का उपयोग करके पूर्णता पद्धति के प्रतिशत का उपयोग करती है। समापन विधि लेखांकन का प्रतिशत कुल अपेक्षित अनुबंध राजस्व और लागत के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस पद्धति का पालन तब किया जाता है जब अनुबंध के विभिन्न तत्वों पर लागू राजस्व और लागत का यथोचित रूप से विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। चूंकि इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाता है, जैसे-जैसे संविदा पूर्णता की दिशा में प्रगति करती है, चिह्नित राजस्व और लाभ संशोधन के अधीन हैं क्योंकि अनुबंध पूर्णता की दिशा में प्रगति करती है।

(ii) **आयकर**:

आयकर के प्रावधानों के निर्धारण में कर आकलन में संस्थिरता की शक्यता के संबंध में कर स्थिति पर निर्णय सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर निर्धारण में ऐसे जटिल मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें केवल विस्तारित समयावधि में ही हल किया जा सकता है।

(iii) **आस्थगित कर**:

आस्थगित कर की पहचान रिपोर्ट की तिथि पर अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित दरों पर परिसंपत्तियों या देयताओं और उनके अग्रणीत राशि के कर आधारों के बीच कटौती योग्य एवं कर योग्य अस्थायी अंतर के रूप में की जाती है। आस्थगित कर संपत्ति की अंतिम प्राप्ति उन अंतरों और कर हानि अग्रणीत के कटौती योग्य हो जाने वाली अवधि के दौरान भावी कर योग्य लाभों के सृजन पर निर्भर करती है। कंपनी इस आकलन को तैयार करते समय आस्थगित कर देयताओं और अनुमानित भावी कर योग्य आय के प्रत्याशित प्रत्यावर्तन पर विचार करती है, हालांकि अग्रणीत अवधि के दौरान भावी कर योग्य आय के अनुमानों के न्यून किए जाने पर निकट अवधि में प्राप्ति योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को कम किया गया है।

(iv) **परिभाषित लाभ योजनाएँ और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**:

परिभाषित लाभ योजनाओं, क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति और परिभाषित लाभ बाध्यताओं की लागत का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अवधारणाएँ बनाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्य निर्धारण में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अवधारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अवधारणाओं की समीक्षा की जाती है।

(v) **वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि**:

वित्तीय परिसंपत्तियों के हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और संग्रहण के प्रत्याशित समय के बारे में अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। कंपनी इन अवधारणाओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में कंपनी के पिछले इतिहास, ग्राहक की साख, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों और कोविड-19 के प्रभाव के आधार पर, लिए गए निर्णय का उपयोग करती है।

ङ. **उचित मूल्यों का मापन**

वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं, दोनों के लिए कंपनी की कुछ लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों को मूल्य निर्धारण तकनीकों में प्रयुक्त इनपुटों के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर-समायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए, या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी, कीमतों से ज्ञात) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार डेटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी जहां तक संभव हो, प्रेक्षणीय बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को पूरी तरह से उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

च. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके सूचित किया जाता है, जिससे गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देन से अर्जित, विगत या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थागन या प्रोद्भवन और नकदी प्रवाह निदेश या वित्तीयन से संबद्ध आय या व्यय की मद के लिए वर्ष के दौरान हुए लाभ का समायोजन किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग रखा जाता है। कंपनी नकदी की ज्ञात मात्रा में नकदी या नकदी समकक्ष के रूप में आसानी से परिवर्तनीय को अत्यधिक तरल निवेश मानती है।

3.1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(i) पहचान और मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर बताए गए हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की लागत में व्यापार छूट, छूट में कटौती के बाद उसका खरीद मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित, अपने इच्छित उपयोग के लिए मद को कार्यशील स्थिति में लाने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) द्वारा हस्तांतरित उपग्रहों की लागत की गणना हस्तांतरण को अधिकृत करते हुए अं.वि. द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों के अलग उपयोगी जीवनकाल हैं, तो उनकी गणना संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग मद (प्रमुख घटक) के रूप में की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

(ii) भा.ले.मा. में संक्रमण

भा.ले.मा. में संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को चिह्नित अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार, यथामापित ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानद लागत के वहन मूल्य के रूप में उपयोग के लिए हुआ है (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर नोट 4 देखें)।

(iii) अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की शक्यता है।

(iv) मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि का उपयोग करके या संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों में से, जो भी अधिक हो, उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

₹0.05 लाख से कम की अकेली परिसंपत्ति का खरीद वर्ष में पूर्ण मूल्य ह्रास माना जाता है। ₹0.05 लाख या उससे अधिक की संपत्ति की लागत का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत का 1% माना जाता है। 1% के अवशिष्ट मूल्य को अधिकतम सीमा तक संपत्ति का मूल्यह्रास माना जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवनकाल
भवन (विद्युत प्रणाली)	10 वर्ष
भ्भवन (अस्थायी संरचनाएं)	3 वर्ष
भवन (अंत:सज्जा)	3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	10 वर्ष
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणाली	3 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

अं.वि. द्वारा कंपनी को हस्तांतरित उपग्रहों का उपयोगी जीवनकाल, अं.वि. द्वारा निर्धारित किया जाता है और उपग्रह को हस्तांतरित करते समय कंपनी को सूचित किया जाता है। उपग्रहों के लिए कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है।

ख. अमूर्त नियत परिसंपत्तियां:

अमूर्त परिसंपत्ति की लागत को संचित परिशोधन और क्षति को घटाकर बताया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियां सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है, जिस तारीख से वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं।

एक पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता, और ज्ञात तकनीकी प्रगति), और परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अनुरक्षण व्यय के स्तर के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित होता है। परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवनकाल की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आवधिक समीक्षा की जाती है।

आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, की लागत को एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और उसका सीधी रेखा पद्धति पर पांच वर्षों में परिशोधन किया जाता है। परिशोधन तब शुरू होता है जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। जहां कहीं भी अमूर्त परिसंपत्ति (चाहे महत्वपूर्ण हो या नहीं) के उपयोगी जीवनकाल का आकलन करना संभव नहीं है, खरीद के वर्ष में लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की क्षति की वार्षिक समीक्षा की जाती है और जहां क्षति का संकेत मिलता है, परिसंपत्ति की क्षति मानी जाती है।

ग. मालसूची:

मालसूचीय स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चा माल, प्र?गति अधीन कार्य और तैयार माल का न्यूनतर लागत तथा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारण होता है। सामग्रियों की लागत पहले-आया पहले-गया के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसमें उनके अधिग्रहण में हुए व्यय और उन्हें उनके मौजूदा स्थान और स्थिति में लाने में होने वाले अन्य व्यय शामिल हैं।

घ. राजस्व

(i) बिक्री

सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व की पहचान ग्राहकों या उनके समनुदेशित/अनुबंधित परियोजना को सुर्पुदगी योग्य वस्तुओं की सुर्पुदगी के समय की जाती है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में देरी होती है और ग्राहक हकदारी और बिल स्वीकार करता है, तो इस बात के बावजूद राजस्व की पहचान की जाती है कि भौतिक सुपुर्दगी तब पूरी नहीं हुई है जबकि पूरी उम्मीद है कि सुपुर्दगी की जाएगी और सुपुर्दगी योग्य वस्तुएं हाथ में हैं, उनकी पहचान की गई है वे सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं और अगर सुपुर्दगी संस्थापना/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो राजस्व तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं करता और संस्थापना/निरीक्षण पूरा नहीं हो जाता।

(ii) **सेवाएं**

क) प्रमोचन, संस्थापना, चालू करना और परीक्षण:

सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व की पहचान ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार लक्ष्य/गतिविधि पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है।

ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता, आदि।

सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, राजस्व की पहचान एक बार सेवा या आवर्ती सेवा के रूप में अनुबंधित सेवा की प्रकृति के आधार पर एक बार प्रदत्त या आवधिक रूप से की जाती है।

ग) परामर्श

राजस्व की पहचान अनुबंधित परामर्श की प्रकृति के आधार पर एक बार प्रदत्त या आवधिक रूप से की जाती है।

(iii) **समग्र अनुबंध**

उक्त i) और (ii) में उल्लिखित नीति के अनुसार समग्र अनुबंध की प्रत्येक मद के लिए राजस्व की पहचान की जाती है।

(iv) **अन्य आय**

क) ब्याज

ब्याज आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। हालांकि, व्यापार प्राप्य से ब्याज आय की पहचान प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

ख) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन आधारित होती है।

ग) निवेश पर लाभांश

कंपनी के भुगतान प्राप्ति के अधिकार की स्थापना हो जाने पर निवेश पर लाभांश की पहचान की जाएगी।

घ) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव

समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में शुद्ध लाभ/(हानि) निवल की गई है।

ङ. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

(i) **प्रारंभिक मान्यता**

लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों को लागू करके विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

(ii) **अनुवर्ती माप**

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुन: अंतरण नहीं किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में विनिमय अंतर की पहचान की जाती है।

च. **वित्तीय साधन**

(i) **पहचान और प्रारंभिक माप**

व्यापार प्राप्यों की पहचान उनके उद्भव पर आरंभ में ही की जाती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की पहचान प्रारंभ में की जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन की लागत जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के कारण होती है, तुरंत लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से इसकी उचित मूल्य पर गणना की जाती है।

(ii) **वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन**

क) वित्तीय परिसंपत्ति:

प्रारंभिक पहचान पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को निम्न मापन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है

- परिशोधित लागत;

- एफ.वी.टी.पी.एल. (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

- एफ.वी.ओ.सी.आई. (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक पहचान के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि यदि किसी अवधि में कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करती है

एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है; तथा

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती है, जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

ऋण निवेश को एफ.वी.ओ.सी.आई. में मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है और एफ.वी.टी.पी.एल. में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसके उद्देश्य की पूर्ति संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, दोनों द्वारा, की जाती है; तथा

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह में वृद्धि करती है, जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

ट्रेडिंग के लिए न रखे गए इक्विटी निवेश की प्रारंभिक पहचान होने पर, कंपनी ओ.सी.आई. में निवेश के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए अनिवर्तनीय ढंग से चुनाव कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. - इक्विटी निवेश के रूप में निर्दिष्ट)। यह चुनाव निवेश के आधार से निवेश पर किया गया है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.आई. पर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसको एफ.वी.टी.पी.एल. में मापा जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवल ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
एफ.वी.ओ.सी.आई. में ऋण निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज पद्धति के तहत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और क्षति को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य शुद्ध लाभ और हानि को ओ.सी.आई. में मान्यता दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर, ओ.सी.आई. में संचित लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

एफ.वी.ओ.सी.आई. में इक्विटी निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली नहीं दर्शाता है। अन्य शुद्ध लाभ और हानि की ओ.सी.आई. में मान्यता दी जाती है और उन्हें लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत क्षति हानियों से घटा दी जाती है। लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और क्षति को मान्यता दी जाती है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं:

वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापा जाता है। वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाए। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुद्ध लाभ और हानि, किसी भी ब्याज व्यय सहित, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि के विवरण में ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है। गैर-मान्यता पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में भी मान्यता दी जाती है।

(iii) **अमान्य करना**

(क) वित्तीय परिसंपत्ति:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाने, या वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के काफी हद तक स्थानांतरित हो जाने पर, लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों के हस्तांतरण होने या जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के न तो हस्तांतरित और न ही वित्तीय संपत्ति का नियंत्रण बरकरार रखने पर कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य कर देती है।

(ख) वित्तीय देयताएं:

कंपनी उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन हो जाने या उसे रद्द कर देने या वह समाप्त हो जाने पर वित्तीय दायित्व को अमान्य कर देती है। जब कंपनी की शर्तों को संशोधित किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी भिन्न होता है, तो कंपनी वित्तीय देयता को भी अमान्य कर देती है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त की गई वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

छ. क्षति

(i) **वित्तीय साधनों की क्षति**

कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्तों को मान्यता देती है:

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्ति की क्रेडिट क्षति हुई है। एक वित्तीय परिशोधित 'साख बाधित' होती है जब एक या अधिक ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय परिसंपत्ति को क्रेडिट क्षति हुई है।इसके प्रमाण में निम्नलिखित प्रेक्षणीय डेटा शामिल है:

- उधारकर्ता या जारीकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;

- संविदा का भंग जैसे कि डिफाल्ट या 365 दिनों या उससे अधिक पुराना बकाया होना;

- कंपनी द्वारा ऋण या पेशगी की उन शर्तों पर पुनर्गठन, जिन पर कंपनी अन्यथा विचार नहीं करे।

- यह संभव है कि उधारकर्ता दिवालियेपन या अन्य वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश करे : या

- वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुरक्षा के लिए एक सक्रिय बाजार का विलोप

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते को आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट के बराबर राशि पर मापा जाता है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से देय राशि, जिसके लिए प्रावधान/हानि भत्ते मामला-दर-मामला आधार पर मापे जाते हैं और अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए उन पर विचार नहीं किया जाता है।

(ii) **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की, अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्षति का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति परीक्षण के लिए, ऐसी परिसंपत्तियां, जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें एक साथ नकद-उत्पादक इकाइयों (सी.जी.यू.) में समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू संपत्ति के सबसे छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नकदी आवक सृजित करता है जो अन्य परिसंपत्तियों या सी.जी.यू के नकदी आवक से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

एक क्षति को मान्यता दी जाती है यदि किसी परिसंपत्ति या सी.जी.यू. की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानियों को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ज. सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

(i) **ग्रेच्युटी**

कंपनी एनसिल के रोल पर सभी कर्मचारियों को कवर करते हुए एक परिभाषित लाभ योजना ग्रेच्युटी प्रदान करती है। यह योजना योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में प्रोद्भावन मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। निवल परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन, जिसमें प्रोद्भावन लाभ और हानि शामिल हैं, उसको ओ.सी.आई. में मान्यता दी गई है। शुद्ध ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)**

एनसिल के रोल पर कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित हैं। कंपनी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल स्कीम) में मूल वेतन सह म.भ. का 14% योगदान करती है, जो एक परिभाषित योगदान योजना है। योगदान का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iii) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**

लंबी अवधि और अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, एनसिल रोल पर कर्मचारियों के लिए एक और रोजगार लाभ योजना है, जिसकी बैलेंस शीट की तारीख में एक स्वतंत्र प्रोद्भावक द्वारा किए गए प्रोद्भावन मूल्यांकन के आधार पर गणना की है। प्रोद्भावन लाभ / हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और इसे स्थगित नहीं किया जाता है।

झ. आय कर

आयकर में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक कि किसी वस्तु को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(i) चालू कर

चालू कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किया गया कोई समायोजन शामिल है। चालू कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, उस पर विचार करने के बाद भुगतान या प्राप्ति हेतु प्रत्याशित कर राशि का सटीक अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देयताओं को केवल तभी ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति की प्राप्ति करना और देयता की निवल आधार पर या एक साथ निपटान करना होता है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को अग्रेषित कर हानियों और कर क्रेडिट के संबंध में भी मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को निम्न के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है:

- किसी लेन-देन में परिसंपत्ति या देयताओं की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;

- सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की भविष्य में उपलब्ध होने वाले लाभों को इनके समक्ष उपयोग की शक्यता की सीमा तक पहचान की गई है। गैर-मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इनकी पहचान/उस सीमा तक न्यूनीकरण तक किया जाता है कि संबंधित लाभ प्राप्त करना क्रमश: शक्य हो/शक्य न रहे।

आस्थगित कर का मापन लागू या रिपोर्टिंग तिथि तक लागू होने वाले कानूनों के आधार पर परिसंपत्ति की प्राप्ति या देयता के निपटान की अवधि के लिए लागू होने हेतु प्रत्याशित दरों पर किया जाता है।

आस्थगित कर का माप कर परिणामों को दर्शाता है जो उस पद्धति का अनुसरण करेंगे जिसमें कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की धारित राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयता ऑफसेट हैं यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य एंटिटी या अलग-अलग कर एंटिटी पर लगाए गए आयकर से संबंधित हैं, लेकिन उनका इरादा है चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करने का हो या उनकी कर परिसंपत्ति और देयताओं की वसूली एक साथ की जाए।

झ. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू (यदि कोई हो) जारी करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को देय निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत क्षमता वाले इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है।

ञ. प्रावधान और आकस्मिकताएं:

किसी उद्यम में भूतकालीन घटना के परिणामस्वरूप मौजूदा बाध्यता की स्थिति में प्रावधान की पहचान की जाती है तब यह शक्य हो जाता है कि बाध्यताओं के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान किए जा सकते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

दुर्वह संविदाओं के प्रावधान, ऐसी संविदाएं जिनमें अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षित अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक है, आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह को इस तरह की बाध्यता के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक बाध्यकारी घटना के परिणामस्वरूप मौजूदा बाध्यता के निपटान की आवश्यकता होने की शक्यता पर इसकी पहचान की जाती है।

जब कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो आकस्मिक देयता के रूप में एक प्रकटीकरण किया जाता है। एक आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब कोई संभावित देयता या कोई मौजूदा बाध्यता होती है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन शायद न भी हो।

ट. नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्षों में उपलब्ध नकदी, बैंक जमा सुगमता से नकदी में परिवर्तन और मूल्य परिवर्तनों के जोखिम के अधीन तीन महीने या उससे कम अवधि का मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक निवेश शामिल है।

ठ. पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित आय/व्यय जो 300 लाख रुपये या टर्नओवर के 0.5% से अधिक नहीं है, जो भी प्रत्येक लेनदेन में अधिक हो, उसको चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

ड. सरकारी भवन

अं.वि. द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन के किराए की गणना अं.वि. से वास्तविक किराए की मांग प्राप्त होने तक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा बाजार किराए के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।

ढ. पट्टे

भा.ले.मा.116 के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी पट्टों की गणना परिसंपत्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देकर दर्शाया गया है :

- कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का पट्टा; तथा
- 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे।

निम्नलिखित नीतियां प्रारंभिक आवेदन की तिथि, 1 अप्रैल 2021 के बाद लागू होती हैं:

पट्टे की देयताओं को पट्टे की अवधि में पट्टेदार के कारण संविदात्मक भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, पट्टे में निहित दर के संदर्भ में निर्धारित छूट दर के साथ, जब तक कि (जैसा कि आमतौर पर मामला है) यह आसानी से निर्धारित नहीं है, उसमें जिस मामले में पट्टा शुरू होने पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। किसी सूचकांक या दर पर निर्भर होने पर ही परिवर्तनीय पट्टा भुगतान केवल पट्टा देयता के मापन में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में, पट्टा देयता के प्रारंभिक माप में यह मान लिया जाता है कि परिवर्तनीय तत्व पूरे पट्टे की अवधि में अपरिवर्तित रहेगा। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान उस अवधि में खर्च किए जाते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टा दायित्व के वहन मूल्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- किसी अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय प्रत्याशित राशि;

पक्ष में दिए गए किसी भी खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करना यथोचित रूप से निश्चित है;

- पट्टे को समाप्त करने के लिए देय कोई दंड, यदि पट्टे की अवधि का अनुमान समाप्ति विकल्प के आधार पर किया गया है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में पट्टा देयता की राशि पर मापा जाता है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि के लिए घटाया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा शुरू होने पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान;

- प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत; तथा

किसी भी प्रावधान की राशि की पहचान की जाती है, जहां कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति को ध्वस्त करने, हटाने या बहाल करने के लिए संविदात्मक आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक माप के बाद, बकाया शेष राशि पर एक स्थिर दर से प्रभारित ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टा देयताओं में वृद्धि होती है और किए गए पट्टा भुगतान के लिए घटाई जाती है। उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की शेष अवधि या परिसंपत्ति के शेष आर्थिक जीवनकाल पर सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, यदि, शायद ही कभी, इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है।

जब कंपनी किसी भी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान को संशोधित करती है, तो वह संशोधित अवधि को पूरा करने के लिए भुगतानों को दर्शाने हेतु पट्टा देयता की वहन राशि को समायोजित करती है, जिनपर संशोधित छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देनदारियों का वहन मूल्य उसी तरह संशोधित किया जाता है जब भविष्य के एक दर या सूचकांक पर निर्भर पट्टा भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, जबकि छूट दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों ही मामलों में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के वहन मूल्य के बराबर समायोजन किया जाता है, जिसमें संशोधित वहन राशि शेष (संशोधित) पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है। यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को शून्य पर समायोजित किया जाता है, तो आगे किसी भी कमी को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उन संविदाओं के लिए, जिसमें कंपनी को एक चिह्नित परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार दोनों देते हैं और पट्टेदार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आवश्यकता होती है, कंपनी ने पूरी संविदा के लिए एक पट्टे के रूप में गणना हेतु चुना है, अर्थात संविदा के हिस्से के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए किसी भी राशि का आवंटन करता है और संविदात्मक भुगतान का अलग से लेखा जोखा रखता है।

ण भारत सरकार की हाल की घोषणाएं

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। मार्च 23, 2022 को एम.सी.ए. ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया है:

(क) भारतीय ले.मा. 16-परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत से कटौती करने से रोकता है, जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाय, इकाई को ऐसी बिक्री से अर्जित राशि और संबंधित लागत की पहचान लाभ या हानि में करनी होगी। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है।

(ख) भारतीय ले.मा. 37 के रूप में - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - संशोधन ने निर्दिष्ट किया कि एक संविदा को 'पूरा करने की लागत' में ' संविदा से सीधे तौर पर संबंधित लागत' शामिल है। सीधे संविदा से संबंधित लागत

या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदाओं को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए किसी संपत्ति, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन होगा)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, यद्यपि इसे जल्दी अपनाने की अनुमति है।

(ग) भा.ले.मा. 103- संकल्पनात्मक ढांचे का संदर्भ - संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु भारतीय लेखा मानकों (संकल्पनात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक ढांचे में प्राप्त पहचान योग्य परिसंपत्तियां और देयताएं अधिग्रहण की तारीख पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। ये परिवर्तन भारतीय ले.मा. 103 की आवश्यकताओं में उल्लेखनीय रूप से नहीं बदलते हैं।

(घ) भा.ले.मा. 109 - भा.ले.मा. (2021) में वार्षिक सुधार - संशोधन स्पष्ट करता है कि वित्तीय देयता को अमान्य करने के लिए आकलन करने में भा.ले.मा. 109 के '10 प्रतिशत' परीक्षण को लागू करते समय किसी इकाई में कौन सा शुल्क शामिल होता है।

(ङ.) भा.ले.मा. 106 - भा.ले.मा. (2021) में वार्षिक सुधार - संशोधन पट्टेदार द्वारा पट्टाधारण सुधारों की प्रतिपूर्ति के दृष्टांत को हटा देते हैं ताकि पट्टा प्रोत्साहन के उपचार के संबंध में दृष्टांत में प्रोत्साहनों के वर्णन के कारण उत्पन्न किसी भी संभावित भ्रम को हल किया जा सके जो कि पट्टा के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और इसका स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

3.2. भा.ले.मा. में संक्रमण के लिए स्पष्टीकरण

जैसा कि नोट 2 में कहा गया है, ये कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं जो भारतीय ले.मा. के अनुसार तैयार किए गए हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (पिछले जी.ए.ए.पी.) के तहत अधिसूचित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए थे।

नोट 3 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू किया गया है, जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक जानकारी और संक्रमण की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2020 के अनुसार शुरुआती भा.ले.मा. बैलेंस शीट शामिल है।

अपनी भा.ले.मा. बैलेंस शीट तैयार करने और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने में, कंपनी ने पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पहले बताई गई राशियों को समायोजित किया है। यह नोट कंपनी द्वारा पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरणों को पुन: प्रस्तुत करने में किए गए प्रमुख समायोजन की व्याख्या करता है और बताता है कि पिछले जी.ए.ए.पी. से भा.ले.मा. में संक्रमण ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है।

वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी ने निम्नलिखित वैकल्पिक छूटों और अनिवार्य अपवादों को लागू किया है।

क. प्राप्त वैकल्पिक छूट

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति

भारतीय ले.मा. 101 के अनुसार कोई एंटिटी निम्न चुनाव कर सकती है:

(i) संक्रमण की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को उसके उचित मूल्य पर मापें और उस उचित मूल्य को उस तिथि पर उसकी मानी गई लागत के रूप में उपयोग करें।

(ii) संक्रमण की तारीख से पहले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के पिछले जी.ए.ए.पी. पुनर्मूल्यांकन का उपयोग पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर मानित लागत के रूप में किया जाता है, बशर्ते पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन की तारीख में मोटे तौर पर तुलनीय रहा हो ::

- उचित मूल्य
- उदाहरण के लिए, एक सामान्य या विशिष्ट मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अथवा भा.ले.मा. के तहत लागत या मूल्यह्रास लागत को समायोजित किया जाता है।

उपर्युक्त i) और (ii) के तहत चुनाव भी अमूर्त संपत्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं जो भा.ले.मा. 38 में मानदंडों, अमूर्त परिसंपत्ति, (मूल लागत के विश्वसनीय माप सहित) और पुनर्मूल्यांकन के लिए भा.ले.मा. 38 में मानदंड (एक सक्रिय बाजार के अस्तित्व सहित) की पहचान को पूरा करते हैं।

(iii) संक्रमण की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन न होने पर, भा.ले.मा. में संक्रमण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के धारित मूल्यों का उपयोग किया जाए (जो पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार और भा.ले.मा. 101 के तहत निर्धारित डीकमिशनिंग की देयताओं से संबंधित समायोजन करने के बाद मापे गए)।

भा.ले.मा. 101 द्वारा यथा अनुमत, कंपनी ने परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी मदों के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत धारित मूल्यों को जारी रखने का चुनाव किया। अमूर्त परिसंपत्ति के संबंध में भी यही चुनाव किया गया है।

ख. अनिवार्य अपवाद

1. अनुमान

भा.ले.मा. 101 के अनुसार, कंपनी के पहले भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि के अंत में भा.ले.मा. में संक्रमण की तिथि पर भा.ले.मा. के अनुरूप, किसी एंटिटी के अनुमान, जैसा भी मामला हो, उन अनुमानों के त्रुटिपूर्ण होने के वस्तुनिष्ठ प्रमाण न होने पर, पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुसार उसी तारीख के लिए किए गए अनुमानों के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि, लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर को दर्शाने के लिए अनुमानों को समायोजित किया जाना चाहिए।

भा.ले.मा. 101 के अनुसार, जहां भा.ले.मा. के अनुप्रयोग पर किसी एंटिटी से कतिपय अनुमान लगाने की अपेक्षा है जो पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत अपेक्षित नहीं थे, ऐसे अनुमानों को संक्रमण की तारीख (भा.ले.मा. बैलेंस शीट खोलने की तैयारी के लिए) या तुलनात्मक अवधि के अंत में (भा.ले.मा. के अनुसार तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए) मौजूद स्थितियों को दर्शाना चाहिए।

भा.ले.मा. के तहत कंपनी के अनुमान उपर्युक्त अपेक्षा के अनुरूप हैं। पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखे गए प्रमुख अनुमान नीचे सूचीबद्ध हैं:

- एफ.वी.टी.पी.एल. और/या एफ.वी.ओ.सी.आई. में किए गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन।
- प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल पर आधारित वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति।
- परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखतों के लिए छूट प्राप्त मूल्य का निर्धारण।

ग.1 (1) पहले जी.ए.ए.पी. के तहत पूर्व में दर्ज इक्विटी का भा.ले.मा. में पुनर्मेलन।

संक्रमण समाधान

1) इक्विटी का समाधान, जैसा कि भारतीय लेखा मानक को पिछले जी.ए.ए.पी. के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया था

राशि (लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 की संक्रमण की तिथि तक			31 मार्च 2020 की संक्रमण की तिथि तक		
	पिछला जी.ए.ए.पी.	भारतीय लेखा मानक में संक्रमण पर समायोजन	भारतीय लेखा मानक	पिछला जी.ए.ए.पी.	भारतीय लेखा मानक में संक्रमण पर समायोजन	भारतीय लेखा मानक
परिसंपत्तियां						
निवर्तमान परिसंपत्तियां						
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण	52.14	-	52.14	50.27	0.00	50.27
पूंजीगत जारी कार्य	-	-	-	-	-	
अन्य अमूर्त परिपत्तियां	6.18	-	6.18	0.33	-	0.33
विकासाधीन अमूर्त परिपत्तियां	7.55	-	7.55	7.55	-	7.55
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-		-	-	
निवेश	-	-		-	-	
व्यापार प्राप्य	-	-		-	-	
ऋण	-	-		-	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	6,214.61	6,214.61	-	15,447.78	15,447.78
आस्थागित परिसंपत्तियां	-	-		-	-	
अन्य निवर्तमान परिसंपत्तियां	6,213.97	(6,213.97)	-	15,541.42	(15,437.54)	103.88
कुल निवर्तमान परिसंपत्तियां	6,279.84	0.64	6,280.48	15,599.56	10.24	15,609.80
चालू परिसंपत्तियां						
संपत्ति सूची						
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश	-					
व्यापार प्राप्य	4,481.47	(691.66)	3,789.81	22,226.90	47,688.64	69,915.54
नकद एवं नकद तुल्य	614.33	(0.00)	614.33	4,561.88	-	4,561.88
अन्य बैंक शेष	5,722.43	-	5,722.43	46,796.73	4.30	46,801.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	311.95	311.95	-	3,331.45	3,331.45
अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,712.02	(110.66)	4,601.35	6,729.73	(3,325.46)	3,404.27
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	**15,530.24**	**(490.37)**	**15,039.87**	**80,315.25**	**47,698.93**	**1,28,014.17**
कुल परिसंपत्तियां	**21,809.33**	**(489.73)**	**21,320.35**	**95,914.81**	**47,709.17**	**1,43,623.98**
इक्विटी एवं देयताएं						
इक्विटी						
इक्विटी शेयर पूंजी	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
अन्य इक्विटी	5,129.45	(600.13)	4,529.32	15,773.62	3,105.23	18,878.85
कुल इक्विटी	**6,129.45**	**(600.13)**	**5,529.32**	**16,773.62**	**3,105.23**	**19,878.85**

देयताएं						
निवर्तमान देयताएं						
वित्तीय देयताएं						
अन्य वित्तीय देयताएं						
व्यापारिक देय						
प्रावधान				0.82	-	0.82
आस्थागित परिसंपत्तियां (निवल)	1.08	0.00	1.08	1.28	0.00	1.28
अन्य निवर्तमान देयताएं						
कुल निवर्तमान देयताएं	**1.08**	**0.00**	**1.08**	**2.10**	**0.00**	**2.10**
चालू देयताएं						
वित्तीय देयताएं	-					
व्यापार देय	11,237.12	92.21	11,329.33	75,030.82	41,351.58	1,16,382.40
अन्य वित्तीय देयताएं	-	293.29	293.29	-	5,818.74	5,818.74
अन्य वर्तमान देयताएं	4,346.19	(275.10)	4,071.09	4,049.98	(3,610.75)	439.23
प्रावधान	96.24	0.00	96.24	58.29	1,044.37	1,102.66
कुल वर्तमान देयताएं	15,679.55	110.40	15,789.95	79,139.09	44,603.94	1,23,743.03
कुल इक्विटी एवं देयताएं	**21,810.08**	**(489.73)**	**21,321.34**	**95,914.81**	**47,709.17**	**1,43,623.98**

2) **पिछले भारतीय लेखा मानक पर आधारित जी.ए.ए.पी. के अधीन पिछली रिपोर्ट के अनुसार लाभ-हानि विवरण का समाधान विवरण**

विवरण	**1 अप्रैल 2020 की संक्रमण की तिथि तक**			**31 मार्च 2020 की संक्रमण की तिथि तक**		
	पिछला जी.ए.ए.पी.	**भारतीय लेखा मानक में संक्रमण पर समायोजन**	**भारतीय लेखा मानक**	**पिछला जी.ए.ए.पी.**	**भारतीय लेखा मानक में संक्रमण पर समायोजन**	**भारतीय लेखा मानक**
प्रचालनों से राजस्व	31,451.62	(690.80)	30,760.83	43,266.54	8,064.18	51,330.71
अन्य आय	725.46	(0.00)	725.46	1,167.71	72.65	1,240.37
कुल आय	**32,177.09**	**(690.80)**	**31,486.29**	**44,434.25**	**8,136.83**	**52,571.08**
व्यय:						
प्रचालन से राजस्व की लागत	25,013.29	76.50	25,089.79	27,468.45	3,055.81	30,524.26
व्यापारिक स्टॉक का क्रय	-	-		-	-	-
व्यापारिक स्टॉक की संपत्तियों में परिवर्तन	-	-		-	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	167.50	(14.98)	152.51	239.67	14.37	254.04
ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10.15	-	10.15	22.59	-	22.59
अन्य व्यय	129.15	49.66	178.81	370.89	115.07	485.96
कुल व्यय	**25,320.08**	**111.18**	**25,431.26**	**28,101.60**	**3,185.25**	**31,286.85**

अपवादात्मक मदों एवं करों से पूर्व लाभ (III-IV)	6,857.01	(801.97)	6,055.03	16,332.66	4,951.57	21,284.23
पूर्व अवधि मद						
कर पूर्व लाभ	6,857.01	(801.97)	6,055.03	16,332.66	4,951.57	21,284.23
कर व्यय:						
वर्तमान कर:						
क) वर्तमान वर्ष	1,726.48	-	1,726.48	4,148.28	-	4,148.28
ख) पूर्व वर्ष	-	(201.84)	(201.84)	-	1,246.21	1,246.21
आस्थागित कर	1.08	-	1.08	0.20	-	0.20
जारी प्रचालनों की अवधि हेतु लाभ (VII-VIII)	**5,129.45**	**(600.13)**	**4,529.32**	**12,184.17**	**3,705.36**	**15,889.54**
अन्य विस्तृत आय						
क (i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के अनुवर्ती रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	-	-	-	-	-	-
क (ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के परवर्ती पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	-	-	-	-	-	-
ख (i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के परवर्ती पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-	-
ख (ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के परवर्ती पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-	-
कुल अन्य समग्र आय	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए समग्र कुल आय	**5,129.45**	**(600.13)**	**4,529.32**	**12,184.17**	**3,705.36**	**15,889.54**

समाधान संबंधित नोट:

क. पूर्ववर्ती अवधि त्रुटि: पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अंतर्गत, पूर्वअवधि त्रुटियों को समाधान वर्ष में लाभ-हानि विवरण में अलग से दर्शाया गया है। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, पूर्ववर्ती अवधि त्रुटियों की पहचान की गई है और उसे प्रदर्शित पूर्ववर्ती अवधि, जिसमें त्रुटियां पाई गई थी, के तुलनात्मक राशि के पुनर्प्रकटीकरण द्वारा सुधारा गया; अथवा यदि त्रुटि दर्शायी गई पूर्ववर्ती अवधि के पहले पाई गई है, प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि की तुलनात्मक राशियों को पुन: बताकर ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी।

ख. कर्मचारी लाभ: पिछले जीएएपी के तहत, लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित लाभ दायित्वों पर बीमांकिक लाभ और हानियों को मान्यता दी गई थी। भारतीय एएस के तहत, इन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

ग. आस्थागित कर: कर समायोजना में, पिछले जीएएपी और भारतीय एएस के बीच अंतर के कारण आस्थागित कर प्रभाव शामिल है।

पिछले जीएएपी से भारतीय एएस के लेन-देन के कारण कोई अन्य समाधान मद उत्पन्न नहीं हुए थे।

31.03.2022 को तुलन पत्र के भाग के रूप में जुड़ने वाले नोट

(राशि: रु. लाखों में)

नोट सं.	विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
4क	**संपत्ति, संयंत्र एवं साधन:**				
	(क) भवन		3.94	8.10	10.31
	(ख) फर्नीचर व जुड़नार		21.23	21.14	16.83
	(ग) कार्यालय उपकरण		10.92	6.89	7.60
	(घ) कंप्यूटर व सहायक उपकरण		17.61	13.36	15.64
	(ड़) संचार प्रणालियां		1.56	0.78	1.76
	(च) मोटर कार		20.96	-	-
	(छ) कक्षीय उपग्रह		4,11,778.87	-	-
			4,11,855.09	**50.27**	**52.14**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल राशियों का समाधान, व्यवसाय संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से परिवर्धन, निपटान, अधिग्रहण और संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानियों या उत्क्रमण को अलग से दर्शाया जाता है।		**इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें**		
4B	**पूंजीगत कार्य जारी**				
	(क) कंप्यूटर व सहायक उपकरण		85.79	-	-
	(ख) जीसैट-24 उपग्रह		33,780.30	-	-
			33,866.09	**-**	**-**
4C	**अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां**				
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		**3.24**	**0.33**	**6.18**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में संपत्तियों के प्रत्येक वर्ग की सकल और निवल राशियों का समाधान, व्यवसाय संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से परिवर्धन, निपटान, अधिग्रहण और संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानियों या उत्क्रमण को अलग से दर्शाया जाता है।		**इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें**		
4D	**विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**		**इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें**		
	(क) सॉफ्टवेयर		**29.93**	**7.55**	**7.55**
5	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	(i) जारी की गई गारंटी के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में जमा		13,796.38	15,447.78	6,192.97
	(ii) 12 माह से अधिक परिपक्वता शेष हेतु बैंक जमा		10.70	-	21.64
			13,807.08	**15,447.78**	**6,214.61**

6	**अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	(i) पूर्वदत्त बैंक गारंटी प्रभार		16.70	71.19	-
	(ii) पूर्वदत्त व्यय		21.26	32.69	-
			37.96	**103.88**	**-**
7	**व्यापार प्राप्य**				
	(i) छः माह से कम की अवधि हेतु बकाया प्राप्य व्यापार				
	- सुरक्षित, सही माना गया		9,243.79	46,571.78	451.54
	- असुरक्षित, सही माना गया		68,332.52	22,669.97	3,129.86
	(ii) छः माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया प्राप्य व्यापार				
	- सुरक्षित, सही माना गया		-	-	-
	- असुरक्षित, सही माना गया		5,026.27	673.80	208.41
			-	-	-
	(iii) प्राप्य व्यापार जिसमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है		204.26	-	-
			-	-	-
	(iv) व्यापारिक प्राप्य - साख हानि		-	-	-
			82,806.84	**69,915.54**	**3,789.81**
	ह्रास: संदिग्ध ऋण हेतु भत्ता		204.26	-	-
			82,602.58	**69,915.54**	**3,789.81**
8	**नकद एवं नकद समतुल्य**				
	(i) बैंक शेष		2,946.62	4,561.80	614.19
	(ii) कर्मचारी हेतु अग्रदाय नकद		0.16	0.08	0.14
			2,946.78	**4,561.88**	**614.33**
9	**अन्य बैंक शेष**				
	(i) 12 माह से कम या उसके समतुल्य परिपक्वता शेष हेतु बैंक जमा		1,75,937.49	46,801.03	5,722.43
	(ii) बैंकों के पास सी.एस.आर. क्रियाकलापों के लिए निर्धारित शेष राशि		1.09	-	-
			1,75,938.58	**46,801.03**	**5,722.43**
10	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	(i) जारी की गई जमानत के लिए अतिरिक्त जमा राशि		8,942.58	-	-
	(ii) बैंकों में जमा से प्रोद्भूत ब्याज		4,441.08	1,193.59	311.87
	(iii) प्रोद्भूत आय		43,264.21	2,137.66	-
	(iv) माल या सेवाओं के लिए अग्रिम		2,295.46	0.20	0.08
			58,943.33	**3,331.45**	**311.95**
11	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	(i) अग्रिम आयकर एवं टी.डी.एस.		12,423.39	4.63	-
	(ii) अप्रत्यक्ष कर परिसंपत्तियां		-	2,430.47	4,219.16
	(iii) वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर वापसी		-	3.76	201.84

	(iv) वित्त वर्ष 2020-21 में आयकर वापसी		794.38	854.97	-
	(v) पूर्वदत्त बैंक जमानत प्रभार		99.21	110.44	151.18
	(vi) पूर्वदत्त व्यय		20.43	-	29.17
	(vii) अन्य परिसंपत्तियां		0.06	-	-
			13,337.47	**3,404.27**	**4,601.35**
12	**इक्विटी शेयर पूंजी:**				
	(क) अधिकृत:				
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	1,00,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (भारतीय रु. में)		1,00,000.00	10,000.00	10,000.00
	(ख) नकद हेतु जारी, अभिदत्त एवं पूर्णत: भुगतान की गई				
	(i) शेयरों की संख्या	सं	91,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (भारतीय रु. में)		91,000.00	1,000.00	1,000.00
	(ग) प्रति शेयर अंकित मूल्य	भा.रु.	10	10	10
	(घ) वर्ष के प्रारंभ एवं समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समाधान				
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	सं.	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) ह्रास: वर्ष के दौरान पुन: क्रय किए गए शेयरों की संख्या		-	-	-
	(iii) जोड़ : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	सं.	90,00,00,000	-	-
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	सं.	91,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000

(ड़) लाभाशों के वितरण एवं पूंजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंधों सहित प्रत्येक श्रेणी के शेयरों के अधिकार, प्राथमिकता एवं प्रतिबंध: कंपनी के अंतर्नियमों के अधीन, सभी अधिकार (प्रति इक्विटी शेयर पर एक वोट के मतदान अधिकार सहित), सभी प्राथमिकताएं और प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के पास निहित हैं। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषणा के अधीन है। जब तक, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आइ.पी.ए.एम.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्यथा छूट या संशोधित नहीं किया जाता है। डी.आइ.पी.ए.एम. के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश के रूप में कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल लागत का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को वितरित किया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पूंजी की चुनैती है। दिनांक 18.03.2021 की डी.आइ.पी.ए.एम. की बैठक के कार्यवृत्त एफ.सं. 4(3)(1)/2021-डी.आइ.पी.ए.एम.-(पी.टी.) द्वारा प्रदान की गई छूट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(च) धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के शेयर: भारत के राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास प्रत्येक 10 रुपये प्रदत्त इक्विटी शेयरों के कुल 91,00,00,000 संख्या का 100% धारित है।

(छ) विकल्पों के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।

(ज) तुलन पत्र तिथि के अनुसार इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति नहीं है।

(झ)	तुलन पत्र तैयार करने की तारीख से ठीक पूर्व पांच साल की अवधि के लिए सूचना	-----संलग्नक के अनुसार-----		
13	**अन्य इक्विटी**			
	इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित संलग्न विवरण के अनुसार (3)	53,177.47	18,878.85	4,529.32
		-	-	-
	लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष (कमी)	-	-	-
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	18,878.85	4,529.32	4,529.32
	जोड: अवधि के लाभ का अंतरण	34,298.62	15,889.53	-
	ह्रास: लाभांश प्रदत्त	-	1,540.00	-
	(इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित संलग्न विवरण के अनुसार)	-	-	-
	रिर्पोटिंग अवधि के अंत में शेष	**53,177.47**	**18,878.85**	**4,529.32**
14	**अन्य वित्तीय देयताएं**			
	ग्राहकों से अग्रिम	2,633.19	-	-
		-	-	-
		2,633.19	**-**	**-**
15	**प्रावधान**			
	(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
	छुट्टी नकदीकरण हेतु	5.86	0.82	-
	उपदान हेतु	2.33	-	-
		8.19	0.82	-
16	**व्यापार देय**			
	(i) सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों को देय (एम.एस.एम.ई.)	14.04	0.07	2.25
	(ii) एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त लेनदारों को देय	6,23,067.52	1,16,382.33	11,327.09
		6,23,081.56	1,16,382.40	11,329.34
	अतिरिक्त सूचना: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के तहत कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:			
	विवरण			
	1 मूल राशि देय एवं शेष बचा हुआ भुगतान	14.04	0.07	2.25
	2 उपरोक्त (1) पर देय ब्याज एवं भुगतान नहीं किया गया ब्याज	-	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के अंतर्गत सभी विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	-	-
	4 वर्ष के दौरान नियुक्ति दिवस के बाद किया गया भुगतान	-	-	-
	5 उपरोक्त (3) के अतिरिक्त विलंबित अवधि के लिए देय ब्याज	-	-	-
	6 प्रोद्भूत ब्याज और शेष बचा हुआ भुगतान	-	-	-

	7 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक, जिस पर उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान किया जाना है।		-	-	-
	***एम.एस.एम.ई. के अलावा लेनदारों के बकाया में एनसिल को अंतरित 10 उपग्रहों के संबंध में इक्विटी के रूप में अं.वि. को देय प्रतिफल के रूप में 4,69,760 लाख रुपये शामिल हैं।				
17	**अन्य वित्तीय देयताएं**				
	(i) लेनदारों को व्यय हेतु		5.34	26.08	18.18
	(ii) एस.एस.सी. के अतिरिक्त के लिए अग्रिम		2,030.60	1,270.49	-
	(iii) अवधान जमा		1,372.22	1,253.06	-
	(iv) आइ.सी.आर.डी. [इनसैट क्षमता आरक्षण जमा]		1,226.05	399.82	8.25
	(v) एस.एस.सी. हेतु अग्रिम		357.64	2,798.57	183.87
	(vi) आस्थगित आय हेतु देयता		117.20	-	-
	(vii) अन्य देयताएं		57.62	70.72	82.99
			-	-	-
			5,166.67	**5,818.74**	**293.29**
18	**अन्य वर्तमान देयताएं**				
	(i) वैधानिक देयताएं		5,633.54	439.23	4,071.09
	(ii) अन्य देयताएं		0.40	-	-
			5,633.95	**439.23**	**4,071.09**
19	**लघु अवधि प्रावधान**				
	(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
	छुट्टी नकदीकरण हेतु		0.87	0.12	-
	उपदान हेतु		-	-	-
			-	-	-
	(ख) अन्य		-	-	-
	आयकर हेतु प्रावधान		9,577.98	1,044.37	96.24
	लागत हेतु प्रावधान		-	58.17	-
			9,578.85	**1,102.66**	**96.24**

नोट का अनुलग्नक - 4A- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि (लाख में)

विवरण	भवन - अस्थायी संरचना	भवन - विद्युत प्रणाली	भवन - आंतरिक	फर्नीचर एवं जुड़नार	कंप्यूटर व सहायक उपकरण	कार्यालय उपकरण	संचार प्रणाली	मोटर वाहन	कक्षीय उपग्रह	कुल
सकल अग्रेषित मूल्य										
1 अप्रैल 2020 तक	11.10	0.13	0.93	18.28	20.53	8.78	2.24	-	-	61.99
जोड़/समायोजन	-	1.79	-	6.27	5.62	1.32	-	-	-	15.00
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.78	-	-	0.78
31 मार्च 2021 तक	**11.10**	**1.92**	**0.93**	**24.55**	**26.15**	**10.10**	**1.46**	**-**	**-**	**76.21**
1 अप्रैल 2021 तक	11.10	1.92	0.93	24.55	26.15	10.10	1.46	-	-	76.21
जोड़/समायोजन	-	-	-	2.59	15.73	6.65	1.55	22.12	4,69,760.00	4,69,808.66
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	2.26	-	0.64	-	-	2.90
31 मार्च 2022 तक	**11.10**	**1.92**	**0.93**	**27.14**	**39.62**	**16.75**	**2.37**	**22.12**	**4,69,760.00**	**4,69,881.97**
संचित ह्रास (उपयोगी जीवनकाल के अंतर्गत-एस.एल.एम.)										
1 अप्रैल 2020 तक	1.65	0.01	0.20	1.46	4.89	1.24	0.42	-	-	9.85
जोड़/समायोजन	3.66	0.03	0.31	1.95	7.90	1.97	0.57	-	-	16.40
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.31	-	-	0.31
31 मार्च 2021 तक	**5.31**	**0.04**	**0.51**	**3.41**	**12.79**	**3.20**	**0.68**	**-**	**-**	**25.94**
1 अप्रैल 2021 तक	5.31	0.04	0.51	3.41	12.79	3.20	0.68	-	-	25.94
जोड़/समायोजन	3.66	0.19	0.31	2.50	9.99	2.62	0.43	1.16	57,981.13	58,002.00
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	0.77	-	0.30	-	-	1.07
31 मार्च 2022 तक	**8.97**	**0.23**	**0.81**	**5.91**	**22.01**	**5.83**	**0.81**	**1.16**	**57,981.13**	**58,026.87**
शुद्ध अग्रेषित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)										
1 अप्रैल 2020 तक	**9.46**	**0.12**	**0.73**	**16.83**	**15.64**	**7.54**	**1.82**	**-**	**-**	**52.14**
31 मार्च 2021 तक	**5.79**	**1.88**	**0.42**	**21.14**	**13.36**	**6.89**	**0.78**	**-**	**-**	**50.27**
31 मार्च 2022 तक	**2.13**	**1.69**	**0.12**	**21.23**	**17.61**	**10.92**	**1.56**	**20.96**	**4,11,778.87**	**4,11,855.09**

नोट का अनुलग्नक - 4B - जारी पूंजीगत कार्य

विवरण	कंप्यूटर व सहायक उपकरण	जीसैट 24 उपग्रह	कुल
सकल अग्रेषित मूल्य			-
1 अप्रैल 2020 तक	-	-	-
जोड़/समायोजन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2021 तक	-	-	-
जोड़/समायोजन	85.79	33,780.30	33,866.09
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	**85.79**	**33,780.30**	**33,866.09**
संचित ह्रास			-
1 अप्रैल 2020 तक	-	-	-
जोड़/समायोजन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2021 तक	-	-	-
जोड़/समायोजन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-

नोट का अनुलग्नक 4C - अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल अग्रेषित मूल्य	
1 अप्रैल 2020 तक	6.48
जोड़/समायोजन	0.34
निपटान/समायोजन	6.48
31मार्च 2021 तक	**0.34**
1 अप्रैल 2021 तक	0.34
जोड़/समायोजन	3.60
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	**3.94**
संचित परिशोधन (भारतीय लेखा मानक इन्ड ए एस-38 एस.एल.एम. के अंतर्गत)	
1 अप्रैल 2020 तक	0.30
जोड़/समायोजन	6.19
निपटान/समायोजन	6.48
31 मार्च 2021 तक	**0.01**
1 अप्रैल 2021 तक	0.01
जोड़/समायोजन	0.69
निपटान/समायोजन	
31 मार्च 2022 तक	**0.70**
शुद्ध अग्रेषित मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
1 अप्रैल 2020 को	**6.18**
31 मार्च 2021 को	**0.33**
31 मार्च 2022 को	**3.24**

नोट का अनुलग्नक - 4D - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल अग्रेषित मूल्य	-
1 अप्रैल 2020 को	-
जोड़/समायोजन	7.55
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च 2021 तक	**7.55**
1 अप्रैल 2021 तक	7.55
जोड़/समायोजन	22.38
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	**29.93**
संचित परिशोधन (भारतीय लेखा मानक इन्ड ए एस-38 एस.एल.एम. के अंतर्गत)	
1 अप्रैल 2020 को	
जोड़/समायोजन	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च 2021 तक	-
1 अप्रैल 2021 तक	-
जोड़/समायोजन	-
निपटान/समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-

विकास कालप्रभावी कार्यक्रम के तहत अनुसूची 4डी अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुलग्नक

राशि लाख में

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	निम्न अवधि के लिए सी.डब्ल्यू.आइ.पी. में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
विकासाधीन परियोजनाएं	29.93				29.93
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

अनुसूची 7 का अनुबंध - व्यापार प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची

राशि लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 महिना से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवादित व्यापार प्राप्य-विचारित वस्तु	77,576.31	3308.16	1718.11	0.00	-	82,602.58
(ii) निर्विवादित व्यापार प्राप्य जिनकी साख जोखिमों में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है ।	-	0.00	1.08	203.18	-	204.26
(iii) व्यापार प्राप्य-साख दुर्बल	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-विचारित वस्तु	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य जिसके साख जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है।	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-साख दुर्बल	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 16 का अनुबंध - व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

राशि लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 महिना से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) एम.एस.एम.ई. का कुल बकाया देय	13.97	0.03	-	0.05	-	14.04
(ii) अन्यों का कुल बकाया देय	5,29,889.54	751.63	92,427.44	-	-	6,23,068.62
(iii) विवादित बकाया - एम.एस.एम.ई.	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-

नोट 12 का अनुबंध

तुलन पत्र के तैयार करने की तिथि से पिछले तीन वर्ष की अवधि की सूचना

राशि लाख में

	विवरण	31.03.2022 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के समापन पर गणना	31.03.2022 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के समापन पर गणना	31.03.2020 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के समापन पर गणना
(i)	नकद के भुगतान प्राप्त किए बिना ठेका आधार पर पूर्ण भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की समग्र संख्या और श्रेणी	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
(ii)	बोनस के तौर पर पूर्णत: भुगतान किए आबंटित शेयरों की समग्र संख्या एवं श्रेणी	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही
(iii)	दोबारा खरीदे गए शेयरों की समग्र संख्या एवं श्रेणी	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही

कंपनी दिनांक 06/03/2019 को निगमित किया गया था। प्रथम शेयर समूह का आबंटन 2019-20 में ही हुआ। तदनुसार, नोट-15 का अनुबंध पिछले तीन वर्षो के, अर्थात 2019-20 से आगे के लिए तैयार किया गया।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण के भाग के रूप में जुड़ने वाले नोट

राशि लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
20	**प्रचालनों से राजस्व:**		
	(क) उत्पादों की बिक्री:		
	(i) निर्यात	-	21.14
	(ii) स्वदेशी	73.66	39.69
	कुल (क)	**73.66**	**60.83**
	(ख) सेवाओं की बिक्री :		
	(i) **निर्यात**		
	प्रमोचन सेवाएं	18,519.89	26,482.66
	मिशन समर्थन सेवाएं	115.47	130.08
	प्रमोचन समर्थन के लिए वैकल्पिक सेवाएं	-	188.92
	(ii) **स्वदेशी**		
	आगे के अनुबंध एस.एस.सी.	24,801.20	1,13,324.52
	घटाएं: अं.वि. राजस्व शेयर	(22,321.08)	(1,01,992.07)
		2,480.12	11,332.45
	जीसैट उपग्रह एस.एस.सी. (अं.वि. से स्थानांतरित उपग्रह)	93,825.42	-
	एक के बाद एक एस.एस.सी.	52,431.85	12,904.32
	प्रमोचन सेवा प्राप्ती	-	130.00
	सुदूर संवेदन सेवाएं-स्वदेशी	-	-
	प्रमोचन समर्थन के लिए वैकल्पिक सेवाएं-स्वदेशी	-	0.16
	गेटवे अवसंरचना एवं प्रचालन प्रभार	0.48	-
	घटाएं: अं.वि. राजस्व शेयर	(0.43)	-
		0.05	-
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण-स्वदेशी	30.20	80.46
	मिशन सहायता सेवाएं-स्वदेशी	0.18	20.84
	कुल (ख)	**1,67,403.18**	**51,269.89**
	कुल (क) + (ख)	**1,67,476.84**	**51,330.71**
21	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज आय		
	(i) बैंक के पास जमा पर	5,707.57	1,240.36
	(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय एवं परिवर्तन से प्राप्त निवल लाभ	-	-
	(ग) विविध आय	0.03	0.01
		5,707.60	**1,240.37**
22	**प्रचालन से राजस्व लागत**		
	(a) उत्पादों की लागत		

	(i) निर्यात	-	15.50
	(ii) स्वदेशी	63.94	32.62
	कुल (क)	**63.94**	**48.12**
	(b) **सेवाओं की लागत**		
	(i) **निर्यात**		
	प्रमोचन सेवाएं	13,238.15	18,299.58
	प्रमोचन समर्थन के लिए वैकल्पिक सेवाएं	-	29.91
	मिशन समर्थन सेवाएं	58.54	75.89
	(ii) **स्वदेशी**		
	एक के बाद एक एस.एस.सी.	49,191.10	11,997.31
	मिशन समर्थन सेवाएं	0.12	-
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत	26.26	69.86
	प्रमोचन सेवाएं	-	-
	सुदूर संवेदन सेवाएं-स्वदेशी	-	-
	विविध प्रत्यक्ष व्यय	-	0.01
	डब्ल्यू.पी.सी. लाइसेंस भार	5.19	3.59
	उपग्रह प्रचालन की लागत	4,798.00	-
	कुल (ख)	**67,317.36**	**30,476.14**
	कुल (क) + (ख)	**67,381.30**	**30,524.26**
23	**कर्मचारी हितकारी व्यय**		
	कर्मचारी हितकारी व्यय-इसरो	181.47	236.80
	कर्मचारी हितकारी व्यय-एनसिल	117.40	17.24
		298.87	**254.04**
24	**मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	58,002.00	16.40
	अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	0.69	6.19
		58,002.69	**22.59**
25	**अन्य व्यय:**		
	विज्ञापन एवं प्रचार	12.89	3.29
	बैंक गारंटी एवं एल.सी. प्रभार	138.26	83.07
	बैंक प्रभार	6.21	5.50
	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	204.26	-
	संचार व्यय	7.78	2.03
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	94.06	32.88
	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप व्यय	231.25	138.00
	(अनुसूची के अनुसार विवरण)		
	लेखा परीक्षकों को भुगतान	-	-
	वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए	1.75	1.00
	आयकर लेखापरीक्षा के लिए	0.20	0.20
	प्रमाण-पत्र प्रभारों के लिए	0.05	0.05

	स्थापना व्यय	20.59	20.56
	एफ.डी. अग्रिम समापन प्रभार	-	11.29
	बीमा प्रीमियम	0.46	0.86
	विविध व्यय	6.89	3.26
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर हुई हानि	0.23	0.43
	विदेशी मुद्रा विनिमय एवं मुद्रांतरण से प्राप्त निवल लाभ	476.39	72.65
	कार्यालय व्यय	27.43	17.48
	मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	7.65	3.34
	पी.एस.एल.वी. उत्पादन- आर.एफ.पी. एवं बोली प्रबंधन	2.50	12.30
	संसद समिति व्यय	0.04	-
	दरें एवं कर	234.98	1.29
	किराया प्रभार	1.71	1.13
	भवन का किराया	49.20	49.20
	पंजीकरण प्रभार	3.50	-
	संगोष्ठी, बैठक एवं कार्यक्रम व्यय	24.29	10.00
	अभिदान प्रभार	-	1.15
	प्रशिक्षण शुल्क	0.18	0.49
	यात्रा प्रभार	24.78	5.87
	वेबसाइट अनुरक्षण	8.92	8.64
		-	-
		1,586.45	**485.96**
26	**आयकर - वर्तमान कर**		
	वर्तमान वर्ष	9,573.91	4,148.28
	पिछला वर्ष	(1,044.37)	1,246.21
		8,529.54	**5,394.49**
27	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)	(3,086.97)	(0.20)
		(3,086.97)	**(0.20)**

वित्तीय विवरण पर नोट

26. कर व्यय

राशि लाख में

क) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर व्यय	8,529.54	5,394.49
आस्थगित कर व्यय (आय)	3,086.96	0.20
निवल कर व्यय	**11,616.50**	**5,394.69**

ख) अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पुनर्मापन (हानियां)/पश्च नियोजन निर्धारित लाभ योजनाओं पर अर्जित राशि	-	-
उपरोक्त मद पर कर प्रभाव	-	-
व्यय (निवल आयकर)	-	-

ग) आय कर प्रावधानों का समाधान विवरण

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	दर	राशि	दर
सुचारू प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	45,915.12	0.25168	21,284.23	0.25
अनुमानित आयकर व्यय		11,555.92		5,356.82
अनुमानित आयकर व्यय से सूचित आयकर व्यय में समाधान हेतु समायोजनों का कर प्रभाव				
गैर कटौती योग्य व्यय				
सी.एस.आर. व्यय	231.25	58.20	138.00	34.73
टी.डी.एस. पर ब्याज	9.47	2.38	1.20	0.30
परिसंपत्तियाँ की बिक्री पर लागू कर			0.02	0.01
अग्रिम समापन प्रभार	-	-	11.29	2.84
समायोजन प्रभाव (निवल)	240.72	60.58	139.20	37.88
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय		**11,616.50**		**5,394.69**
लागू कर की दर		**25.30%**		**25.35%**

ख) स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं देयताएं

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) देयताएं
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022	31 मार्च 2022
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	-	3,140.65	3,140.65
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(51.41)	-	(51.41)
कर्मचारी हित-प्रावधान	(2.28)	-	(2.28)
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) देयता	**(53.69)**	**3,140.65**	**3,086.96**

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) देयताएं
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	-	0.21	0.21
कर्मचारी हित-प्रावधान	0.00	-	(0.00)
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) देयताएं	**0.00**	**0.21**	**0.20**

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्ति)	आस्थगित कर देयता	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) देयताएं
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2020	31 मार्च 2020
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	-	1.08	1.08
कर्मचारी हित-प्रावधान	-	-	-
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) देयताएं	**-**	**1.08**	**1.08**

ड.) अस्थायी विचलनों में फेरबदल

विवरण	01 अप्रैल 2021 तक शेष	2021-22 के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति	2021-22 के दौरान ओ.सी.आइ. में स्वीकृति	31 मार्च 2022 तक शेष
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	1.28	3,140.65	-	3,141.94
कर्मचारी हित-प्रावधान	(0.00)	(2.28)		(2.28)
संदिग्ध ऋण का प्रावधान		(51.41)		(51.41)
कुल	**1.28**	**3,086.96**	**-**	**3,088.25**

कर्मचारी लाभ-प्रावधान	01 अप्रैल 2020 तक शेष	2020-21 के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति	2020-21 के दौरान ओ.सी.आइ. में स्वीकृति	31 मार्च 2021 तक शेष
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	1.08	0.21	-	1.28
कर्मचारी हित-प्रावधान	-	(0.00)		(0.00)
कुल	**1.08**	**0.20**	**-**	**1.28**

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएं

आय एवं व्यय कर समाधान से संबंधित आयकर प्राधिकारियों के साथ कंपनी का कोई भी विवाद नहीं है।

27.आस्थगित कर (निवल)

राशि लाख में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
आस्थगित कर परिसंपत्तियां बनाने वाली मदों पर कर प्रभाव		
पी.पी.ई. पर बही शेष एवं कर शेष के बीच का अंतर	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्थाई अस्वीकृतियां	2.28	0.00
अनिश्चित ऋणों के लिए प्रावधान	51.41	
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आगे ले जाई गई गैर-अवशोषित हानियाँ		0.00
	53.69	**0.00**
आस्थगित कर देयताएं बनाने वाली मदों का कर प्रभाव		
पी.पी.ई. पर बही शेष एवं कर शेष के बीच का अंतर	3,140.65	0.21
		0.00
	3,140.65	**0.21**
लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत की जाने वाली राशि	**(3,086.96)**	**(0.20)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का प्रारंभिक शेष	-1.28	-1.08
31 मार्च 2022 तक आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	**(3,088.25)**	**(1.28)**

28. प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

साधारण ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले लाभ और बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के समायोजन के बाद विभाजित करके की जाती है।

विलयित ई.पी.एस.राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले लाभ और बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या को सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के समायोजन के बाद विभाजित करके की जाती है।

i. कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ

राशि लाख में

	31मार्च 2022	31 मार्च 2021
कर पश्चात् लाभ	34,298.62	15,889.54
मूल आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ	**34,298.62**	**15,889.54**
अन्य	-	-
विलय के प्रभाव हेतु समायोजित कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ	**34,298.62**	**15,889.54**
मूल / समायोजित आय प्रति शेयर (भा.रा.रु.)	**12.12**	**158.90**
प्रति शेयर विलयित आय (भा.रा.रु.)	**12.12**	**158.90**

ii. इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

विवरण	दिनांक	शेयरों की संख्या	शेष शेयर	भार आवंटित (दिवस में)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
प्रारंभिक शेष	01-04-2021	1,00,00,000	1,00,00,000	225	61,64,384
जारी	12-11-2021	70,00,00,000	71,00,00,000	132	25,67,67,123
जारी	24-03-2022	20,00,00,000	91,00,00,000	8	1,99,45,205
ई.पी.एस. के लिए 31 मार्च 2022 तक शेयरो की भारित औसत संख्या					**28,28,76,712**

चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, भारित औसत गणना लागू नहीं होती है और ई.पी.एस. की गणना 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों (जो पूरे वर्ष बनी रही) को कर पश्चात् लाभ से विभाजित करके की जाती है।

29 वित्तीय साधन- उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

31 मार्च 2022

	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आइ.	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मान में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
निवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
अन्य निवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	13,807.08	13,807.08	-	-	-	-
	-	-	**13,807.08**	**13,807.08**	-	-	-	-
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
व्यापार प्राप्य	-	-	82,602.58	82,602.58	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,946.78	2,946.78	-	-	-	-
अन्य बचत शेष	-	-	1,75,938.58	1,75,938.58	-	-	-	-
जारी गारंटी के प्रति अतिरिक्त राशि के रूप में धारित जमा	-	-	8,942.58	8,942.58	-	-	-	-
बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज	-	-	4,441.08	4,441.08	-	-	-	-
उपार्जित आय	-	-	43,264.21	43,264.21	-	-	-	-
सामान या सेवाओं के लिए अग्रिम राशि	-	-	2,295.46	2,295.46	-	-	-	-
	-	-	**3,20,431.27**	**3,20,431.27**	-	-	-	-
उचित मान में मापित वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-				
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय देयताएँ								
निवर्तमान वित्तीय देयताएँ								
व्यापार देय	-	-	2,633.19	2,633.19	-	-	-	-
	-	-	**2,633.19**	**2,633.19**	-	-	-	-
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय देयताएँ								
वर्तमान वित्तीय देयताएँ								
व्यापार देय	-	-	6,23,081.56	6,23,081.56	-	-	-	-
लेनदारों का व्यय	-	-	5.34	5.34	-	-	-	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-	-	2,030.60	2,030.60	-	-	-	-
जमानत जमा	-	-	1,372.22	1,372.22	-	-	-	-
आइ.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	-	-	1,226.05	1,226.05	-	-	-	-
अग्रिम राजस्व	-	-	357.64	357.64	-	-	-	-
आस्थगित आय के लिए देयता	-	-	117.20	117.20	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	57.62	57.62	-	-	-	-
	-	-	**6,28,248.23**	**6,28,248.23**	-	-	-	-

31 मार्च 2021

	मूल कीमत				उचित मान			
	एफ.वी.टी.पी.एल.	एफ.वी.टी.ओ.सी.आइ.	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मान में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-				
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
निवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ								

अन्य निवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	15,447.78	15,447.78		-	-	-	-
	-	-	**15,447.78**	**15,447.78**		-	-	-	-
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय परिसंपतियाँ									
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
प्राप्त व्यापार	-	-	69,915.54	69,915.54		-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	4,561.88	4,561.88		-	-	-	-
अन्य बचत शेष	-	-	46,801.03	46,801.03		-	-	-	-
बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज	-	-	1,193.58	1,193.58		-	-	-	-
उपार्जित आय	-	-	2,137.66	2,137.66		-	-	-	-
सामान या सेवाओं के लिए अग्रिम राशि	-	-	0.20	0.20		-	-	-	-
	-	-	**1,24,609.90**	**1,24,609.90**		-	-	-	-
उचित मान में मापित वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-		-	-	-	-
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय देयताएँ									
निवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
देय व्यापार	-	-	-	-					
	-	-	-	-					
उचित मान में गैर-मापित वित्तीय देयताएँ									
वर्तमान वित्तीय देयताएँ									
देय व्यापार	-	-	1,16,382.40	1,16,382.40		-	-	-	-
लेनदारों का व्यय	-	-	26.08	26.08		-	-	-	-
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-	-	1,270.49	1,270.49		-	-	-	-
जमानत जमा	-	-	1,253.06	1,253.06		-	-	-	-
आइ.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	-	-	399.82	399.82		-	-	-	-
अग्रिम राजस्व	-	-	2,798.57	2,798.57		-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	-	70.72	70.72		-	-	-	-
	-	-	**1,22,201.14**	**1,22,201.14**		-	-	-	-

श्रेणीबद्ध उचित मान

स्तर 1 - सदृश परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजार में तय मूल्य (गैर-समायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल तय मूल्य की अपेक्षा निवेश, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए दृष्टिगोचर हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप (अर्थात मूल्यों की भांति) से या अप्रत्यक्ष रूप (अर्थात् मूल्यों से व्युत्पन्न) से।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु निवेश जो दृष्टिगोचर बाजार आँकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2, एवं स्तर 3 के बीच स्थानांतरण नहीं होगा।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय प्रपत्रों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों से अवगत है।

- ऋण जोखिम;
- नकदी जोखिम; एव
- बाजार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में देय व्यापार, खर्चे हेतु ग्राहकों और अन्य देय से जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की मूल वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार लाभ, नकद, जमा एवं उपार्जित आय, जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से उत्पन्न होती है, शामिल है।

कंपनी की गतिविधियां, इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं नकदी जोखिम, के लिए उजागर करती हैं। कंपनी का मुख्य जोर वित्तीय बाजारों की अनिश्चितता का पूर्वानुमान लगाना है तथा अपने वित्तीय निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों का कम करना है। कंपनी के लिए प्रमुख बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम है। ऋण जोखिम हेतु कंपनी का जोखिम ग्राहक की अपनी विशेषताओं द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित है।

30 वित्तीय प्रपत्र - उचित लागत एवं जोखिम प्रबंधन (जारी...)

ii. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम का संदर्भ उस जोखिम से है, जो प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। ऋण जोखिम ग्राहकों से क्रेडिट एक्सपोजर, बैंकों के पास नकद और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से तैयार होता है।

कंपनी का ऋण जोखिम कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसने अपने ग्राहकों और अन्य लाभों के लिए ऋण नीति मानदंड स्थापित किए हैं। व्यापार लाभों की महत्वपूर्ण राशि, जो एक वर्ष से अधिक है, सरकार / सरकारी विभागों, सरकारी संगठनों से देय हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के पास ऐसे लाभों से जुड़ा कोई ऋण जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार लाभों के मामले में, अधिकांश ऋण जमा और बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किए जाते हैं, जिससे ऋण जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में बाजार की स्थितियों और उनके पिछले प्रेषण इतिहास के आधार पर ग्राहकों को ऋण दिया जाता है। संविदात्मक शर्तों, आदि और अन्य संकेतकों को ध्यान करने के बाद वित्तीय संपत्तियों पर हानियों के लिए प्रावधान किया गया है।

31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021: भा.रु.51,362.91 लाख) पर 17,885.37 लाख के नकद और नकद समकक्ष। यह चालू खाता शेष अग्रिम और प्रदर्शन के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में जमा के मामले को छोड़कर 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा के रूप में बैंकों के पास है। सावधि जमा का बड़ा हिस्सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास रखा जाता है और शेष जमा एक प्रतिष्ठित सूचीबद्ध निजी अनुसूचित बैंक के पास रखा जाता है, जिन्हें सी.आर.आइ.एस.आइ.एल. रेटिंग के आधार पर A1+ रेटिंग दी गई है।

अन्य वित्तीय संपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग/पार्टियों से देय हैं।

31 वित्तीय प्रपत्र - उचित लागत एवं जोखिम प्रबंधन (जारी...)

iii. **नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को निपटना पड़ता है, यदि उसे नकद और अन्य वित्तीय संपत्ति प्रदान करके वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है या कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नकदी के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी होगी, जब वे देय हों, दोनों सामान्य और विपरीत तनावग्रस्त परिस्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए।

कंपनी की नकदी के प्रमुख स्रोत नकदी और नकद समतुल्य हैं और नकदी प्रवाह, जो प्रचालनों से उत्पन्न होता है। कंपनी पर कोई बैंक कर्ज नहीं है। कंपनी का मानना है कि कार्यशील पूंजी इसकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कोई नकदी जोखिम नहीं माना जाता है।

नकदी जोखिम का अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। ये राशियाँ सकल और बिना छूट वाली हैं, और इनमें अनुमानित ब्याज भुगतान शामिल हैं तथा जिसमें निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

राशि लाख में

संविदागत नकद प्रवाह

31 मार्च 2022

	लाई गई राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					
निर्वतमान					
अन्य निवर्तमान देयताएं	2,633.19	-	2,633.19	.	-
चालू	-				
देय व्यापार	6,23,081.56	6,23,081.56	-	-	-
व्यय हेतु ऋणदाता	5.34	5.34	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	2,030.60	2,030.60	-	-	-
जमानत जमा राशि	1,372.22	1,372.22	-	-	-
आइ.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	1,226.05	1,226.05	-	-	-
अग्रिम राजस्व	357.64	357.64	-	-	-
आस्थागित हेतु देयताएं	117.20	117.20			
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	57.62	57.62	-	-	-
			-	-	-
	6,30,881.42	**6,28,248.23**	**2,633.19**	**-**	**-**

संविदागत नकद प्रवाह

31 मार्च 2021

	लाई गई राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं					
निवर्तमान					
अन्य निवर्तमान वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-
चालू	-				
देय व्यापार	1,16,382.40	1,16,382.40	-	-	-
व्यय हेतु ऋणदाता	26.08	26.08	-	-	-
ग्राहकों से	1,270.49	1,270.49	-	-	-
जमानत जमा राशि	1,253.06	1,253.06	-	-	-
आइ.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	399.82	399.82	-	-	-
अग्रिम राजस्व	2,798.57	2,798.57	-	-	-
अन्य निवर्तमान वित्तीय देयताएं	70.72	70.72	-	-	-
	1,22,201.14	**1,22,201.14**	-	-	-

32 वित्तीय प्रपत्र चित लागत एवं जोखिम प्रबंधन (जारी...)

iv. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन - जैसे कि विदेशी मुद्रा दरों और ब्याज दरों - कंपनी की आय या वित्तीय प्रपत्रों की संपत्तियों के मूल्य को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम विदेशी प्राप्य मुद्रा और देय तथा दीर्घकालिक ऋण सहित वित्तीय साधनों के प्रति संवेदनशील सभी बाजार जोखिम के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के पास मुख्य रूप से ब्याज दर जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम है। इस प्रकार, बाजार जोखिम का जोखिम निवेश और उधार क्रियाकलापों का प्रकार्य है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य विदेशी मुद्रा में अत्यधिक जोखिम से बचना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी में विदेशी मुद्रा में उत्पादों और सेवाओं के निर्यात और आयात के कारण मुद्रा जोखिम है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है।

कंपनी के मुद्रा जोखिम के जोखिम के बारे में संक्षिप्त परिमाणात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

31 मार्च 2022 के अनुसार

मुद्रा	राशि विदेशी मुद्रा में				राशि लाख में			
	वित्तीय परिसंपतियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)	वित्तीय परिसंपत्तियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)
यूरो (ई.यू.आर.)	135.60	-	29.66	105.94	11,479.78	-	2,511.10	8,968.68
अमरीकी डॉलर (यू.एस.डी.)	4.35	-	213.17	(208.82)	329.60	-	16,159.49	(15,829.89)

31 मार्च 2021 के अनुसार

मुद्रा	राशि विदेशी मुद्रा में				राशि लाख में			
	वित्तीय परिसंपतियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)	वित्तीय परिसंपत्तियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)
यूरो (ई.यू.आर.)	153.23	-	-	153.23	13,192.92	-	-	13,192.92
अमरीकी डॉलर (यू.एस.डी.)	39.82	-	19.52	20.30	2,926.93	-	1,434.86	1,492.08

31 मार्च 2020 के अनुसार

मुद्रा	राशि विदेशी मुद्रा में				राशि लाख में			
	वित्तीय परिसंपतियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)	वित्तीय परिसंपत्तियां	निर्वतमान देयताएं	वर्तमान देयताएं	निवल लाभ / (प्राप्य)
यूरो (ई.यू.आर.)	47.88	-	-	47.88	3,976.26	-	-	3,976.26
अमरीकी डॉलर (यू.एस.डी.)	-	-	7.76	(7.76)	-	-	585.18	(585.18)

संवेदनशीलता का विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपया, अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य सभी मुद्राओं के यथोचित रूप से मजबूत होने (कमजोर) होने से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रपत्रों की माप प्रभावित होती और इक्विटी और लाभ या हानि निम्नानुसार राशि से प्रभावित होती। यह विश्लेषण से अनुमान लगता है कि अन्य सभी परिवर्तन, एक विशेष ब्याज दरों में, स्थिर रहते हैं और पूर्वानुमानित बिक्री और खरीद के किसी भी प्रभाव को अनदेखा करते हैं।

				लाभ या हानि		इक्विटी, निवल कर	
				वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
31 मार्च 2022							
यू.एस.डी. (1% परिवर्तन)				(158.30)	158.30	(118.46)	118.46
यूरो (1% परिवर्तन)				89.69	(89.69)	67.11	(67.11)
31 मार्च 2021							
यू.एस.डी. (1% परिवर्तन)				14.92	(14.92)	11.17	(11.17)
यूरो (1% परिवर्तन)				131.93	(131.93)	98.73	(98.73)
31 मार्च 2020							
यू.एस.डी. (1% परिवर्तन)				(5.85)	5.85	(4.38)	4.38
यूरो (1% परिवर्तन)				39.76	(39.76)	29.76	(29.76)

				वर्षांत दर (भारतीय रु. में)		
				31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
यू.एस.डी.				75.81	73.50	75.39
यूरो				84.66	86.10	83.05

33 क. विभाजित सूचना

कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05-जून-2015 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत मात्रा और संबंधित मूल्यों के साथ माल की प्रत्येक श्रेणी की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की है और इसे ध्यान में रखते हुए उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति और संचालन का क्षेत्र, भारतीय लेखा मानक 108 - प्रचालनरत खंड के तहत आवश्यक जानकारी वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।

34 ख. संबंधित पार्टियां - भारतीय लेखा मानक-24

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी सरकार से संबंधित इकाई है और पैरा 18 के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। कंपनी भारतीय एएस 24 के पैरा 26 के अनुसार जानकारी प्रदान करेगी। संबंधित जानकारी इस प्रकार है:

नियंत्रण इकाई **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध (31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए)	संबंध (31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए)
श्री नारायणन जी.	31.07.2021 तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री राधाकृष्णन डी.	31.07.2021 से अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
श्री अरुणाचलम ए.	01.08.2021 से निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	

संबंधित पार्टियों के लेन-देन की सूची **राशि - लाख में**

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक हेतु पारिश्रमिक	110.78	87.77
अन्य हेतु पारिश्रमिक	70.69	149.03
	181.47	**236.80**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान हुई बिक्री से प्राप्त राजस्व	-	-
वर्ष के दौरान उत्पादन/सेवाओं से संबंधित लागत	40,423.03	82,290.76
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड हेतु दी गई संविदा प्रबंधन सेवाओं से राजस्व	-	-
	40,423.03	**82,290.76**

संबंधित पार्टियों के बकाया शेष की सूची

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	5,44,466.01	196.18
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देय	18.12	23.88

35 पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बरकरार रखा जा सके तथा व्यवसाय के भावि विकास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन पूंजी पर वापसी के साथ-साथ साधारण शेयरधारकों को लाभांश के स्तर का मॉनीटरण करता है।

कंपनी 'समायोजित निवल ऋण' से 'समायोजित इक्विटी' के अनुपात का उपयोग करके पूंजी का मॉनीटरण करती है। इस उद्देश्य हेतु, समायोजित निवल ऋण को कुल देनदारियों से घटाकर नकद और नकद समकक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। समायोजित इक्विटी में संभव हानि हेतु रिजर्व में संचित राशि के अलावा इक्विटी के सभी घटक शामिल होते हैं।

31 मार्च, 2022 तक कंपनी का समायोजित निवल ऋण इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

राशि - लाख में

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कुल देयताएं	6,49,190.66	1,23,745.13
कम: नकद एवं नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	1,78,885.36	51,362.91
समायोजित निवल ऋण	4,70,305.29	72,382.22
कुल इक्विटी	1,44,177.47	16,773.62
कम: संभाव्य हानि हेतु आरक्षित	-	-
समायोजित इक्विटी	1,44,177.47	16,773.62
समायोजित निवल ऋण का समायोजित इक्विटी अनुपात	3.26	4.32

कंपनी के विभिन्न मामलों की स्थितियों पर विचार करते हुए, अनुपात संतोषजनक है।

36 कर्मचारी लाभों से संबंधित परिसंपत्तियां एवं देयताएं

नोट 3 में लेखा नीति देखें

i. **उपदान** **राशि- लाख में**

	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
वर्तमान सेवा लागत	-	2.33
लाभ एवं हानि में चिह्नित आवधिक लाभ लागत	-	2.33
अन्य व्यापक आय/हानि	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व (डी.बी.ओ.) का वर्तमान मूल्य	-	2.33
योजित परिंपत्तियों का वास्तविक मूल्य (एफ.वी.ए.)	-	-
तुलन पत्र में चिह्नित निवल परिसंपत्तियां/देयताएं	-	(2.33)
भारतीय लेखा मानक 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर	लागू नहीं	7.58%
(निवल परिसंपत्तियां) ओ.सी.आइ. में चिह्नित देयताएं		

क. अन्य व्यापक आय में चिह्नित पुनर्मापीकरण प्रभाव

	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
कुल वास्तविक (लाभ)/ओ.सी.आइ में शामिल हानि (भारतीय लेखा मानक 19 का पैरा 57 (डी)	-	-
वास्तविक (लाभ)/ डी.बी.ओ. में वित्तीय पूर्वानुमान परिवर्तन के कारण हानि		-
वास्तविक (लाभ/डी.बी.ओ. पर अनुभूति के कारण हानियां		-
ख. स्पष्ट लाभ लागत (पैरा 120)		-
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत (19 पैरा 57 सी के रूप में इंडस्ट्रीज़)	-	2.33
ओसीआई में निधार्रित; पैरा 120सी निर्दिष्ट	-	-
कुल निर्धारित लाभ लागत (पैरा 120 ए, बी, और सी)	-	2.33
संपत्ति के रूप में राशि (पैरा 64(बी) में सीमा) निर्दिष्ट	-	-
निवल व्यय	**-**	**2.33**

(इंड एएस) 19 के पैरा 144 के अनुसार छूट दर - 7.58%

गैर-वित्तपोषित /तुलन पत्र में चिह्नित परिसंपत्तियां/ (देयता)	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
गैर-वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	2.33
वित्तपोषित स्थिति [(घाटा)] {(पैरा 64(क)}	-	(2.33)
निवल देयता		-
तुलन-पत्र निर्दिष्ट		-
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य		**-**
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**-**	**(2.33)**
वित्तपोषित अनुपात	**-**	**-**

परिकल्पना: भारतीय एएस19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर: 7.58%

A. वर्तमान और निवर्तमान का द्विभाजन	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
पीवीओ (गैर-वित्तपोषित योजना)		
वर्तमान	-	0.00
निवर्तमान	-	2.33
		-

(पैरा 140(ए)(ii) और 141) को समाप्त होने वाली अवधि में डी.बी.ओ. में परिवर्तन		**-**
वर्तमान सेवा लागत	-	2.33
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (प्रारंभिक)	-	-
ब्याज लागत	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	-	2.33

डी.बी.ओ. की भारित औसत अवधि	**0.01**	**17.85**

देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल पर जानकारी निम्नानुसार है

अनुमानित लाभ दायित्व	-	2.33
संचित लाभ दायित्व	-	0.90

पांच साल का भुगतान	31-मार्च-2022	
	रियायती मूल्य / वर्तमान मूल्य	**बिना छूट वाले मूल्य / वास्तविक मूल्य**
वर्ष (I)	-	-
वर्ष (II)	-	-
वर्ष (III)	-	-
वर्ष (IV)	-	-
वर्ष (V)	-	-
अगले 5 साल का खर्च (6-10 साल)	0.02	0.03
दस वर्ष से ऊपर का भुगतान	2.30	9.87

31/03/2022 तक निहित लाभ दायित्व		0.00
निवल तुलन पत्र देयता का समाधान	**31-मार्च-2021**	**31-मार्च-2022**
पैरा 64(ख) छोड़कर अवधि के लिए निवल अवधि लाभ (लागत)/ आय	-	-2.33
अवधि की शुरुआत में (उपार्जित)/ पूर्वदत्त लाभ लागत (समायोजन से पहले)		-
निवल आवधिक लाभ (लागत)/ अवधि के लिए आय		-
अवधि के अंत में (अर्जित)/ पूर्वदत्त लाभ लागत (समायोजन से पहले)	-	(2.33)
निवल तुलन पत्र परिसंपत्तियां अवधि के अंत में चिह्नित देयताएं		-2.33
		-
नियोक्ता व्यय के घटक		-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	2.33
मूल्यांकन अवधि में देयता में निवल वृद्धि	-	2.33
लाभ/हानि के विवरण में चिह्नित व्यय	-	2.33
वर्तमान वर्ष में पी एंड एल	-	2.33
वर्तमान वर्ष में ओसीआई	-	-
धारा 64बी का प्रभाव	-	-
कुल	-	2.33
कुल निवल ब्याज		
मूल्यांकन के अनुसार तनाव परीक्षण का प्रकटीकरण		
(देयता) तुलन पत्र में चिह्नित		2.33

परिदृश्य	डी.बी.ओ. में% वृद्धि	देयता	डी.बी.ओ. में कमी या वृद्धि
छूट दर + 100 आधार बिंदु	-14.33%	2.00	-0.33
छूट दर - 100 आधार बिंदु	17.65%	2.74	0.41
वेतन वृद्धि + 100 आधार बिंदु	17.08%	2.73	0.40
वेतन वृद्धि 100 आधार बिंदु	-14.12%	2.00	-0.33
संघर्षण दर + 100 आधार बिंदु	-3.88%	2.24	-0.09
संघर्षण दर - 100 आधार बिंदु	4.00%	2.42	0.09
मृत्यु दर 10% ऊपर	0.01%	2.33	0.00
सीमा रहित प्रभाव	0.00%	2.33	0.00

उपरोक्त विश्लेषण की तैयारी में प्रयुक्त विधियों और पुर्वानुमानों में पिछली अवधि से कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि आधार दरों में परिवर्तन हुआ है।

मुख्य पुर्वानुमान	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
छूट दर (19 धारा 83 भारतीय ए.एस.)	लागू नहीं	7.58%
परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	लागू नहीं	0
वेतन वृद्धि	लागू नहीं	7%
आर्कषक मूल्य	लागू नहीं	5%

आयु	मृत्यु दर
20	0.000924
30	0.000977
35	0.001202

जनसांख्यिकी अनुमान

मृत्यु	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम
दिव्यांगता	मृत्यु दर दर का 5%
निकासी	5.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60

ii. **छुट्टी नकदीकरण**

	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
वर्तमान सेवा लागत	0.93	5.30
पी एंड एल में निर्दिष्ट निवल आवधिक लाभ लागत	0.93	5.80
अन्य व्यापक आय/हानि	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य	0.93	6.73
योजित संपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	-	-
तुलन पत्र में चिह्नित निवल संपत्ति / देयताएं	-0.93	-6.73
भारतीय एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर	**7.58%**	

(शुद्ध संपत्ति)/देयताएं ओ.सी.आई. में निर्दिष्ट देयता

क. अन्य व्यापक आय में निर्दिष्ट पुनर्मापन प्रभाव

	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि ओ.सी.आइ. में शामिल (भारतीय एएस 19 के पैरा 57 (डी.)		
बीमांकिक (लाभ)/डीबीओ में वित्तीय पूर्वानुमान परिवर्तन के कारण हानि	-	-0.41
बीमांकिक (लाभ)/ डीबीओ पर अनुभव के कारण हानियां	-	0.85
ख. निर्धारित लाभ लागत (पैरा 120)	**-**	**0.00**
पी एंड एल में चिह्नित लागत (भारतीय एएस 19 पैरा 57 सी)	0.93	5.80
पुनर्माप प्रभाव ओसीआई में चिह्नित; पैरा 120सी	-	-
कुल निर्दिष्ट लाभ लागत (पैरा 120 ए, बी, और सी)	0.93	5.80
संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट राशि (पैरा 64(बी) में सीमित)		
निवल व्यय		
(भारतीय एएस) 19 के पैरा 144 के अनुसार छूट दर	**7.58%**	

निवल परिसंपत्ति / (देयता) तुलन पत्र में निर्दिष्ट	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
गैर-वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.93	6.73
वित्तपोषित स्थिति [(घाटा)] {(पैरा 64(क)}	-0.93	-6.73
शुद्ध देयता	-0.93	-6.73
तुलन पत्र में निर्दिष्ट	-0.93	-6.73
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.86	6.20
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.07	0.53
वित्त पोषण अनुपात		
पूर्वानुमानः भारतीय एएस19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दरः 7.58%		

क. वर्तमान और गैर-वर्तमान का द्विभाजन	31-मार्च-2021	31-मार्च-2022
पीवीओ (गैर-वित्तपोषित)		
वर्तमान	0.12	0.86
गैर-वर्तमान	0.82	5.87

(पैरा 140(ए)(ii) और 141) को समाप्त अवधि में डी.बी.ओ. में परिवर्तन	-	-
वर्तमान सेवा लागत	0.93	5.30
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (प्रारंभिक)	-	0.93
ब्याज लागत	-	0.07
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	0.43
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (अंतिम)	0.93	6.73

डी.बी.ओ. की भारित औसत अवधि	**15.19**	**17.85**

निम्नांकित देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल पर जानकारी

अनुमानित लाभ दायित्व	0.93	6.73
संचित लाभ दायित्व	-	-

पांच साल का भुगतान	**31-03-2022 (अर्जित छुट्टी)**		**31-03-2022 (अर्ध वेतन छुट्टी)**	
	अर्जित छुट्टी का रियायती मूल्य/ वर्तमान मूल्य	**अघोषित मूल्य/ अर्जित छुट्टी का वास्तविक मूल्य**	**रियायती मूल्य/अर्ध वेतन छुट्टी का वर्तमान मूल्य**	**बिना छूट वाले मूल्य/अर्ध वेतन छुट्टी का वास्तविक मूल्य**
वर्ष (I)	0.27	0.29	0.09	0.10
वर्ष (II)	0.25	0.29	0.08	0.10
वर्ष (III)	0.24	0.30	0.08	0.10
वर्ष (IV)	0.22	0.30	0.07	0.10
वर्ष (V)	0.21	0.31	0.07	0.10
अगले 5 वर्षों का खर्च (6-10 वर्ष)	9.00	1.61	0.30	0.54
दस वर्ष से ऊपर के खर्च	2.95	16.59	0.99	5.44
31/03/2022 तक निहित लाभ दायित्व				

निवल तुलन पत्र देयता का समाधान	**31-मार्च-2021**	**31-मार्च-2022**
निवल अवधि लाभ (लागत)/आय पैरा 64(बी) को छोड़कर अवधि के लिए	-	-0.93
(उपार्जित)/ पूर्वदत्त लाभ लागत (समायोजन से पहले) अवधि की शुरुआत में	-	-0.93
शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/ अवधि के लिए आय	-0.93	-5.80
अवधि के अंत में (अर्जित)/ पूर्वदत्त लाभ लागत (समायोजन से पहले)।	-0.93	-6.73
अवधि के अंत में निर्दिष्ट निवल तुलन पत्र परिसंपत्ति/देयताएं	-0.93	-6.73
नियोक्ता व्यय के घटक	-	-
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		-
वर्तमान सेवा लागत		5.30
कुल सेवा लागत	0.93	5.30
डीबीओ पर ब्याज व्यय	-	0.07
कुल शुद्ध ब्याज	-	0.07
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	0.43
पी एंड एल में शामिल निर्धारित लाभ लागत	0.93	5.80

मूल्यांकन के अनुसार तनाव परीक्षण का प्रकटीकरण

परिदृश्य	अर्जित छुट्टी के संबंध में डीबीओ में % वृद्धि	अर्जित छुट्टी के संबंध में देयता	अर्जित छुट्टी के डीबीओ में कमी या वृद्धि	अर्ध वेतन छुट्टी के लिए डीबीओ में % वृद्धि	अर्ध वेतन छुट्टी के लिए देयता	अर्ध वेतन छुट्टी के लिए डीबीओ में कमी या वृद्धि
छूट दर + 100 आधार बिंदु	-11.52%	4.46	-0.58	-11.38%	1.50	-0.19
छूट दर - 100 आधार बिंदु	14.29%	5.76	0.72	14.10%	1.93	0.24
वेतन वृद्धि + 100 आधार बिंदु	13.45%	5.72	0.68	13.27%	1.91	0.22
वेतन वृद्धि 100 आधार बिंदु	-11.04%	4.48	-0.56	-10.91%	1.51	-0.18
संघर्षण दर + 100 आधार बिंदु	0.48%	5.06	0.02	0.46%	1.70	0.01
संघर्षण दर - 100 आधार बिंदु	-0.52%	5.01	-0.03	-0.50%	1.68	-0.01
मृत्यु दर 10% ऊपर	0.02%	5.04	0.00	0.02%	1.69	0.00
सीमन प्रभाव						

37 कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

राशि- लाख में

क्र. सं.	विवरण	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	2021-22 के दौरान आवंटित राशि	2020-21 के दौरान आवंटित राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च की गई राशि (वास्तविक भुगतान पर न कि वस्तु के रूप में)	वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च की गई राशि (वास्तविक भुगतान पर न कि वस्तु के रूप में)	2020-21 के दौरान प्रतिबद्ध राशि और 2021-22 के दौरान खर्च की गई राशि	निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई शेष राशि	31/03/2022 को अलग बैंक खाते में रखी गई प्रतिबद्ध राशि
1	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-	5.00	-	5.00	-	-	-
2	संस्कृति निधि	-	-	5.00	-	5.00	-	-	-
3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	-	-	10.00	-	5.51	3.13	1.36	-
4	महाविद्यालयों को लकड़ी के डेस्क, बेंच, मेजों की आपूर्ति	-	-	13.00	-	6.50	6.13	0.37	-
5	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	-	-	36.67	-	7.33	29.33	0.00	-
6	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण और उपकरणों का वितरण	-	-	35.00	-	8.75	26.25	0.00	-
7	नर्मदा जिले के 28 पीएचसी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	जिलाधिकारी, नर्मदा	47.40	-	14.22	-	-	-	33.18
8	कर्नाटक के यादगीर जिले में सरकारी अस्पतालों में ज्वलनशील मार्कर डायग्नोस्टिक मशीन प्रदान करना, और सरकारी अस्पतालों में पीएसए संयंत्र के लिए विद्युतीकरण कार्य	जिलाधिकारी, यादगीर	20.00	-	6.00	-	-	-	14.00
9	विरुधुनगर, तमिलनाडु (आकांक्षी जिला) में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकरण	जिला चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य, विरुधुनगर	13.93	-	2.79	-	-	-	11.14
10	देहरादून, उत्तराखंड में कालसी ब्लॉक के चयनित गांवों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देहरादून में एनजीओ	13.14	-	3.94	-	-	-	9.20
11	नई दिल्ली में बेघर महिलाओं के बीच नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास, एनजीओ, नई दिल्ली	10.64	-	3.19	-	-	-	7.45
12	तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के मुधुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में थेप्पकाडू गांव में पेय जल उपलब्ध कराना	नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, तमिलनाडु में गैर सरकारी संगठन	8.75	-	2.63	-	-	-	6.13
13	कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मानसिक रूप से दिव्यांगों का कौशल विकास	केंद्रीय मानसिक मंदता संस्थान, केरल का गैर सरकारी संगठन	6.24	-	1.87	-	-	-	4.37

14	दिव्यांग व्यक्तियों **(पी.डब्ल्यू.डी.)** को आवश्यक सहायक और अनुकूली उपकरणों और आजीविका के अवसरों के साथ विकलांग व्यक्तियों **(पी.डब्ल्यू.डी.)** को सक्षम, सुसज्जित और सशक्त बनाना	विकलांग लोगों का संघ, बेंगलूरु में एनजीओ	6.08	-	6.08	-	-	-	-
15	भारत को भूख मुक्त बनाना - इस्कॉन बेंगलूरु की रसोई में दूध की पैकिंग के लिए एसएस इंसुलेटेड टैंक और एलआईडी रैक की खरीद	बेंगलूरु में अक्षय पात्र फाउंडेशन	5.91	-	2.96	-	-	-	2.96
16	डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों की देखभाल के लिए सुविधा के लिए योगदान	शीजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु का एनजीओ	5.00	-	1.50	-	-	-	3.50
17	तेलंगाना के बालानगर और शादनगर में कोविड टीकाकरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में लैपटॉप और प्रिंटर	तेलंगाना में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के माध्यम से		-	1.60	-	-	-	-
18	तमिलनाडु में अनाथालय के बच्चों को कपड़े, चादरें और तौलिये प्रदान करना	तमिलनाडु में विकलांगों के लिए संयुक्त अनाथालय	2.50	-	2.50	-	-	-	-
19	नर्मदा जिले के शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराना	जिलाधीश, नर्मदा	10.00	-	3.00	-	-	-	7.00
20	यादगीर जिले के न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपभोज्य सामग्रियों के साथ इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायग्नोस्टिक मशीन उपलब्ध कराना	जिलाधीश, यादगीर	10.00	-	3.00	-	-	-	7.00
21	तिरुवनंतपुरम, केरल के सरकारी हाई स्कूल में अवसंरचना/वस्तुएं प्रदान करना	केरल में इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के माध्यम से	19.17	-	19.17	-	-	-	-
22	आदिवासी बच्चों के लिए करियर के रास्ते बनाना	मृदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, मध्य प्रदेश सरकार का गैर सरकारी संगठन	5.04	-	1.51	-	-	-	3.52
23	शिलांग में महिलाओं के लिए कानूनी पहुंच सेवाएं प्रदान करना	ग्रासरूट, मेघालय का एक गैर सरकारी संगठन	5.00	-	2.50	-	-	-	2.50
24	आंध्र प्रदेश में बुरुगुपल्ली गांव के पास जारेबंडा वंका पर एक चेक डैम का निर्माण	मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी (एम.वाइ.आर.ए.डी.ए.), बेंगलुरु में एन.जी.ओ.	10.96	-	3.29	-	-	-	7.67
25	गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, होडिगेरे, चेन्नागिरी तालुक, कर्नाटक में शौचालय का निर्माण	इसरो के सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम कार्यालय के माध्यम से	10.48	-	5.24	-	-	-	5.24

26	हावेरी जिला, कर्नाटक में छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर सैनिटरी पैड का वितरण और वार्ता आयोजित करना	इसरो मुख्यालय के माध्यम से	1.20	-	0.60	-	-	-	0.60
27	गुवाहाटी में बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन और डिजाइन विकास प्रशिक्षण	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी का एनजीओ	5.00	-	2.50	-	-	-	2.50
28	व्यापक ग्रामीण जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत नागपुर में आवासीय बालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वास्थ्य सेवा)	सीआरटीडीपी, नागपुर का एनजीओ	5.00	-	1.50	-	-	-	3.50
29	नेत्रहीनों के लिए बेंगलुरु में क्रिकेट कोचिंग कैंप	मैसर्स समर्थनम ट्रस्ट, बैंगलोर का एनजीओ	3.00	-	3.00	-	-	-	-
30	चल्लकेरे सरकारी अस्पताल, चित्रदुर्ग में नवनिर्मित शौचालय परिसर में कंक्रीट की छह बेंचों का निर्माण	मैसर्स सुलभ इंटरनेशनल, कर्नाटक	1.25	-	0.63	-	-	-	0.63
	कुल		**227.29**	**104.67**	**95.21**	**38.10**	**64.84**	**1.73**	**132.08**

I. सीएसआर का आवंटन, प्रतिबद्धता और व्यय का सारांश

राशि - लाख में

	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
क	वर्ष के दौरान कंपनी को खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि	231.25	138.00
ख	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	95.21	38.10
ग	अन्य बैंक खाते में रखी गई अव्ययित प्रतिबद्ध राशि	132.08	66.57
घ	किसी विशिष्ट कोश में अंतरित की जाने वाली प्रतिबद्ध राशि (2021-22/2020-21)	3.96	33.33
ड.	कुल सी.एस.आर. व्यय	**231.25**	**138.00**

II. एक अलग बैंक खाते में रखी गई प्रतिबद्ध राशि का विवरण

राशि - लाख में

	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
1	अलग बैंक खाते में रखी राशि	132.08	66.57
2	उपरोक्त में से 2021-22 में व्यय की गई राशि		64.84
3	उपरोक्त में से 2021-22 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई राशि		1.73
4	अन्य बैंक खाते में शेष राशि	132.08	0.00

		वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2022 के अंत तक के आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2021 के अंत तक के आंकड़े
38	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:** (जिस हद तक प्रदान नहीं किया गया हो) i) **आकस्मिक देयता:**		
	a) दावा है कि कंपनी को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
	बी) गारंटी:	कंपनी ने तीसरे पक्ष की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को आकस्मिक देयता के परिणामस्वरूप कोई गारंटी जारी नहीं की है।	कंपनी ने तीसरे पक्ष की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को आकस्मिक देयता के परिणामस्वरूप कोई गारंटी जारी नहीं की है।
	ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है: - i) प्रतिबद्धताएं:		
	(ए) शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि को पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है,	शून्य	शून्य
	(बी) अन्य प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
	कंपनी का विचार है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयताओं के लिए संसाधनों का कोई बहिर्वाह नहीं होगा।		
39	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्ति और गैर-वर्तमान निवेश के बारे में बोर्ड की राय व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में इसकी प्राप्ति के संबंध में कम से कम उस राशि के बराबर होती है, जिस पर उन्हें बताया गया है।	बोर्ड की राय है कि इस तरह की संपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य होगा, जिस पर उन्हें लेखा पुस्तकों में बताया गया है।	बोर्ड की राय है कि इस तरह की संपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य होगा, जिस पर उन्हें लेखा पुस्तकों में बताया गया है।

40 वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अन्य टिप्पणियाँ

40.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

क. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारत सरकार (GOI) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

ख. कंपनी के कार्यबल में कार्य व्यवस्था पर इसरो और कंपनी के स्वयं के रोल के अधिकारी शामिल हैं। कंपनी में इसरो कार्यबल के लिए इसरो द्वारा किए गए वेतन व्यय की वास्तविक रूप से उन्हें प्रतिपूर्ति की जाती है। उनके संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भुगतान इसरो द्वारा वहन किया जाता है।

ग. लेखा मानक 18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्री नारायणन जी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31/07/2021 तक); श्री राधाकृष्णन डी, निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) (31/07/2021 तक) और उसके बाद अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री अरुणाचलम ए, निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) 01/08/2021 से आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को उनके पारिश्रमिक और कर्मचारियों के लाभ की प्रतिपूर्ति के अलावा अन्य अवधि के दौरान ऐसी पार्टियों के साथ कोई लेन-देन नहीं होता है।

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक विंग
3) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
a) श्री नारायणन जी.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31/07/2021 तक)
b) श्री राधाकृष्णन डी.	निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) 31/07/2021 तक और उसके बाद अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।
c) श्री अरुणाचलम ए.	निदेशक (तकनीकी और कार्यनीति) 01/08/2021 से

ए.एस.-18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार प्रासंगिक प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन: कृपया एक अलग नोट संख्या 34 देखें

40.2 कंपनी ने अपने ग्राहकों से 31 मार्च 2022 तक शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध किया है, सिवाय उन ग्राहकों के जिनके साथ अनुबंध बंद हो गए हैं या तुलन पत्र तैयार करने से पहले बकाया राशि प्राप्त हुई है और कुछ ग्राहकों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। प्रबंधन की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने के कारण लाभ और हानि के विवरण में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पेस सेगमेंट चार्जेज-इनसैट/जीसैट के संबंध में, क्योंकि अं.वि./भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से कंपनी को उपग्रह संपत्ति के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, कंपनी ने अं.वि. से शेष राशि की पुष्टि की मांग नहीं की है।

40.3 कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण:

(ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि भा.रा.रू. 231.25 लाख (पिछले वर्ष- भा.रा.रू. 138.00 लाख)

(बी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: कृपया एक अलग नोट संख्या 37 देखें

40.4 प्रस्तावित लाभांश:

विवरण	31-03-2022 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31-03-2021 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े
(ए) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि	दीपम से छूट प्राप्त करने का प्रस्ताव ***	छूट प्राप्त **
(बी) प्रति शेयर लाभांश	लागू नहीं ***	छूट प्राप्त **

*** एनसिल बोर्ड ने 7 मार्च 2022 को हुई अपनी बैठक में विस्तृत चर्चा की थी और प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दीपम के दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी थी (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों की वापस खरीद (iii) वित्त वर्ष 2021 के लिए बोनस शेयर जारी करना- 2022

** दिनांक 18.03.2021 के एफ.सं. 4(30)(1)/2018-दीपम-1 (भा.) के अनुसार सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2021 को आयोजित सी.पी.एस.ई. में पूंजीगत प्रबंधन एवं लाभांश की मॉनीटरण समिति (सी.एम.सी.डी.एस.)/ निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की बैठक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लाभांश के भुगतान से कंपनी को धूर प्राप्त है।

40.5 वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्रमोचन सेवाओं के लिए मेसर्स सिज़ी स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर पर कुछ चालान बनाए। निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रमोचन के लिए ग्राहक द्वारा कंपनी को उपग्रह उपलब्ध कराने में देरी सहित अन्य कारणों

से अनुबंध पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए, इन प्राप्तियों को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और लेनदारों के अधीन रखा गया है। 2021-22 में, उनके उपग्रह के लिए संशोधित प्रमोचन लागत पर प्रमोचन सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध में संशोधन किया गया था। प्रारंभ में प्राप्त राशि को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। कंपनी इन प्राप्तियों को अपने प्रस्तावित उपग्रह के प्रक्षेपण के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता देगी।.

40.6 अन्य गैर-चालू संपत्तियों' के तहत जारी गारंटी के प्रति अतिरिक्त राशी के रूप में रखी गई जमा राशि में तुलन पत्र की तारीख के 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाली 552.26 लाख रुपये की राशि शामिल है, क्योंकि इन जमा को बीजी की वैधता तक स्वचालित रूप से नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

40.7 कंपनी ने पार्टियों के साथ नवाचार समझौता किया है, तदनुसार समर्पित प्रमोचन सेवाओं के प्रदर्शन को पूरा करने के लिए पहले वाली पार्टी द्वारा आंशिक रूप से निष्पादित अनुबंध को कंपनी द्वारा लिया जाता है। उक्त समझौते के अनुसार, अनुबंध के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाला राजस्व ही कंपनी का राजस्व होगा। उसी हिसाब से राजस्व की पहचान की जा रही है।

40.8 प्रमोचन सेवा समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी समर्पित और सह के संबंध में तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान और मृत्यु सहित शारीरिक चोट के लिए कानूनी देयता के प्रति स्व-बीमा के माध्यम से ग्राहकों को बिना किसी लागत के बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यात्री ग्राहक उपग्रह इसरो प्रमोचक वाहनों का उपयोग कर प्रमोचित किया गया। इसरो प्रत्येक प्रमोचन के संबंध में स्व-बीमा की नीति का पालन करता है, इस प्रकार कंपनी द्वारा ली जाने वाली थर्ड पार्टी लायबिलिटी (टीपीएल) बीमा की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

40.9 लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश की अतिरिक्त जानकारी

5 (ii) (ए) (1) और (2) और 5 (iii) - एनसिल एक निर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए लागू नहीं है।

5(viii)(ए) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा (I) कच्चे माल के संबंध में सी.आइ.एफ. आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य; (II) घटक और अतिरिक्त पुर्जे (III) पूंजीगत सामान: - शून्य

5(viii)(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग किए गए सभी आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और घटकों का कुल मूल्य और सभी स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और समान रूप से उपभोग किए गए घटकों का कुल मूल्य और कुल खपत के लिए प्रत्येक का प्रतिशत: -शून्य

अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या के विशिष्ट उल्लेख के साथ लाभांश के कारण विदेशी मुद्रा में वर्ष के दौरान प्रेषित राशि, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिस पर लाभांश बकाया था और जिस वर्ष से लाभांश संबंधित था: - शून्य

5(viii)(बी) वित्तीय वर्ष के दौरान तकनीकी जानकारी और परामर्श शुल्क और ब्याज के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय: - शून्य

5(viii) (ई) विदेशी मुद्रा में आय को निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्: II। जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क, III.ब्याज और लाभांश: - शून्य

40.10 भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 2437 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में लाभ और हानि के विवरण की तैयारी के लिए सामान्य निर्देशों की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटीकरण से निम्नलिखित पैरा छूट दी।

5(viii)(बी) रॉयल्टी और अन्य मामलों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय;

5(viii) (ई) निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत विदेशी मुद्रा में कमाई, अर्थात्: I. एफओबी आधार पर गणना की गई वस्तुओं का निर्यात, II.रॉयल्टी, IV अन्य आय, इसकी प्रकृति का संकेत।

40.11 वर्ष के अंत में मुद्रा अनुवाद का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष के अंत में मुद्रा अनुवाद [राशि लाख में]	डेबिट/ क्रेडिट	लाभ और हानि का विवरण
बकाया देनदारियों और संपत्तियों से संबंधित	163.49	क्रेडिट	अन्य आय में जमा
	(158.34)	क्रेडिट	(अन्य आय में जमा)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं, "Cr" का अर्थ "क्रेडिट" और "Dr" का अर्थ "डेबिट" है

40.12 अं.वि. ने अपने 10 इन-ऑर्बिट परिचालन संचार उपग्रहों के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन का संचार किया है। जीसैट-8, 10, 12आर, 14, 15,16, 17, 18, 30 और 31 एनसिल को दिनांक 04 जुलाई 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 01/04/2021 से प्रभावी। डीओएस द्वारा सूचित हस्तांतरण मूल्य (इसके बाद मूल्य के रूप में संदर्भित) को इक्विटी शेयरों के माध्यम से छुट्टी दी जा रही है। चूंकि इक्विटी केवल संभावित रूप से जारी की जा सकती है, एनसिल को हस्तांतरित उपग्रह संपत्ति की कीमत को वर्तमान देयता के तहत व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी 2022-23 के दौरान समतुल्य मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करके देयता का निर्वहन करेगी। चूंकि स्थानांतरण 2022-23 के दौरान सूचित किया गया था, 2021-22 में संपत्तियों का बीमा नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी इसकी समीक्षा करेगी और 2022-23 के दौरान उपग्रह संपत्तियों के बीमा पर उपयुक्त निर्णय लेगी। अतिव्याप्ति के कारण हस्तांतरण की तिथि को या उससे पहले अं.वि. द्वारा बंद किए गए प्रेषानुकरों के मूल्य को उनके द्वारा निर्धारित मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। मामले में, एनसिल इन प्रेषानुकरों को चालू करने का प्रस्ताव करता है, एनसिल को अं.वि. की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। स्विच ऑन प्रेषानुकरों को चार्ज नहीं किया जाएगा यदि मौजूदा कार्यात्मक प्रेषानुकरों के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक आधार पर नए अतिरिक्त उपयोग के मामले में, अं.वि. एनसिल को स्विचिंग की तारीख पर आनुपातिक बुक वैल्यू पर चार्ज करेगा।

हस्तांतरित उपग्रहों का मुख्य नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ)/इसरो, हासन द्वारा अनुरक्षण जारी है। कंपनी उन्हें देय अनुरक्षण लागत सहित नियमों और शर्तों के प्रति एक उपयुक्त समझ बनाने की प्रक्रिया में है। जैसा कि समझ को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उपग्रह रखरखाव लागत डीओएस द्वारा जारी संबंधित उपग्रह परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार ली जाती है।

40.13 अचल संपत्तियों में कंपनी की अपनी मेल सेवाओं और प्रेषानुकरों लीजिंग के स्वचालन के लिए 108.17 लाख रुपये की राशि के उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जिसे 2022-23 के दौरान स्थापित और चालू किया जाएगा और इन संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास 2022-23 में लेखा मानकों और कंपनी की नीति के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा।

40.14 कंपनी ने भा.रा.रू. 22,738.96 लाख [पिछले वर्ष (2020-21) भा.रा.रू. 15,447.76 लाख] की सावधि जमा राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यूरो 238.50 लाख [पिछले वर्ष 2020-21 यूरो 165.50 लाख और INR 8.00 लाख के लिए जारी की गई बैंक गारंटी के प्रति सुरक्षा के रूप में रखी है। भा.रा.रू. 20,191.38 लाख के बराबर [पिछले वर्ष 2020-21 भा.रा.रू. 14,257.38 लाख]। कंपनी ऐसी सावधि जमा पर कार्ड दरों पर ब्याज अर्जित कर रही है। वर्तमान में, लेखांकन मानकों में परिभाषित "प्रावधान" की कोई घटना नहीं है और तदनुसार प्रकटीकरण उत्पन्न नहीं होता है। बीजी मूल्य प्राप्त करने के लिए मानी जाने वाली विनिमय दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 86.099 रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 84.6599 रुपये प्रति यूरो है।

40.15 व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अचल संपत्तियों और गैर-वर्तमान निवेशों के अलावा किसी भी संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य के बारे में बोर्ड की राय:

बोर्ड की राय है कि इस तरह की संपत्ति का व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर उन्हें खातों में बताया गया है।

40.16 **भारतीय लेखा मानक इन्ड ए एस 38 के तहत प्रकटीकरण: अमूर्त संपत्ति**

(क)	अमूर्त संपत्ति का वर्ग	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त संपत्ति की प्रकृति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीद
(ग)	अमूर्त संपत्ति की प्रकृति	उपयोग के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर की खरीद की तारीख से 3 साल और स्वीकृति की तारीख से विकास के तहत सॉफ्टवेयर के लिए 5 साल।
(घ)	मूल्यह्रास विधियों का इस्तेमाल किया	सीधी रेखा विधि
(ङ)	सकल वहन राशि	INR 3.94 लाख
(च)	संचित परिशोधन	INR 0.70 लाख
(छ)	अवधि की शुरुआत में और अंत में संचित हानि	शून्य
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में अग्रणीत राशि का मिलान	जैसा कि नोट 5सी के अनुबंध में दिया गया है
(i)	परिवर्धन, आंतरिक विकास और समामेलन के माध्यम से अलग-अलग इंगित करता है	INR 3.60 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा
(ii)	सेवानिवृत्ति और निपटान	शून्य
(iii)	अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त क्षति हानि (यदि कोई हो)	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में उलटी क्षति हानि (यदि कोई हो)	शून्य
(v)	अवधि के दौरान परिशोधन को मान्यता दी गई	INR 0.69 लाख
(vi)	प्रस्तुति मुद्रा में वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले शुद्ध विनिमय अंतर, और इकाई की प्रस्तुति मुद्रा में एक विदेशी संचालन के अनुवाद पर।	शून्य
(vii)	वर्ष के दौरान वहन राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

40.17 एनसिल अं.वि. के स्वामित्व वाली भवन से काम कर रहा है। भवन के लिए अं.वि. द्वारा आज तक कोई किराया निर्धारित नहीं किया गया है। एनसिल ने एक चार्टर्ड इंजीनियर से किराये का मूल्य प्राप्त किया है और 23/05/2019 की अवधि के लिए उपयुक्त देयता सृजित की गई है, जिस दिन कंपनी ने भवन में कार्य करना शुरू किया था।

40.18 **वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त जानकारी**

40.18.1 **अघोषित आय के संबंध में प्रकटीकरण**

कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में वापसी या खुलासा किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान)

40.18.2 **आयोजित बेनामी संपत्ति का विवरण**

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

40.18.3 क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है

40.18.4 उधार ली गई निधि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से इस समझ के साथ कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी: (ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (बी) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें।

40.18.5 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ: (ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य व्यक्तियों में निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान की गई संस्थाएं या (बी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करती हैं।

40.18.6 वर्तमान संपत्तियों के प्रति सुरक्षित उधार: शून्य

40.19 संशोधित अनुसूची III की आवश्यकता से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

40.19.1 निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम (मांग पर चुकाया जा सकता है या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना):

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी व्यक्ति को कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जो किसी व्यक्ति (31 मार्च, 2021 को शून्य) के लिए बकाया (मांग पर चुकाने योग्य या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना) रहा हो।

40.19.2 स्ट्रक कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बंद हुई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया।

40.19.3 कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है। उपरोक्त शुल्कों के निर्माण की स्थिति में, उक्त शुल्कों को वैधानिक अवधि के भीतर आरओसी, बेंगलुरु के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

40.19.4 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

40.20 कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में कोविड-19 के सभी संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा है, जिसमें नकदी आकलन और संबंधित धारणा, प्राप्तियों की वसूली, अमूर्त संपत्ति, नकदी और नकद समतुल्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक सूचना के उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों के आधार पर यह आकलन किया है और उसका मानना है कि कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और वह इसकी अग्रणीत संपत्ति राशि की वसूली की उम्मीद करती है। महामारी की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और व्यवसाय संचालन पर इसके परिणामी प्रभाव की निगरानी करना जारी रखेगी।

40.21 आंकड़ों को निकटतम लाख में पूर्णांक किया गया है और पिछले वर्षों के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

40.22 वित्तीय विवरणों की स्वीकृति

06 अगस्त, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मैसर्स पाल और शानभोग के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 002528S

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के.आर. शानभोग
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 18578

अन्नामलै अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी और कार्यनीति
डी.आइ.एन.: 0009262267

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आइ.एन.: 08382973

स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 06-08-2022
ICAI UDIN : 22018578AONTTS7339

के रेणु
कंपनी सचिव
स्थान: बैंगलोर
दिनांक: 06-08-2022

अनुपात

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	अंश	हर	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		परिवर्तन
			2022	2021	
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयताएं	0.52	1.03	-0.52
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
इक्विटी पर वापसी (आर.ओ.ई.)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.42	1.25	-0.83
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	आय	औसत व्यापार प्राप्य	2.20	1.39	0.80
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं की खरीद और अन्य खर्चों	औसत व्यापार प्राप्य	0.10	0.25	-0.15
निवल पूंजी कारोबार अनुपात	आय	कार्यशील पूंजी	-0.54	12.02	-12.56
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	राजस्व	0.27	0.41	-0.14
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी	0.31	1.07	-0.76
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	निवेश से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

(अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक सी.पी.एस.ई.)

पंजीकृत कार्यालयः कमरा सं. एफ.01, एच.एस.एफ.सी. भवन, इसरो मु., न्यू बी.ई.एल. रोड़, बेंगलूरु-560 094

कॉर्पोरेट कार्यालयः इसरो मु. कैंपस, न्यू बी.ई.एल. रोड़, बेंगलूरु-560 094

दूरभाषः+91 80 2217 2695 फैक्सः+91 80 2351 7222 ई-मेलः contact-nsil@isro.gov.in वेबसाइटः www.nsilindia.co.in

सी.आइ.एन.: U74999KA2019GOI122175

जी.एस.टी.आइ.एन.: 29AAGCN4411P1Z1